खण्ड–516, अंक–02
गुरुवार, 25 अग्रहायण, शक संवत् 1943
(16 दिसम्बर, 2021 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, चतुर्थ सत्र, वर्ष 2021)

(खण्ड 516 में 3 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2023

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
नेता विरोधी दल द्वारा प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था सम्बन्धी अपनी नियम-311 की सूचना पर सदन की कार्यवाही रोक कर सदन में चर्चा कराये जाने की मांग	7
वित्तीय वर्ष 2021-2022 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण	7
वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक (अन्तरिम) प्रस्तुतीकरण ...	7
वित्तीय वर्ष 2022-2023 के एक भाग के लिये लेखानुदान प्रस्तुतीकरण ...	7
प्रश्नोत्तर	8-16
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उ0प्र0 अध्यादेश संख्या-8 सन् 2021) (सदन के पटल पर रखा गया)... ...	16
उत्तर प्रदेश मोटरयान काराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उ0प्र0 अध्यादेश संख्या-9 सन् 2021) (सदन के पटल पर रखा गया)... ...	16
उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उ0प्र0 अध्यादेश संख्या-10 सन् 2021) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	16
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-847/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(198)-2021, दिनांक 02 सितम्बर, 2021 (सदन के पटल पर रखा गया)	16-17
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (बावनवां संशोधन) नियमावली, 2021 (सदन के पटल पर रखा गया)	17
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1040/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(201)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 (सदन के पटल पर रखा गया)	17
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1042/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(203)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 (सदन के पटल पर रखा गया)	17
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1043/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(204)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 (सदन के पटल पर रखा गया)	17

विषय	पृष्ठ संख्या
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1044/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(205)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 (सदन के पटल पर रखा गया)	18
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1045/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(206)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 (सदन के पटल पर रखा गया)	18
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1133/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(207)-2021, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 (सदन के पटल पर रखा गया)	18
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1147/ग्यारह-9-1-2008-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश(208)-2021, दिनांक 04 नवम्बर, 2021 (सदन के पटल पर रखा गया)	19
उ0प्र0 सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2019-2020 (01-04-2019 से 31-03-2020) (सदन के पटल पर रखा गया)	19
उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग एवं जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2021 (सदन के पटल पर रखा गया)	19
मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 (सदन के पटल पर रखा गया)	19
लोक आयुक्त, उ0प्र0 के विशेष प्रतिवेदन संख्या-09-2014(लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	20
उप लोक आयुक्त, उ0प्र0 के विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2010(उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	20
यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018 (सदन के पटल पर रखा गया)	20-21
अन्तरिम बजट, एक भाग के लिए लेखानुदान एवं द्वितीय अनुपूरक अनुदान को पूर्व परम्परा के अनुसार सदन में पढ़े जाने की मांग	21-22
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	22-25

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के ग्राम हमीरपुर से महादेवा बाबा होते हुए, एक सीधी सड़क सीतापुर रोड मुख्य मार्ग तक डामर रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	25
अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-1, बदायूँ द्वारा जन-प्रतिनिधियों से अभद्रता तथा कर्तव्य निर्वहन न करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	25-26
स्मार्ट सिटी कानपुर के कार्यों की गुणवत्ता की जांच थर्ड पार्टी से कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	26
जनपद उन्नाव के अन्तर्गत बांगरमऊ-माढ़ापुर शिवपुरी मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	26-27
जनपद बरेली में कोई उद्योग न होने से बेरोजगारी बढ़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	27
जनपद झाँसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के गुरसरांय ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम गौरपुरा में चेकडैम कम रपटा बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	27
उ0प्र0 के वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेशों का विभाग द्वारा ठीक से अनुपालन न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	27-28
जनपद अम्बेडकरनगर के माया-टाण्डा मार्ग को फोर लेन बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	28
जनपद प्रतापगढ़ के नवसृजित विकास खण्ड मंगापुर उदयपुर को क्रियाशील कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	28-29
जनपद सहारनपुर के शिवालिक क्षेत्र में बसे वन गुर्जरों को सरकार द्वारा विस्थापित किये जाने से उनके पुनर्वास की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	29
जनपद सहारनपुर के कतिपय ग्रामों को विद्युत आपूर्ति हेतु शहरी फीडर से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	30
प्रदेश में किसान सम्मान निधि योजना के पात्र लाभार्थियों की त्रुटि सुधार कराकर सभी पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	30-31

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत कल्लरपुर गुर्जर के पास पूर्वी यमुना नहर पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	31
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के अन्तर्गत फरीदपुर तहसील में मण्डी समिति स्थल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	31
जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज-डालीगंज में आई0टी0आई0 की स्थापना में किये जा रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	31-32
जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर के अन्तर्गत ग्राम नंगला शेखू में खड़ंजा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	32
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	32-33
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा अन्तर्गत विभिन्न टोलों व मजरों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	33
जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा अन्तर्गत धान खरीद में हो रही फर्जी खाताधारकों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	33
जनपद पीलीभीत में शरणार्थी बांग्लादेशी नागरिकों को नागरिकता दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	33-34
जनपद अम्बेडकरनगर के तहसील जलालपुर अन्तर्गत समुचित मात्रा में धान क्रय केन्द्र खुलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना..	34
जनपद सीतापुर के अन्तर्गत सरकारी/अर्द्ध सरकारी क्रय केन्द्रों पर धान खरीद में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	34-35
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान अन्तर्गत औरास में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	35
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत टोंस नदी पर बने अधूरे रिंग बन्धों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	35-36

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद हरदोई के अन्तर्गत जाति प्रमाण-पत्र में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	36-37
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली अन्तर्गत मिसिंग लिंक योजनान्तर्गत आगणनों को स्वीकृति प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	37-38
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के सेवरही सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	38
जनपद अमेठी के विकास खण्ड भादर अन्तर्गत मालती नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	38
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत बान नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	39
जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र चन्दौसी अन्तर्गत स्थित प्राचीन शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	39
उ0प्र0 सचिवालय में समीक्षा अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची को नियमावली, 1991 के नियम-5 के अनुसार बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	39-40
जनपद उन्नाव के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग में आवंटित धनराशि के लैप्स हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	40
लखनऊ के तेलीबाग चौराहे पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	40-41
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	41-42
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड अन्तर्गत 132/33 विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	42
जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर अन्तर्गत ग्राम प्यारेपुर से प्रा0 विद्यालय प्यारेपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	42-43
जनपद प्रयागराज के तहसील हंडिया के अन्तर्गत ग्राम रामनगर में रोड को कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना..	43

विषय	पृष्ठ संख्या
बेसिक शिक्षा परिषद् के शासनादेश 6865/7043, दिनांक 21-08-2016 द्वारा विभिन्न जनपदों में स्थानान्तरित होकर जनपद सहारनपुर में पदावनत होने वाले शिक्षकों को पे-प्रोटेक्शन न देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	43-44
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के ग्राम शिवदीन खेड़ा में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	44
प्रदेश में कोरोना का नया वेरियेंट ओमिक्रोन से सुरक्षा उपाय किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	44-45
उ0प्र0 विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2019-2020) का अट्ठारहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	45
उ0प्र0 विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2019-2020) का उन्नीसवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	45
उ0प्र0 सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2019-2020) का तेरहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)...	45-46
उ0प्र0 सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2019-2020) का चौदहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)... ...	46
उ0प्र0 सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2019-2020) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)... ...	46
उ0प्र0 सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2019-2020) का सोलहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)... ...	46
उ0प्र0 सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2019-2020) का सत्रहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)... ...	46
उ0प्र0 सत्रहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2019-2020) का अष्टम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	46
उ0प्र0 सत्रहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2019-2020) का नवम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	47
उ0प्र0 सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का बारहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)...	47
उ0प्र0 सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का तेरहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)...	47

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री गौरी शंकर वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	48
श्री कारिन्दा सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित 09 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	48-49
श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	49
श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 27 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	49-52
श्री बहोरनलाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 10 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	52-53
श्री भूपेश चौबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद सोनभद्र से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	53
श्री रोशन लाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित 10 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	53-54
श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 15 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	54-56
श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित 07 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	56-57
श्री उज्जवल रमण सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	57
श्री बृजेश कुमार रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ और जनपद अमेठी से सम्बधित 01 याचिका (उपस्थित की हुई मानी गईं)	57
श्री मो0 फईम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित 09 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)	58
श्री सत्यवीर त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गईं)...	59
कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	59-60

विषय	पृष्ठ संख्या
विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनाएँ ...	60-61
श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, सदस्य, विधान सभा द्वारा उनके एवं उनके पिता जी के मोबाइल नं0 टेप किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 25 अगस्त, 2020 को विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	61-62
श्री विजय कुमार राजभर, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा विशेषाधिकार हनन की सूचना	62
उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु विधान मण्डल के दोनों सदनों से दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	62-64
उ0प्र0 माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित) ...	64-66
उ0प्र0 औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) (संशोधन) विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित)	66
उ0प्र0 अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित) ...	66-67
उ0प्र0 राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित) ...	67
उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित)	67
उ0प्र0 शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित) ...	67-68
उ0प्र0 (चतुर्थ) निरसन विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित)	68
उ0प्र0 मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित) ...	68-69
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ	69-91
माननीय मुख्य मंत्री द्वारा मध्याह्न भोजन एवं सायं 04 बजकर 30 मिनट पर फोटोग्राफी की सूचना	91
उ0प्र0 माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 (पारित)... ...	91-101
उ0प्र0 औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) (संशोधन) विधेयक, 2021 (पारित)	101-104
उ0प्र0 अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2021 (पारित) ...	104-107
उ0प्र0 राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (पारित) ...	107-110
उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2021 (पारित)	110-113
उ0प्र0 शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 (पारित) ...	113-116

विषय	पृष्ठ संख्या
उ0प्र0 (चतुर्थ) निरसन विधेयक, 2021 (पारित)...	116-118
उ0प्र0 मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2021 (पारित)... ...	118-121
वित्तीय वर्ष 2021-2022 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान, वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्यय (अन्तरिम) एवं उसके एक भाग के लिए लेखानुदान	121-149
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	149-153
उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, पी0सी0एस0 2015 की भर्ती की सी0बी0आई0 जांच में हुई प्रगति एवं चार्जशीट जमा किये जाने तथा दोषियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में श्रीमती बन्दना सिंह की नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य (स्थगित)	153
जनपद महाराजगंज के अन्तर्गत नेपाल बार्डर से भारी मात्रा में हो रही मटर की तस्करी रोके जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम सागर पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मा0 मुख्य मंत्री का वक्तव्य	153-154
जनपद सीतापुर के विकास खण्ड रामपुर मथुरा में नामांकन दाखिल न करने दिये जाने के प्रकरण की जांच के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य	154
जनपद शाहजहाँपुर के अन्तर्गत किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों के खाते से निकाले जाने के सम्बन्ध में श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य	154-155
जनपद मथुरा में लोक निर्माण विभाग द्वारा बल्देव-बरौली कैलाश मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मा0 उप मुख्य मंत्री का वक्तव्य	155-156
जनपद शाहजहाँपुर की नगर पंचायत निगोही का सीमा विस्तार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	156
प्रदेश सरकार की सभी सरकारी सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आरक्षित वर्गों की भांति उम्र की सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में कुंवर रघुराज प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	156

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक में वर्ष 2016 में जारी विज्ञापन के श्रेणी 3 एवं 4 के कर्मचारियों का स्थायीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीकान्त कटियार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	156-157
जनपद मथुरा के अन्तर्गत पर्यटन निदेशालय की कार्य योजना का क्रियान्वयन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमिताभ बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यटन मंत्री का वक्तव्य	157-158
उ0प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज गुप्ता द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	158
जनपद अयोध्या के नगर पालिका परिषद् रुदौली में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	158-159
जनपद गोण्डा नगर मुख्यालय के अन्तर्गत रिंग रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रतीक भूषण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	159
जनपद अलीगढ़ में उप जिलाधिकारी द्वारा भूमि के सम्बन्ध में दिये गये एकपक्षीय आदेश की पुनः जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मा0 मुख्य मंत्री का वक्तव्य	159-160

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-356

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
2. अजय कुमार, डॉ0 — प्रयागराज
3. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
4. अजय कुमार सिंह "अजय सिंह", श्री — बस्ती
5. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
6. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
7. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
8. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
9. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
10. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
11. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
12. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
13. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
14. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकरनगर
15. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
16. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
17. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
18. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
19. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
20. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
21. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
22. अमन मणि त्रिपाठी — महाराजगंज
23. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
24. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
25. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
26. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
27. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
28. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
29. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
30. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
31. अवधेश सिंह, प्रो0 (डॉ0) — वाराणसी
32. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
33. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
34. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
35. असलम अली, श्री — हापुड़
36. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
37. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
38. आनन्द शुक्ला, श्री — चित्रकूट
39. आर0के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
40. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
41. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
42. आशीष सिंह पटेल ''आशू'', श्री — हरदोई
43. आशुतोष उपाध्याय श्री — देवरिया
44. आशुतोष टण्डन "गोपाल जी", श्री — लखनऊ
45. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
46. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
47. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
48. उज्जवल रमण सिंह, श्री — प्रयागराज
49. उदयभान सिंह, चौ0 — आगरा
50. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
51. उपेन्द्र नाथ पासवान, श्री — कानपुर नगर
52. उमाशंकर सिंह, श्री — बलिया

53. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
54. उषा सिरोही, श्रीमती बुलन्दशहर
55. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
56. ओमकुमार, श्री बिजनौर
57. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
58. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
59. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
60. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
61. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
62. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
63. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
64. काली प्रसाद, श्री देवरिया
65. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
66. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
67. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
68. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
69. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
70. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
71. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
72. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
73. गंगा, श्री कुशीनगर
74. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
75. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
76. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
77. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
78. गौरी शंकर, श्री जालौन
79. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
80. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
81. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
82. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
83. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 प्रयागराज
84. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
85. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
86. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
87. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
88. जयमंगल, श्री महाराजगंज
89. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
90. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री मेरठ
91. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
92. जी0एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
93. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
94. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
95. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
96. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
97. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
98. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
99. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
100. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
101. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
102. दिनेश खटीक, श्री मेरठ
103. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
104. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
105. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
106. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
107. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
108. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
109. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
110. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
111. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
112. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
113. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
114. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
115. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
116. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
117. नईम उल हसन, श्री बिजनौर

118. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
119. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री प्रयागराज
120. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
121. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
122. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
123. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
124. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
125. नसीर अहमद खाँ, श्री रामपुर
126. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
127. नाहिद हसन, श्री शामली
128. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
129. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
130. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
131. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
132. नीलम करवरिया, श्रीमती प्रयागराज
133. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
134. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
135. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
136. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
137. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
138. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
139. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
140. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
141. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
142. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
143. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
144. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
145. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
146. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
147. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
148. प्रवीण कुमार सिंह प्रयागराज
149. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
150. प्रेमपाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
151. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
152. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
153. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
154. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
155. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
156. बाबा गोरखनाथ, श्री अयोध्या
157. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
158. बावन सिंह, श्री गोण्डा
159. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
160. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
161. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
162. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
163. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
164. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
165. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
166. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
167. बृजेश पाठक, श्री लखनऊ
168. बृजेश श्री सहारनपुर
169. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
170. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
171. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
172. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
173. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
174. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
175. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
176. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
177. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
178. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
179. मसूद अख्तर, श्री सहारनपुर
180. महबूब अली, श्री अमरोहा
181. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
182. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
183. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा

184. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
185. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
186. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
187. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
188. मानवेन्द्र सिह, श्री शाहजहाँपुर
189. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
190. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
191. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
192. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री प्रयागराज
193. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
194. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
195. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
196. युवराज सिंह, श्री हमीरपुर
197. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
198. योगेश धामा, श्री बागपत
199. योगेश वर्मा, श्री खीरी
200. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
201. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
202. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
203. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
204. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
205. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
206. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
207. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
208. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
209. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
210. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
211. रवि शर्मा, श्री झांसी
212. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
213. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
214. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
215. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
216. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
217. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
218. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
219. राज करन कबीर, श्री बांदा
220. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
221. राजकुमार पाल, श्री प्रतापगढ़
222. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
223. राजबाला सिंह, श्रीमती रामपुर
224. राजमणि कोल, श्री प्रयागराज
225. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
226. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
227. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
228. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
229. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
230. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
231. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
232. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
233. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
234. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
235. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
236. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
237. राम चन्द्र यादव, श्री अयोध्या
238. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
239. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
240. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
241. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
242. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
243. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
244. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
245. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
246. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर

247. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
248. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
249. लकी यादव, श्री जौनपुर
250. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
251. लाखन सिंह, श्री औरैया
252. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
253. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
254. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
255. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
256. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
257. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
258. विक्रमाजीत मौर्य, श्री प्रयागराज
259. विजय कुमार राजभर, श्री मऊ
260. विजय पाल (आढ़ती), श्री हापुड़
261. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
262. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
263. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
264. विनय शाक्य, श्री औरैया
265. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
266. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
267. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
268. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
269. विमलेश पासवान, डॉ0 गोरखपुर
270. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
271. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
272. वीरेन्द्र, श्री एटा
273. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री अयोध्या
274. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
275. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
276. शशांक वर्मा, श्री खीरी
277. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
278. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
279. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
280. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
281. शीतला प्रसाद पप्पू पटेल, श्री कौशाम्बी
282. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
283. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
284. शैलेश कुमार सिंह शैलू, श्री बलरामपुर
285. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती अयोध्या
286. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
287. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
288. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
289. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
290. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
291. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
292. श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
293. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
294. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
295. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
296. संगीता चौहान, श्रीमती अमरोहा
297. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
298. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
299. संजय, श्री बुलन्दशहर
300. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
301. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
302. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
303. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
304. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
305. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
306. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
307. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
308. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
309. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
310. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
311. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
312. सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू, डॉ0 देवरिया

313. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
314. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
315. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
316. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
317. सहेन्द्र सिंह चौहान, श्री बागपत
318. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
319. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
320. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
321. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री प्रयागराज
322. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
323. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
324. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
325. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
326. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
327. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
328. सुभाष राय, श्री अम्बेडकरनगर
329. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
330. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
331. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
332. सुरेश कुमार, श्री शामली
333. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
334. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
335. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
336. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
337. सुशान्त सिंह, कुँ0 बिजनौर
338. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
339. सुशील सिंह, कुँ0 चन्दौली
340. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
341. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
342. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
343. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
344. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
345. सौरभ सिंह, श्री खीरी
346. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
347. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
348. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
349. हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
350. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
351. हरीराम, श्री सोनभद्र
352. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
353. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री प्रयागराज
354. हाकिम लाल बिन्द, श्री प्रयागराज
355. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
356. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोट :- माननीय मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ) तथा उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य) भी सदन में उपस्थित थे।

नेता विरोधी दल द्वारा प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था सम्बन्धी अपनी नियम-311 की सूचना पर सदन की कार्यवाही रोक कर सदन में चर्चा कराये जाने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी) -

मा0 अध्यक्ष जी, प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। चंदौली में पुलिस द्वारा हमारे वर्तमान विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव जी को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को घनघोर तरीके से लाठी से मारा-पीटा गया और उनके कपड़े भी फाड़ दिये गये।

(इसी मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक सदस्यगण सदन के बेल में आकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे, जिसके कारण घोर व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गयी।)

(बेल से अजय मिश्रा 'टेनी' को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। किसानों के हत्यारों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। किसानों के साथ न्याय हो, न्याय हो के नारे लगाने लगे।)

(तत्पश्चात् समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्यगण भी सदन के बेल में आकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

अब हम कार्य-सूची से मद संख्या-1 लेते हैं, माननीय वित्त मंत्री जी, आप अनुदान की मांगें प्रस्तुत करें।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2021-2022 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक (अन्तरिम) प्रस्तुतीकरण

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक (अन्तरिम) को प्रस्तुत करता हूँ।

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के एक भाग के लिए लेखानुदान प्रस्तुतीकरण

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2022-2023 के एक भाग के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करता हूँ।

प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-4 में प्रश्नोत्तर हैं और सभी प्रश्न उत्तरित माने जायेंगे।†

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश मण्डी परिषद को विभिन्न वित्तीय वर्षों में मण्डी शुल्क के रूप में प्राप्त हुई धनराशि का विवरण तथा मण्डी शुल्क में आयी कमी के कारणों के सम्बन्ध में

***1-श्री मौहम्मद फईम इरफान-**

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2017-2018, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में उत्तर प्रदेश में मण्डी परिषद को मण्डी शुल्क के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि मण्डी शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि में कमी आयी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त के कारणों का ब्यौरा सदन के पटल पर रखते हुए मण्डियों की सहायता हेतु कोई आर्थिक पैकेज देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान, कृषि विपणन, कृषि, विदेश व्यापार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीराम चौहान)-

अवधि प्राप्त मण्डी शुल्क (करोड़ रुपयों में) 2017-18, 1075.92, 2018-19 1258.52, 2019-20 1390.60, 2020-21 620.81 जी हाँ। मण्डी परिषद का प्राथमिक उद्देश्य किसानों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य और व्यापक बाजार उपलब्ध कराना है। इस दिशा में प्रयासरत रहते हुए ई-नाम की स्थापना एवं भारत सरकार के अध्यादेश दिनांक 05 जून, 2020 व तत्क्रम में केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 संख्या-46 दिनांक 27 सितम्बर, 2020 के द्वारा कृषि जिन्सों का व्यापार मण्डी परिसर के बाहर करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी थी। मण्डी परिसर के बाहर निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के व्यापार को मण्डी शुल्क से मुक्त कर दिया गया था। मण्डी परिसर के अंदर निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के व्यापार पर मण्डी शुल्क घटाकर 2 प्रतिशत से 1 प्रतिशत कर दिया गया है तथा 45 फल सब्जी के कृषि उत्पादों को गैर निर्दिष्ट कृषि जिन्स प्रख्यापित कर मण्डी शुल्क से मुक्त किया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत मण्डी शुल्क की धनराशि में वित्तीय वर्ष 2020-21 में कमी आयी। भारत सरकार के अद्यतन अधिसूचना संख्या-57 दिनांक

---

† नोट :- उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

01-12-2021 के द्वारा कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 को निरस्त कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप मण्डी का कार्यक्षेत्र मण्डी परिसर के बाहर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रभावी हो गया है। अद्यतन मण्डियों को किसी आर्थिक सहायता का औचित्य नहीं पाया गया है।

कोई प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उत्पादित फसलों में प्रतिवर्ष नये-नये रोग, फफूंदी व खरपतवारों की रोकथाम हेतु सरकार के द्वारा बनाई गई योजना के सम्बन्ध में

***2-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उत्पादित फसलों में प्रतिवर्ष नये-नये प्रकार के रोगों, फफूंदियों और खरपतवारों के पैदा होने की समस्या सरकार के संज्ञान में है ? यदि हाँ, तो उक्त की रोकथाम हेतु सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हाँ, तो क्या, यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

जी हाँ।

जी हाँ।

फसलों में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों, कीटों और खरपतवारों की रोकथाम हेतु नियमित रूप से कीट/रोग सर्वेक्षण किया जाता है तथा व्यक्तिगत सम्पर्क, एडवाइजरी, समाचार-पत्रों, मेलों, गोष्ठियों आदि के माध्यम से उनके रोकथाम हेतु कृषकों को उपयुक्त सुझाव दिये जाते हैं। कृषि विभाग द्वारा 'विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना' संचालित है जिसके अन्तर्गत कृषकों को निम्नलिखित सुविधाएं देकर लाभान्वित किया जा रहा है :-

(1) समस्त कृषकों को बायोपेस्टीसाइड्स, बायोएजेण्ट्स तथा बीज शोधन हेतु बीज शोधन रसायनों पर 75 प्रतिशत अनुदान।

(2) फसलों में कीट, रोग एवं खरपतवार नियंत्रण हेतु लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि रक्षा रसायनों पर 50 प्रतिशत अनुदान।

(3) लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि रक्षा यंत्रों तथा सुरक्षित अन्न भण्डारण हेतु बखारियों पर 50 प्रतिशत अनुदान।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पेट्रोल एवं डीजल चलित वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसों से पर्यावरण को बचाने हेतु बैट्री चलित वाहनों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में

***3-श्री संजय गर्ग-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डीजल एवं पेट्रोल चलित वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसों में आमजन एवं पर्यावरण को बचाने के लिए बैट्री चलित वाहनों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार ने कोई नीति बनाई है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

जी हाँ।

1-अधिसूचना संख्या-580/77-6-19-एल0सी0 02/18, दिनांक 13 अगस्त 2021 द्वारा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति 2019 निर्गत की गयी है। नीति के तीन प्रमुख घटक निम्नवत हैं :-

विनिर्माण

चार्जिंग अवस्थापना सुविधाएं

मांग का सृजन

2-इस नीति के उद्देश्य निम्नवत हैं :-

(क) राज्य में हरित पर्यावरण के सृजन हेतु राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण को प्रोत्साहित करना।

(ख) इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग में निवेश आकर्षित करने हेतु उत्तर प्रदेश को पसंदीदा गन्तव्य के रूप में स्थापित करना।

(ग) इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति पक्ष तथा मांग पक्ष दोनों से रोजगार के अवसर पैदा करना।

(घ) आंतरिक दहन (आईसी) इंजन से इलेक्ट्रिक वाहन में बदलाव के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना।

(ङ) संक्रमण अवधि में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों तथा प्लग-इन इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

(च) राज्य में इलेक्ट्रिक गतिशीलता (मोबिलिटी) को बढ़ावा देने वाले उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानव संसाधन विकसित करना तथा विद्युत क्षमता व उपलब्धता में वृद्धि करना।

(छ) उत्पादन चरण से निस्तारण चरण तथा बैटरी प्रबन्धन हेतु एक सुदृढ़ एवं स्थाई पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अन्तर्गत जनपदों का चयन, चयनित जनपदों में प्रोडक्ट का उत्पादन, विनिमय तथा योजना लागू होने के बाद संबंधित जनपदों में उपरोक्त प्रोडक्ट से प्राप्त राजस्व के सम्बन्ध में

***4-श्री नाहिद हसन-**

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अन्तर्गत कुल कितने जनपदों का चयन, किस-किस प्रोडक्ट हेतु किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि चयनित जनपदों में प्रोडक्ट के उत्पादन, विनिमय आदि में कार्यरत कामगारों को सरकार ने क्या-क्या सहायता उपलब्ध कराई है तथा योजना लागू होने के बाद संबंधित जनपदों में उपरोक्त प्रोडक्ट के विक्रय से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ? क्या सरकार उपरोक्त योजना में जनपद शामली में किये गये उपाय का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा खादी ग्रामोद्योग मंत्री (श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह)-

ओ0डी0ओ0पी0 योजना के अन्तर्गत समस्त 75 जनपदों से उत्पाद/उत्पादों का चयन किया गया है, जिसकी सूची संलग्न है।

ओ0डी0ओ0पी0 योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा चयनित जनपदों में प्रोडक्ट के उत्पादन, विनिमय आदि में कामगारों को सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित योजनाएं चलायी जा रही हैं :-

1-एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना-

योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा उद्योगों हेतु वित्त पोषण किया जा रहा है तथा उक्त के सापेक्ष प्राप्त दावों के विरुद्ध सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ओ0डी0ओ0पी0 योजनान्तर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जा रही है। परियोजना लागत देय मार्जिन मनी रु0 25.00 लाख तक परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रुपये 6.25 लाख जो भी कम हो। रुपये 25.00 लाख से अधिक एवं रुपये 50.00 लाख तक की परियोजना लागत का 20 प्रतिशत अथवा रुपये 6.25 लाख, जो भी अधिक हो।

रुपये 50.00 लाख से अधिक एवं रुपये 150.00 लाख तक की परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अथवा रुपये 10.00 लाख, जो भी अधिक हो। रुपये 150.00 लाख से अधिक की परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम रुपये 20.00 लाख, जो भी कम हो। वित्तीय वर्ष 2020-21 से उक्त मार्जिन मनी की धनराशि हेतु ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गयी है।

2-सामान्य सुविधा केन्द्र प्रोत्साहन योजना-

इस योजना के अन्तर्गत जनपद के चिन्हित उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपणन तक के अवयवों जैसे कच्चा माल, डिजाइन, गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण, पैकेजिंग आदि की सुविधाओं हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित किये जाने का प्राविधान है। कुल रुपये 15 करोड़ तक की लागत की परियोजनाएं योजनान्तर्गत स्थापित की जा सकती हैं। उक्त हेतु प्रदेश सरकार द्वारा कुल परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक राज्य सरकार के अंशदान के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।

3-एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना-

इस योजना के अन्तर्गत चिन्हित उत्पादों को एक ब्राण्ड के रूप में स्थापित करने तथा विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेला, प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने तथा ई-मार्केटिंग के माध्यम से विपणन हेतु सुविधा प्रदान किये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत उक्त मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने वाले इच्छुक हस्तशिल्पियों, उद्यमियों को मेला स्थल तक माल ढुलाई, स्टाल चार्जेज, यात्रा हेतु किया गया व्यय आदि हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उक्त के अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक कॉमर्स की प्रतिष्ठित वेबसाइट अथवा पोर्टल के माध्यम से किये गये व्यवसाय में हुए व्यय का 75 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

4-प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना-

इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित किये गये उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चिन्हित किये गये ओ0डी0ओ0पी0 उत्पादों के निर्माण हेतु चिन्हित उत्पाद की विधा में उचित प्रशिक्षण एवं आधुनिक टूलकिट उपलब्ध कराकर उत्पाद की गुणवत्ता सुधार के साथ-साथ कम श्रम, लागत एवं कम समय में गुणात्मक उत्पादन सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई।

ओ0डी0ओ0पी0 योजना के अन्तर्गत स्थानीय उद्यमियों, कारीगरों, हस्तशिल्पियों को वित्त पोषण, विपणन आदि के क्षेत्र में हैण्ड होल्डिंग एवं प्रोत्साहित किया जाता है। विभिन्न ई-कॉमर्स की संस्थाओं यथा अमेजॉन, फ्लिपकॉर्ट आदि पर ऑन बोर्डिंग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। राजस्व से सम्बन्धित आंकड़ों का संचय विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

1-जनपद शामली में ओ0डी0ओ0पी0 वित्त पोषण योजनान्तर्गत अद्यतन रुपये 546.00 लाख परियोजना लागत की इकाइयां स्थापित की गयी हैं जिनके द्वारा लगभग 550 लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

2-ओ0डी0ओ0पी0 प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजनान्तर्गत जनपद शामली के 800 कारीगरों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया है जिसमें 550 लोगों को निःशुल्क टूलकिट उपलब्ध कराई जा चुकी है। अवशेष 250 कारीगरों को निःशुल्क टूलकिट प्रदान किया जाना प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

अतारांकित प्रश्न

1-हाजी इरफान सोलंकी-

[01-सोमवार के अतारांकित प्रश्न सं0-16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में लोगों को भीख मांगने से रोकने हेतु भीख मांगने की अनुमति देने हेतु मानक निर्धारित करने संबंधी

2-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हट्टे-कट्टे लोगों में भीख मांगने की बढ़ती प्रथा को रोकने हेतु भिखारियों को भीख मांगने की अनुमति देने हेतु मानक निर्धारित करने की योजना सरकार बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री रमापति शास्त्री) -

जी नहीं।

प्रदेश में उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975 लागू है, जिसमें भिक्षावृत्ति को बढ़ावा न देने तथा इस कार्य में लिप्त व्यक्तियों को पुनर्वासित कर रोजगारपरक बनाने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने का प्राविधान किया गया है। साथ ही भिक्षावृत्ति का प्रतिषेध और निराश्रितों की सहायता करने का विस्तृत प्रावधान किया गया है।

जनपद उन्नाव, तहसील बीघापुर, ब्लाक पुरवा, ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर के ग्राम रम्भाखेड़ा के कतिपय किसानों की रुकी हुई किसान सम्मान निधि की धनराशि को उनके बैंक खातों में भेजने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र सं0 क-6 नं0 477836 दिनांक 23-09-2021 पर कार्यवाही विषयक

3-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर की ब्लाक पुरवा, ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर के ग्राम रम्भाखेड़ा के कतिपय किसानों की रुकी हुई किसान सम्मान निधि की निर्धारित धनराशि सम्बन्धित किसानों के बैंक खातों में भेजे जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-क-6 नं0 477836, दिनांक 23-09-2021 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र में क्रम संख्या-1 पर अंकित श्री छोटे लाल पुत्र श्री गजोधर का नाम पोर्टल पर पंजीकृत है लेकिन उनका डाटा अपात्र में लॉक है। उक्त डॉटा को डी0डी0 लॉगिन पर खोले जाने हेतु वांछित अभिलेख कृषक के गांव से बाहर होने के कारण प्राप्त नहीं है। मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र में क्रम संख्या-2 पर अंकित श्री शिवलाल पुत्र

श्री सुखदीन का खाता संख्या एक अन्य शिवलाल पुत्र नारायण के आधार संख्या पर लगा होने के कारण 5 किस्त प्राप्त होने के बाद रोक लगा दी गयी है। सम्बन्धित कृषक द्वारा जनसेवा केन्द्र के माध्यम से अपने नये खाते एवं वास्तविक आधार संख्या पर भारत सरकार के पी0एम0 किसान पोर्टल पर पंजीकरण करा लिया गया है, जिनका विवरण भारत सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त होने पर सत्यापन के उपरान्त भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र में क्रम संख्या-3 पर अंकित श्री राजकिशोर पुत्र श्री सुखदीन के नाम से 9 किस्तों का भुगतान उनके द्वारा पंजीकरण कराये गये खाता संख्या में किया जा चुका है।

मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र में क्रम संख्या-4 पर अंकित श्री रज्जन लाल पुत्र श्री सुखदीन द्वारा पंजीकरण में उपलब्ध कराये गये बैंक का विलय अन्य बैंक में हो जाने के कारण उनका भुगतान आधार बेस पेमेंट में भेज दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में देशी शराब की दुकानों को नीलामी के माध्यम से आवंटित किये जाने विषयक

4-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत वर्षों से देशी शराब की दुकानों की नीलामी न कराकर लाइसेंस नवीनीकरण के आधार पर दुकानें संचालन करने के कारण नये व्यवसायियों को शराब व्यवसाय करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में देशी शराब की दुकानें नीलामी के माध्यम से आवंटित किये जाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री रामनरेश अग्निहोत्री) -

जी नहीं।

वर्ष 2018-19 में आबकारी विभाग की समस्त देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर, भांग की फुटकर दुकानों सहित मॉडल शॉप्स का व्यवस्थापन ई-लाटरी के माध्यम से किया गया था। वर्ष 2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-22 हेतु फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन, नवीनीकरण के माध्यम से कराये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है, जिसमें नवीनीकरण के माध्यम से व्यवस्थित न होने वाली दुकानों का पहले ई-लाटरी एवं तत्पश्चात् ई-टेण्डर के माध्यम से अधिकतम पांच से सात चरणों में व्यवस्थापन कराया जाता रहा है। इस प्रकार फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन, नवीनीकरण, ई-लाटरी एवं ई-टेण्डर तीनों प्रकार से किया जा रहा है। उपरोक्त तीनों प्रकार से व्यवस्थापन कराये जाने के कारण दुकानों का व्यवस्थापन सुचारु रूप से हो रहा है तथा राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि के अतिरिक्त पुराने व्यवसायियों के साथ नये व्यवसायियों को

भी पारदर्शी तरीके से शराब के व्यवसाय में अवसर मिल रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि आबकारी नीति के अनुसार प्रत्येक वर्ष 02 प्रतिशत की सीमा के अन्दर नवसृजित की जाने वाली दुकानों की ई-लॉटरिंग करायी जाती है, जिसमें नये व्यवसायियों को रोजगार का अवसर प्राप्त होता है।

प्रदेश में नयी सरकार गठन के उपरान्त आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन/आवंटन में पूर्ण पारदर्शिता बरतने हेतु वर्ष 2018-2019 की आबकारी नीति में समस्त आबकारी दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी के माध्यम से किये जाने का प्राविधान किया गया, जिसमें अधिक से अधिक आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन के दृष्टिगत निर्धारित शर्तों एवं देयताओं को पूरा करने तथा अनुज्ञापियों की इच्छा पर उनके अनुज्ञापनों को वर्ष 2019-2020 हेतु नवीनीकरण अनुमन्य किये जाने की सुविधा अनुमन्य की गयी। वर्ष 2020-2021 एवं 2021-2022 में आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन का प्राविधान मदिरापान को जिम्मेदार एवं सुरक्षित सीमा में रखे जाने, शराब माफियाओं के प्रभुत्व को समाप्त करने, दुकानों के आवंटन में पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा आवंटन प्रक्रिया में मानव हस्तक्षेप को समाप्त करने, प्रक्रियाओं के सरलीकरण और समस्त स्टाक होल्डर्स को प्रत्येक स्तर की जानकारी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुलभ कराने, ईज ऑफ डुइंग, बिजनेस एवं गुड गवर्नेन्स के साथ अवैध मदिरा निर्माण एवं विक्रय पर पूर्ण नियंत्रण रखने, राजस्व क्षति एवं चोरी रोकने, अधिकतम राजस्व अर्जन करने, उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त मदिरा की उचित मूल्य पर उपलब्धता के साथ मदिरा व्यवसाय को स्थायित्व प्रदान करने के उद्देश्य से नवीनीकरण की व्यवस्था अपनायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में एफ0डी0सी0 कृषक सेवा केन्द्र पर डी0ए0पी0 उर्वरक उपलब्ध कराने विषयक

5-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की विधान सभा क्षेत्र रुधौली में एफ0डी0सी0 कृषक सेवा केन्द्र विगत कई वर्षों से इफको उर्वरक का व्यवसाय कर रहा है जबकि वर्तमान में रबी सीजन में गेहूँ की बुआई के लिए डी0ए0पी0 खाद की उपलब्धता न होने के कारण रबी की बुआई आदि प्रभावित हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार रबी की बुआई को ध्यान में रखते हुए एफ0डी0सी0 कृषक सेवा केन्द्रों पर डी0ए0पी0 उर्वरक उपलब्ध करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जनपद बस्ती में विधान सभा क्षेत्र रुधौली में स्थित आई0एफ0डी0सी0 कृषक सेवा केन्द्र, हनुमानगंज, परसाखाल, रेंगी, नौगढ़वा, पिरैला, गरीब, बहैरिया, अर्जुन ब्यूरो उर्वरक बिक्री

केन्द्र को रबी सीजन में दिनाक 08-12-2021 तक इफको की 300 मी0 टन यूरिया, 80 मी0 टन डी0ए0पी0 एवं 150 मी0 टन एन0पी0एस0 उपलब्ध कराई गई है।

उक्त के अतिरिक्त माह अक्टूबर, 2021 से दिनांक 08-12-2021 तक विधान सभा क्षेत्र रुधौली में 22 साधन सहकारी समितियों को 406.90 मी0 टन यूरिया एवं 1478.60 मी0 टन डी0ए0पी0 इफको कम्पनी को कृषकों में वितरण हेतु उपलब्ध कराई गई है।

जनपद बस्ती के रुधौली में डी0ए0पी0 की मांग के अनुरूप उपलब्धता है। डी0ए0पी0 की कमी से रबी फसलों की बुआई प्रभावित नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2021

(उ0प्र0 अध्यादेश संख्या-8 सन् 2021)

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उ0प्र0 अध्यादेश संख्या-8 सन् 2021) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश मोटरयान काराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2021

(उ0प्र0 अध्यादेश संख्या-9 सन् 2021)

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटरयान काराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उ0प्र0 अध्यादेश संख्या-9 सन् 2021) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2021

(उ0प्र0 अध्यादेश संख्या-10 सन् 2021)

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उ0प्र0 अध्यादेश संख्या-10 सन् 2021) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-847/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(198)-2021, दिनांक 02 सितम्बर, 2021

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-847/ ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (198)-2021, दिनांक 02 सितम्बर,

2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (बावनवां संशोधन) नियमावली, 2021

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-848/ग्यारह-2-21-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (199)-2021, दिनांक 02 सितम्बर, 2021 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (बावनवां संशोधन) नियमावली, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1040/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(201)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1040/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (201)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1042/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(203)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1042/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(203)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1043/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(204)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1043/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (204)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1044/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(205)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1044/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(205)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1045/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(206)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1045/ ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (206)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1133/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(207)-2021, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1133/ ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(207)-2021, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

(व्यवधान जारी)

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, यह लोग यहाँ पर जिस तरह का आचरण कर रहे हैं, उसे देखते हुए मेरा अनुरोध है कि यदि आप उचित समझें तो 10-15 मिनट के लिए हाउस को स्थगित करवा दें। इससे एक मैसेज जाता है मेरा अनुरोध है कि हाउस को व्यवस्थित करवा दें।

श्री अध्यक्ष-

प्रतिपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया गया है। आप दो-तीन मदें और ले लें।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1147/ग्यारह-9-1-2008-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश(208)-2021, दिनांक 04 नवम्बर, 2021

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1147/ग्यारह-9-1-2008-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश (208)-2021, दिनांक 04 नवम्बर, 2021 को उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2008) की धारा-4 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

उ0प्र0 सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2019-2020 (01-04-2019 से 31-03-2020)

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उ0प्र0 सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2019-2020 (01-04-2019 से 31-03-2020) को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-25(4) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग एवं जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2021

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट-माप अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-2028/84-2-2021-सी0एन0-957154, दिनांक 6 अक्टूबर, 2021 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग एवं जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2021 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा-105(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-186 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-176 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

लोक आयुक्त, उ0प्र0 के विशेष प्रतिवेदन संख्या-09-2014(लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त, उ0प्र0 के विशेष प्रतिवेदन संख्या-09-2014(लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

उप लोक आयुक्त, उ0प्र0 के विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2010(उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उप लोक आयुक्त, उ0प्र0 के विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2010 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-23 में कुछ नहीं है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप बैठिये।

(घोर व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, आप लोग अपनी-अपनी सीट पर जाइये।

(विपक्ष के सदस्यों के वेल में उपस्थित रहने एवं नारे लगाते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन की कार्यवाही को आधे घण्टे के लिए स्थगित करता हूँ ।

(मार्शल, विधान सभा ने सदन को सूचित किया कि अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है)

(मार्शल, विधान सभा ने सदन को सूचित किया कि अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12 बजकर 35 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है)

(12 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष-

आज 301 की 40 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

अन्तरिम बजट, एक भाग के लिए लेखा अनुदान एवं द्वितीय अनुपूरक अनुदान को पूर्व परम्परा के अनुसार सदन में पढ़े जाने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पुटअप तो कर दिया लेकिन उसको पढ़ने की परम्परा है, पढ़े ही नहीं हैं। हम लोगों ने तो सुना ही नहीं न आप लोगों ने भी सुना होगा। इसको पहले पढ़ लें।

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने यह नहीं बताया कि क्यों नहीं पढ़ पाये, यह भी बता देते तो उनको हम धन्यवाद दे देते। इन्होंने यहाँ पर जो माहौल पैदा किया है, जब यह सत्ता में थे तो 4 साल में जो माहौल दिखाते रहे वही माहौल आज यहाँ भी ले आये। कम से कम जनता ने उसका फैसला वर्ष 2017 में दे दिया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जब इतना मद आपने रख दिया तो दो लाइन तो पढ़ दिये होते। आपने स्वयं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह किया कि सदन को स्थगित कर दीजिये, हमने तो कहा नहीं। सदन को स्थगित करने की बात संसदीय कार्य मंत्री जी/वित्त मंत्री जी ने कही है, विपक्ष ने सदन स्थगित करने की कोई बात नहीं की, आपने हमारी मदद की उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और फिर जब आपने हमारी मदद की तो हम आपकी मदद कर रहे हैं। जब आपने सदन स्थगित किया है, तो इसे मान लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

अब आप दोनों हमारी मदद कीजिये।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, जब हम कोई भाषण पढ़ते हैं, तो पहले एक लाइन पढ़ते हैं, तब पढ़ा हुआ मान लिया जाता है। माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण है, उसको एक लाइन भी नहीं पढ़ा है। अगर एक लाइन पढ़ते तो आप कहते इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये, तो पढ़ा हुआ मान लिया जाता। इसलिए माननीय नेता विरोधी दल कह रहे हैं कि यह अन्तरिम बजट का भाषण है, एक लाइन तो पढ़ दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, इसको हम पूरा पढ़ दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2022-2023 का बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह अन्तरिम बजट है, इसमें केवल वचनबद्ध व्यय के अनुमान सम्मिलित किये गये हैं। इस समय पूर्ण बजट प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है क्योंकि प्रदेश में निकट भविष्य में विधान सभा चुनाव होंगे तथा नई सरकार का गठन होगा तथा परम्परा अनुसार पूर्ण बजट नई सरकार द्वारा सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस अन्तरिम बजट पर आधारित वित्तीय वर्ष 2022-2023 के एक भाग के लिए लेखानुदान भारत के संविधान के अनुच्छेद-203 के अधीन उल्लिखित प्राविधानों का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके साथ वार्षिक वित्तीय बिलों एवं वित्तीय स्थिति की समीक्षा प्रस्तुत है, जिसमें इस सदन के माननीय सदस्यों के प्रयोगार्थ आवश्यक सूचना का समावेश किया गया है।

मान्यवर, हम पूरा पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो सप्लीमेंट्री है। मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अब तो माननीय नेता प्रतिपक्ष संतुष्ट हैं ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, परम्परा थी, परम्परा पूरी होनी चाहिए थी।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 16-12-2021 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 40 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें से सभी माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं, स्वीकृत सूचनाएं संलग्न हैं।

प्रथम सूचना श्री उमेश मलिक की जनपद सीतापुर से विधान सभा क्षेत्र सिधौली के ग्राम हमीरपुर से महादेवा बाबा होते हुए एक सीधी सड़क सीतापुर रोड मुख्य मार्ग तक डामर रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य 'पप्पू भइया' की अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड-1, बदायूँ द्वारा जनप्रतिनिधियों से अभद्रता तथा कर्तव्य निर्वहन न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की स्मार्ट सिटी कानपुर के कार्यों की गुणवत्ता की जांच थर्ड पार्टी से कराने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री मयंकेश्वर शरण सिंह की जनपद उन्नाव के अन्तर्गत बांगरमऊ-माढ़ापुर-शिवपुरी मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना डॉ0 अरुण कुमार की जनपद बरेली में कोई बड़ा उद्योग न होने से बेरोजगारी बढ़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झाँसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के

गुरसरांय ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम गोरपुरा में चेकडैम कम रपटा बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री हाकिम लाल बिन्द की उ0प्र0 के वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेशों का विभागों द्वारा ठीक से अनुपालन न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की जनपद अम्बेडकर नगर के माया-टाण्डा मार्ग को फोर लेन बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ के नवसृजित विकास खण्ड मंगापुर उदयपुर को क्रियाशील कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री नरेश सैनी की जनपद सहारनपुर के शिवालिक क्षेत्र में बसे वन गुर्जरों को सरकार द्वारा विस्थापित किये जाने से उनके पुनर्वास की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री मसूद अख्तर की जनपद सहारनपुर कतिपय ग्रामों को विद्युत आपूर्ति हेतु शहरी फीडर से जोड़े जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की प्रदेश में किसान सम्मान निधि योजना के पात्र लाभार्थियों की त्रुटि सुधार कराकर सभी पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़े जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत कल्लरपुर गुर्जर के पास पूर्वी यमुना नहर पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना डॉ0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के अन्तर्गत फरीदपुर तहसील में मण्डी समिति स्थल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना डॉ0 नीरज बोरा की जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज-डालीगंज में आई0टी0आई0 की स्थापना में किये जा रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर के अन्तर्गत ग्राम नंगला शेखू में खड़ण्जा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा अन्तर्गत विभिन्न टोलों व मजरों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना 'प्रिंस' वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा अन्तर्गत धान खरीद में हो रही फर्जी खाताधारकों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत में शरणार्थी बांग्लादेशी नागरिकों को नागरिकता दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री सुभाष राय की जनपद अम्बेडकरनगर के तहसील जलालपुर अन्तर्गत समुचित मात्रा में धान क्रय केन्द्र खुलवाये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर के अन्तर्गत सरकारी/अर्द्ध सरकारी क्रय केन्द्रों पर धान खरीद में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री बृजेश कुमार की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान अन्तर्गत औरास में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है,

चौबीसवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत टोंस नदी पर बने अधूरे रिंग बन्धों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री संगीत सिंह सोम की जनपद हरदोई के अन्तर्गत जाति प्रमाण-पत्र में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली अन्तर्गत मिसिंग लिंक योजनान्तर्गत आगणनों को स्वीकृति प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री अजय कुमार लल्लू की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के सेवरही सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्रीमती गरिमा सिंह की जनपद अमेठी के विकास खण्ड भादर अन्तर्गत मालती नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत बान नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री मौ0 फईम इरफान की जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र चन्दौसी अन्तर्गत स्थित प्राचीन शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकतीसवीं सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह की उ0प्र0 सचिवालय में समीक्षा अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची को नियमावली, 1991 के नियम-5 के अनुसार बनाये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री बम्बा लाल की जनपद उन्नाव के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग में आवंटित धनराशि के लैप्स हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना श्री विजय कुमार राजभर की लखनऊ के तेलीबाग चौराहे पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री धनंजय कन्नौजिया की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड अन्तर्गत 132/33 विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर अन्तर्गत ग्राम प्यारेपुर से प्रा0 विद्यालय प्यारेपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री त्रिवेणी राम की जनपद प्रयागराज के तहसील हंडिया के अन्तर्गत ग्राम रामनगर में रोड को कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री संजय गर्ग की बेसिक शिक्षा परिषद के शासनादेश 6865/7043, दिनांक 21-08-2016 द्वारा विभिन्न जनपदों में स्थानान्तरित होकर जनपद सहारनपुर में पदावनत होने वाले शिक्षकों को पे-प्रोटेक्शन न देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, उनतालीसवीं सूचना श्रीमती जय देवी की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के ग्राम शिवदीन खेड़ा में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल लगाये जाने के सम्बन्ध में है, तथा चालीसवीं सूचना श्री अमनमणि त्रिपाठी की प्रदेश में कोरोना का नया वेरियेंट ओमिक्रोन से सुरक्षा उपाय किये जाने के सम्बन्ध में है।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के ग्राम हमीरपुर से महादेवा बाबा होते हुए एक सीधी सड़क सीतापुर रोड मुख्य मार्ग तक डामर रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश मलिक -

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद सीतापुर के ग्राम हमीरपुर से सीतापुर रोड तक कोई पक्की सड़क सीधी नहीं है जिससे नदी के किनारे ग्रामवासियों को बहुत घूम कर सीतापुर रोड मुख्य मार्ग तक आना पड़ता है, जिससे ग्रामवासियों को समय अधिक लगता है। ग्राम हमीरपुर और आस-पास के अन्य गाँवों में कोई चिकित्सालय भी नहीं है और न ही कोई जूनियर हाई स्कूल जिससे बच्चों तथा बीमारों को दिखाने के लिए अटरिया तक आना पड़ता है। हमीरपुर से घूम कर अटरिया तक आने में दूरी 6 किलोमीटर हो जाती है। यदि एक सड़क हमीरपुर से सीतापुर रोड मुख्य मार्ग अटरिया तक महादेवा बाबा होते हुए निकाल दी जाये तो ग्राम हमीरपुर से मुख्य मार्ग की दूरी 3 किलोमीटर रह जायेगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि ग्राम हमीरपुर से महादेवा बाबा होते हुए सीधे मुख्य मार्ग सीतापुर रोड तक डामर रोड बनवाये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु मैं सदन से मांग करता हूँ।]

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड-1, बदायूँ द्वारा जन प्रतिनिधियों से अभद्रता तथा कर्तव्य निर्वहन न करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य 'पप्पू भइया'-

[महोदय, सादर अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि श्री प्रवेश कुमार, विद्युत वितरण खण्ड-1, जनपद बदायूँ में अधिशासी अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। इनके विरुद्ध क्षेत्रीय निवासियों से विद्युत चोरी तथा भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें प्राप्त होने पर अधिशासी अभियंता महोदय से कई बार मोबाइल पर सम्पर्क करने का प्रयास किया गया किन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। व्यक्तिगत मुलाकात करने पर इनका व्यवहार अत्यन्त निराशाजनक रहा तथा मेरे अनुरोधों की पूर्णतया अवहेलना की जो अत्यन्त खेदजनक है। श्री प्रवेश विद्युत चोरी तथा भ्रष्टाचार संबंधी प्रश्नों का उत्तर देने में आना-कानी करते रहे। श्री प्रवेश कुमार का जनप्रतिनिधियों के प्रति ऐसा व्यवहार अशोभनीय एवं निन्दनीय है जो न केवल कर्तव्यहीनता का द्योतक है वरन विधान सभा सदस्य के विशेषाधिकार का हनन भी है। कर्मचारियों के ऐसे व्यवहार से क्षेत्रीय निवासियों के मन में घोर निराशा तथा सरकार के प्रति रोष का भाव पैदा होता है जो जनप्रतिनिधियों की लोकप्रियता तथा सरकार में विश्वास में ह्रास करता है। ऐसे

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कर्मचारी को तत्काल किसी अन्यत्र जनपद में स्थानान्तरित करना लोकहित में अत्यन्त आवश्यक है। तदुपरान्त आवश्यक विभागीय जाँच करा कर दण्डित करना समीचीन होगा।

अतः महोदय से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए श्री प्रवेश कुमार, विद्युत वितरण खण्ड-1, जनपद बदायूँ को तत्काल अन्यत्र जनपद में स्थानान्तरित कराने, विभागीय जाँच कर दण्डित करने तथा स्वयं सहित सभी प्रभावित नागरिकों को अबाध सुविधाएं सुनिश्चित किये जाने की मांग करता हूँ।]

स्मार्ट सिटी कानपुर के कार्यों की गुणवत्ता की जांच थर्ड पार्टी से कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमिताभ बाजपेई-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। सरकार द्वारा कानपुर शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत क्या कार्य होने चाहिए या क्या नहीं होने चाहिए संबंधी जनप्रतिनिधियों के सुझाव नहीं लिये जाते हैं। एडवाइजरी बोर्ड की बैठक में दिये गये सुझावों का भी संज्ञान नहीं लिया जाता है। कार्यों का चयन कुछ चुनिन्दा अधिकारियों की व्यक्तिगत रुचि के आधार पर होता है। नानाराव पार्क, स्मार्ट रोड, माल रोड आदि कार्य अधोमानक हुआ है। इसमें धन का काफी अपव्यय किया गया है, मानकों का ध्यान नहीं रखा गया है।

अतः मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए स्मार्ट सिटी परियोजना में प्रस्तावित कार्यों की उपयोगिता की जाँच करने व पूर्ण हो चुके कार्यों की जाँच थर्ड पार्टी से कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत बांगरमऊ-माढ़ापुर-शिवपुरी मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह -

[महोदय, आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ इस अविलम्बनीय प्रश्न को मेरे द्वारा पिछले सत्र में यह अविलम्बनीय प्रश्न उठाया गया था कि जनपद उन्नाव के बांगरमऊ-माढ़ापुर-शिवपुरी मार्ग चलने लायक नहीं है। कई वर्षों से इसकी मरम्मत नहीं कराई गई है अधिकारियों द्वारा। पिछले सदन में माननीय उप मुख्य मंत्री जी द्वारा सदन में कहा गया था कि इस मार्ग का अतिशीघ्र चौड़ीकरण करा दिया जायेगा। इसका स्टीमेट माननीय उप मुख्य मंत्री जी द्वारा मंगा लिया गया था। पर अभी तक यह मार्ग चौड़ीकरण नहीं हो पाया है जोकि अति आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार और शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अतिशीघ्र इस मार्ग का चौड़ीकरण किये जाने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।]

जनपद बरेली में कोई उद्योग न होने से बेरोजगारी बढ़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 अरुण कुमार-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद-बरेली कमिश्नरी हेड क्वार्टर है तथा यह आस-पास के जनपदों से बड़ा जनपद है। यहाँ पर रबर फैक्ट्री, बिनको फैक्ट्री, टर्पनटाईन फैक्ट्री और नेकपुर चीनी मिल बन्द हो चुकी है। ऐसी स्थिति में जनपद के युवा एवं बेरोजगार दूर-दराज के जिलों में रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। यदि जनपद-बरेली शहर में कोई बड़े सरकारी उद्योग की स्थापना कर दी जाती है तो इससे अन्यत्र जनपद में रोजगार हेतु पलायन कर रहे स्थानीय लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर उचित कार्यवाही किये जाने हेतु मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूँ।]

जनपद झाँसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के गुर सरांय ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम गौरपुरा में चेकडैम कम रपटा बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत -

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लोक महत्व के विषय को लाना चाहता हूँ।

जनपद-झाँसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र के गुरसरांय ब्लाक के आस-पास गांवों में स्थानीय निवासियों के बीच से बहने वाली लखेरी नदी को पार कर आना-जाना पड़ता है। यही नहीं, यहां पर सिंचाई के लिए कोई साधन भी नहीं है। यदि लखेरी नदी पर ग्राम गोरपुरा में एक चेकडैम कम रपटा का निर्माण करा दिया जाये तो लगभग 15-20 गांवों के स्थानीय निवासियों को आने-जाने वालों के लिए पुल तथा सिंचाई के लिए डैम से पानी भी मिल जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि जनहित में जनपद-झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र के गुरसरांय ब्लाक के ग्राम गौरपुरा में चेक डैम कम रपटा बनवाये जाने की मांग करता हूँ।]

उ0प्र0 के वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेशों का विभागों द्वारा ठीक से अनुपालन न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हाकिम लाल बिन्द -

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेशों का ठीक से अनुपालन न करने के कारण कृषि विभाग द्वारा तृतीय ए0सी0पी0 प्राप्त प्रधान सहायकों से

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वसूली के आदेश जारी किये जा रहे हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश में वर्ष 2008 से पूर्व 2400 ग्रेड-पे प्राप्त कर्मचारियों के ग्रेड वेतन को ग्रेड-पे 2800 के रूप में उच्चीकृत किया गया था। इस प्रकार से 2800 ग्रेड-पे से अगली ए0सी0पी0 के रूप में 4200 और उसके बाद 4600 ग्रेड-पे देने का प्राविधान है और इसी प्राविधान के तहत कृषि विभाग में भी प्रधान सहायकों को ग्रेड-पे 4600 प्रदान किया गया था परन्तु अब कृषि विभाग उच्चीकृत ग्रेड-पे 2800 को पुनः 2400 मानकर ए0सी0पी0 के तहत प्राप्त ग्रेड-पे 4600 को वापस लेने के आदेश कर रहा है जिसे कोर्ट में चुनौती देने पर राहत तो मिल जाती है लेकिन कोर्ट जाने पर कर्मचारियों का धन एवं समय दोनों बर्बाद हो रहा है। जबकि राजस्व, नियोजन, पशुपालन एवं अन्य विभागों में वित्त विभाग के शासनादेश के अनुरूप ग्रेड-पे 4600 आज भी दिया जा रहा है।

अतः मैं कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सदन से आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद अम्बेडकर नगर के माया-टाण्डा मार्ग को फोर लेन बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाल जी वर्मा-

[महोदय, मया-टाण्डा मार्ग अम्बेडकर नगर जिले का महत्वपूर्ण राज्य मार्ग है। उक्त मार्ग एन0टी0पी0सी0 टाण्डा नगर पंचायत इल्तिफातगंज एवं टाण्डा शहर को लखनऊ एवं अयोध्या से जोड़ता है। उक्त मार्ग पर प्रत्येक दिन हजारों वाहन चलते हैं। उक्त मार्ग की चौड़ाई 7 मीटर है जिसके कारण आम जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अत्यधिक दुर्घटना भी होती रहती है। विशेष रूप से टाण्डा-वाराणसी राष्ट्रीय मार्ग के क्रासिंग पर आये दिन दुर्घटना होती रहती है।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त मार्ग को फोर लेन की बनाने की मांग करता हूँ।]

जनपद प्रतापगढ़ के नवसृजित विकास खण्ड मंगापुर उदयपुर को क्रियाशील कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

[महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास जनपद प्रतापगढ़ अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। भौगोलिक दृष्टिकोण से लोगों को अत्यन्त परेशानी उठानी पड़ती है। यह क्षेत्र नदी-नालों से भरा हुआ है, क्षेत्र का चहुमुंखी विकास करने के लिए तथा लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के उद्देश्य से जनहित में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तहसील लालगंज के अन्तर्गत 'मंगापुर उदयपुर' के नाम से एक नया विकास खण्ड स्वीकृत किया गया है, जिसका शासनादेश

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

और सरकारी 'गजट' भी दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 को जारी हो गया है, किन्तु अभी तक इसको क्रियाशील नहीं किया गया है। उक्त विकास खण्ड से जहां क्षेत्र का चतुर्दिक विकास होगा वहीं लोगों को भी सुविधा होगी। नवसृजित 'मंगापुर उदयपुर' जनहित में अतिशीघ्र क्रियाशील किया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करती हूँ।]

जनपद सहारनपुर के शिवालिक क्षेत्र में बसे वन गुर्जरों को सरकार द्वारा विस्थापित किये जाने से उनके पुनर्वास की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेश सैनी-

[महोदय, अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के शिवालिक क्षेत्र में सेना द्वारा फायरिंग अभ्यास किया जाता है जो फायरिंग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सेना के अभ्यास करते समय कुछ फायरिंग सामग्री फायरिंग क्षेत्र से बाहर चली जाती है जिससे इस क्षेत्र के आस-पास रह रहे वन गुर्जरों की बस्ती प्रभावित होती है। इस क्षेत्र में कई बार ऐसी घटनाओं से जानमाल की हानि भी हो चुकी है। इस सम्बन्ध में पत्राचार के माध्यम से जिलाधिकारी, सहारनपुर को भी अवगत कराया गया है। उल्लेखनीय है कि वन गुर्जरों व जिलाधिकारी, सहारनपुर में परस्पर वार्तालाप भी हुआ है जिसमें इन वन गुर्जरों को पुनः अन्यत्र विस्थापित किये जाने हेतु आश्वासन भी दिया गया था परन्तु अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गयी। इस प्रकरण में यह भी अवगत कराना है कि मेरे क्षेत्र से सटा हुआ उत्तरांचल (उत्तराखंड) है, वहां पर उत्तराखंड सरकार द्वारा उस क्षेत्र में पड़ने वाले वन गुर्जरों को विस्थापित कर हरिद्वार जिले में पुनर्वास की व्यवस्था की गयी है। वर्ष 1985 में उ0प्र0 सरकार द्वारा जनपद हरिद्वार व वर्तमान में उत्तरांचल में रह रहे वन गुर्जरों को 512 आवास व 12.50 बीघा जमीन रोजगार हेतु देकर पथरी गांव में विस्थापित किये थे। वर्ष 1990 में उ0प्र0 सरकार द्वारा ही 878 आवास गांव गेडीखाता में तथा कुछ आवास वन गुर्जरों हेतु जनपद हरिद्वार में ही कालागढ़ में बनाकर विस्थापित करने का कार्य किया था, परन्तु जनपद सहारनपुर में पर्वतीय क्षेत्र में रह रहे वन गुर्जरों हेतु सरकार द्वारा बार-बार आग्रह करने पर भी कोई ठोस नीति तैयार नहीं हो पा रही है। जनपद सहारनपुर का समूचा पर्वतीय क्षेत्र जिसमें वन गुर्जर रहते हैं तथा दुर्घटनाओं का शिकार भी होते हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पड़ता है, जिसके कारण जन-प्रतिनिधियों को जनता को जवाबदेही में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वन गुर्जरों को पुनर्वास की व्यवस्था किये जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सहारनपुर कतिपय ग्रामों को विद्युत आपूर्ति हेतु शहरी फीडर से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मसूद अख्तर -

[महोदय, जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 4, सहारनपुर के जो 32 गांव वर्ष 2008 में सहारनपुर नगर निगम बनने पर उसमें जोड़े गये थे। अवगत कराना है कि नगर निगम में जोड़े जाने के बाद भी देहात फीडर से ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है। उक्त 32 गांवों को शहरी फीडर से जोड़कर विद्युत आपूर्ति किया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जो 32 गांव वर्ष 2008 में सहारनपुर नगर निगम बनने पर उसमें जोड़े गये थे उनमें विद्युत आपूर्ति हेतु शहरी फीडर से जोड़े जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

प्रदेश में किसान सम्मान निधि योजना के पात्र लाभार्थियों की त्रुटि सुधार कराकर सभी पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[महोदय, उपरोक्त विषयक प्रकरण में आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना चाहता हूँ कि केन्द्र एवं प्रदेश सरकार के नेतृत्व में किसानों को किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है। परन्तु प्रदेश में कई पात्र किसानों को इस योजना से लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण यह है कि ऑनलाइन किसान सम्मान निधि का फार्म भरते समय यदि किसी किसान के द्वारा नाम में किसी अक्षर की गलती, आधार कार्ड से एकाउन्ट लिंक न होना आदि समस्याओं के कारण कई किसान इस योजना से वंचित हो जा रहे हैं। ऑनलाइन/तहसील स्तर में कोई सुधार की व्यवस्था न होने के कारण किसानों को अपना डाटा सुधार करवाने के लिए जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय जाना पड़ता है एवं त्रुटि सही करवाने के बावजूद भी पोर्टल पर डाटा अपडेट होने में कई महीने लग जा रहे हैं। कई ऐसे किसान हैं जिनको ऑनलाइन सभी डाटा सही भरने के बाद भी सरकार के द्वारा एक भी किश्त नहीं प्रदान करायी गयी तथा किसी को प्रथम किश्त को दिया गया परन्तु किन्हीं कारणों से दूसरी किश्त नहीं दी गयी। इस तररह की असमानताओं के कारण किसानों में काफी आक्रोश व्याप्त है।

उक्त सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि किसान सम्मान निधि योजना तेजी से क्रियान्वयन हेतु प्रदेश एवं केन्द्र सरकार को मिलकर एक कमेटी गठित करके इस तरह के मामलों की जांच कराकर पात्र लाभार्थियों की सूची बनाकर सभी किसानों को इस योजना से लाभान्वित किया जाये। तहसील स्तर पर ऑनलाइन डाटा/त्रुटि सुधार करने के लिए व्यवस्था बनाई जाये एवं

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

डाटा/त्रुटि सुधार करते ही वेबसाइट में डाटा अपलोड हो जाये जिससे इस योजना से सभी गरीब किसानों को लाभ मिले। उक्त प्रकरण किसानों से जुड़ा अति लोक महत्व का है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत कल्लरपुर गुर्जर के पास पूर्वी यमुना नहर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार निम -

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कल्लरपुर गुर्जर के पास पूर्वी यमुना नहर पर जो पुल बना हुआ है वह लगभग 20 वर्ष पुराना है तथा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस पुल पर दोनों तरफ से रास्ता बन्द हो चुका है और आवागमन पूरी तरह से ठप्प हो गया है। क्षेत्रीय जनता को इस कारण से लगभग 7-8 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा किये गये पत्राचार पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा मुझे मौखिक रूप से बताया गया कि आगणन तैयार किया जा रहा है परन्तु अभी तक अग्रेतर कार्यवाही नहीं हो पा रही है। जनहित में इस कल्लरपुर गुर्जर के पास पूर्वी यमुना नहर पर बने पुल का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के अन्तर्गत फरीदपुर तहसील में मण्डी समिति स्थल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 श्याम बिहारी लाल-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र 122-फरीदपुर जनपद बरेली में मण्डी समिति की आय सबसे अधिक है, लेकिन मण्डी समिति के अधिकारियों द्वारा मण्डी की आय को विभाजित करके दिखाने के कारण फरीदपुर में मण्डी स्थल निर्माण आज तक नहीं कराया जा सका है। फरीदपुर के किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए मण्डी समिति का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज-डालीगंज में आई0टी0आई0 की स्थापना में किये जा रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 नीरज बोरा-

[महोदय, जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज-डालीगंज में शासनादेश के बाद भी आई0टी0आई0 कालेज की स्थापना नहीं हो पाई है। जिला प्रशासन, लखनऊ विकास प्राधिकरण

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से लगायत सम्बन्धित विभागों में घोर लापरवाही, अकर्मण्यता और गैर जिम्मेदाराना आचरण से अब तक निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हो पाया।

आई0टी0आई0 कालेज की स्थापना को लेकर मैंने विधान सभा में अनेक बार सुसंगत नियमों के अधीन सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया किन्तु खेद है कि जिला प्रशासन, लखनऊ विकास प्राधिकरण से लगायत सम्बन्धित विभागों द्वारा एक-दूसरे के पाले में गेंद होने की बात करते हुए काम में विलम्ब किया जाता रहा। अब जबकि इस विधान सभा का कार्यकाल समाप्त होने में चन्द दिन शेष हैं, सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कोई सक्रियता नहीं दिखाई जा रही है।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर सम्मानित सदन का ध्यानाकर्षण करते हुए आई0टी0आई0 कालेज की स्थापना में विलम्ब के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कराते हुए कालेज स्थापना का कार्य वर्तमान विधान सभा के कार्यकाल में ही आरम्भ करने की मांग करता हूँ।]

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर के अन्तर्गत ग्राम नंगला शेखू में खड़ण्जा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यवीर त्यागी-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र किठौर, जनपद-मेरठ के ग्राम नंगला शेखू में बिजली बोर्ड के पीछे से ग्राम को जाने वाले कच्चे रास्ते पर खड़ण्जा आदि निर्माण न होने के कारण ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो गये हैं। जनहित में इस मार्ग पर खड़ण्जे का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी -

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर के अन्तर्गत मांठ ब्रांच खण्ड गंग नहर खुर्जा से निकलने वाले बड़ौदा राजवाहे तथा हसनपुर राजवाहे में उपर्युक्त मात्रा में पानी न छोड़े जाने के कारण तथा सिल्ट सफाई का कार्य ठीक न होने के कारण किसानों को सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल पा रहा है। इसके अतिरिक्त खण्ड गंग नहर से निकलने वाले बुलन्दशहर राजवाहे पर गांव फकाना व पितोवास आदि गांव के किसानों को भी सिंचाई का पानी नहीं मिल पा रहा है। जनहित में किसानों को खेतों के लिए नहरों के पानी की उपलब्धता अति आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मैं कार्यवाही की मांग करती हूँ।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा अन्तर्गत विभिन्न टोलों व मजरों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया -

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र हाटा, जनपद-कुशीनगर में विभिन्न ग्रामों के कई टोले व मजरे में विद्युतीकरण का कार्य कराया जाना शेष है। बारम्बार निवेदन के उपरान्त भी विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा काम पूरा नहीं कराया गया है।

वर्तमान विधान सभा के कार्यकाल में कुछ ही दिन शेष हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी व माननीय मुख्य मंत्री जी की मंशा के तहत हर घर को बिजली देने की योजना को अमलीजामा पहनाने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। जनता में असंतोष है।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर सम्मानित सदन का ध्यानाकर्षण कराते हुए जनपद कुशीनगर हाटा क्षेत्र में शेष बचे विभिन्न ग्रामों के टोले व मजरे में विद्युतीकरण का कार्य वर्तमान विधान सभा के कार्यकाल मे ही पूरा कराने की मांग करता हूँ।]

जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा अन्तर्गत धान खरीद में हो रही फर्जी खाताधारकों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

[महोदय, अगवत कराना है कि जनपद शाहजहाँपुर की 131, कटरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत खुदागंज विकास खण्ड में धान क्रय केन्द्र पर किसानों के बैंक खातों का सत्यापन अति शीघ्र करवायें, जिससे कुछ फर्जी खाताधारक क्षेत्र में सक्रिय हैं। अतः समर्थन मूल्य सीधे किसानों को मिले। काश्तकारों के सत्यापन हेतु कमेटी त्रिस्तरीय गठित कर पारदर्शीपूर्ण धान खरीद हो सके। फर्जी खाता धारक खुदागंज में सक्रिय होने के कारण धान कृषकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी शिकायत जिले स्तर के सम्बन्धित अधिकारियों से कर चुका हूँ। परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रकरण पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद पीलीभीत में शरणार्थी बांग्लादेशी नागरिकों को नागरिकता दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[महोदय, नागरिक सदस्यता अधिनियम, 1955 की धारा 5, 6 व 7 विषयक अपेक्षित संशोधन सुनिश्चित करते हुए नागरिक सदस्यता (संशोधन) अधिनियम, 2019 पारित किया गया

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिसका अनुमोदन 20 दिसम्बर 2019 को मा0 राष्ट्रपति द्वारा किया गया तथा 01 जनवरी 2020 से यह अधिनियम परचलित हुआ है जिसके अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान से शोषण से ग्रसित नागरिक पलायन करके भारत वर्ष में आने के लगभग पांच वर्ष से अधिक हो चुके अथवा 31 दिसम्बर 2014 से पूर्व प्रवास कर रहे ऐसे शरणार्थियों को भारत वर्ष की नागरिकता प्रदान करना चाहिए। मतदाता सूची में भी पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि ये लोग योजनाओं एवं उपलब्धियों का लाभ अर्जित कर सकें।

दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनपद पीलीभीत में पांच वर्ष से अधिक समय से प्रवास कर रहे बांग्लादेशियों को अब तक नागरिकता प्रदान नहीं हो सकी है और न ही उन्हें मतदाता सूची में पंजीकृत किया गया है। साथ ही मूलभूत सुविधाएं एवं अन्य योजनाओं एवं उपलब्धियों से वंचित रखा गया है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सदन में चर्चा कराई जाये तथा शरणार्थी बांग्लादेशी नागरिकों को सदस्यता भी प्रदान की जाये।]

जनपद अम्बेडकरनगर के तहसील जलालपुर अन्तर्गत समुचित मात्रा में धान क्रय केन्द्र खुलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष राय -

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गंभीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद अम्बेडकरनगर की तहसील जलालपुर में सरकार द्वारा धान क्रय केन्द्र नाम मात्र के बनाने के कारण किसान अपना धान औने-पौने दाम पर बिचौलियों के हाथों बेचने के लिए मजबूर हैं। जहाँ-जहाँ धान क्रय केन्द्र खुले भी हैं वहां भी खरीद नहीं हो पा रही है। किसानों की धान लदी ट्रालियां 15-15 दिन खड़ी रहती है। किसान मजबूर होकर अपना धान वापस ले जाकर बिचौलियों के हाथ औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर हो रहा है। जलालपुर में समुचित धान क्रय केन्द्र न खोले जाने के कारण स्थानीय जनता में काफी रोष है।

अतः इस जनहित के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल समुचित मात्रा में धान क्रय केन्द्र खुलवाये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद सीतापुर के अन्तर्गत सरकारी/अर्द्ध सरकारी क्रय केन्द्रों पर धान खरीद में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद सीतापुर के अन्तर्गत सरकारी, अर्द्धसरकारी धान क्रय केन्द्रों पर एम0एस0पी0 पर खरीद न होकर सेंटर इंचार्ज, ठेकेदार राइस मिल वालों ने मिलकर काकस

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तैयार किया है जिससे बड़े पैमाने पर किसानों से घूस ली जा रही है व उपरोक्त तीनों मिल करके कागज पर धान की खरीद का लक्ष्य पूरा कर रहे हैं जबकि मौके पर खरीद न के बराबर की जा रही है। उक्त मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर भविष्य में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाकर उनके सामने (पूरे प्रदेश में) गेहूँ व धान की तौल हो व तौल के सी0सी0टी0वी0 फुटेज रोज के रोज शासन व प्रशासन एवं जिलाधिकारी व माननीय क्षेत्रीय विधायक को भेजा जाये, ताकि किसानों के साथ हो रही बेईमानी को रोका जाये। जनहित से जुड़ा हुआ प्रकरण है लोक महत्व का है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण सरकार से कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान अन्तर्गत औरास में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजेश कुमार-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मोहान-164 के अन्तर्गत जनपद-उन्नाव के ब्लाक औरास में अग्निशमन केन्द्र की कोई व्यवस्था नहीं है। औरास ब्लाक बहुत ही पिछड़े अंचल में स्थित है। यह मुख्यालय से दूर हरदोई बार्डर पर स्थित है। यहां पर गर्मी में अग्निकाण्ड की समस्याएं बहुतायत रूप में होती हैं। किसानों की फसलें जल जाया करती हैं। इस ब्लाक के आसपास में 20-25 किलोमीटर में कोई भी अग्निशमन केन्द्र नहीं है। मुख्यालय से अग्निशमन की गाड़ियों को पहुंचने में बहुत लम्बा समय लगता है जिससे अग्निकाण्ड से पीड़ित मकान या फसलें जलकर स्वाहा हो जाती हैं। यह क्षेत्र की बहुत ही भीषण समस्या है।

अतः मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं और सरकार से यथाशीघ्र विकास खण्ड औरास में अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत टोंस नदी पर बने अधूरे रिंग बंधों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[महोदय, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि विगत सत्र में दिनांक 18-10-2021 को नियम-301 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना स्वीकृत हुई थी परन्तु इस पर आज तक किसी भी प्रकार के सर्वे आदि की कार्यवाही नहीं की गयी है।

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत बहने वाली टोंस नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ के समय यहां के कृषकों को भारी तबाही का सामना करना पड़ता क्योंकि टोंस नदी में गाजीपुर से

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बलिया तक बने रिंग बंधे में दो जगह 500-500 मीटर का गैप छोड़ दिये जाने की वजह से इसी रास्ते बाढ़ का पानी ग्राम सभा सरायभारती, अतरसुवां, मुस्तफाबाद, कोप, खजुहां, बेसवान, तिराहीपुर, प्रधानपुर, फिरोजपुर, कोडरा, मिर्जापुर, लखुआं, जेवनिया आदि गांवों में फैल जाता है तथा यहां की कृषि भूमि जलमग्न होने के साथ ही साथ इन सभी गांवों का अस्तित्व भी खतरे में है जोकि कभी भी कटान की वजह से टोंस नदी में विलीन हो सकते हैं।

यही नहीं इन गांवों के किनारे वर्षों पूर्व ठीकर आदि का निर्माण भी कराया गया था परन्तु विगत 10-12 वर्षों से इन पर कोई भी अनुरक्षण कार्य न किये जाने के कारण यह सभी ठीकरें अपनी उपयोगिता खो चुकी है।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के टोंस नदी में प्रतिवर्ष आने वाले बाढ़ के गम्भीर संकट को देखते हुए अधूरे रिंग बंधे को इस वर्ष वर्षाकाल से पूर्व शीघ्र पूर्ण कराने के साथ ही साथ पुराने ठीकरों के अनुरक्षण के साथ आवश्यकतानुसार नई ठीकरों का निर्माण किये जाने हेतु शासन से कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद हरदोई के अन्तर्गत जाति प्रमाण-पत्र में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संगीत सिंह सोम-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का कार्यालय उप निदेशक समाज कल्याण उ0प्र0 के पत्रांक सं0-760-10/संक0/ज0प्र0प0/2021-22 दिनांक 8-10-2021 तथा जिला समाज कल्याण हरदोई के पत्रांक सं0-154/स0क0/2019-20 दिनांक 03-01-2019 पर प्रतिवादी के पिता को अन्तर्जातीय विवाह को प्रमाणित दस्तावेज व प्रमाण-पत्र के बिना उत्पन्न संतान दर्शाते हुए विधिक नियम के विरुद्ध लिये गये निर्णय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट हरदोई शि0स0-600000170078019/2017 व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई पंचांक-बेसिक/एस0टी0/5810 दिनांक 25-10-2017 की जांच आख्या पर प्रतिवादी के पिता के माता व पिता सामान्य जाति से हैं तथा प्रतिवादी के पिता अनुसूचित जाति के संवर्ग से उत्पन्न नहीं हैं जैसा कि प्रतिवादी के पिता 6 माह के थे। उनकी माता जो सामान्य जाति की थीं, अनुसूचित जाति के व्यक्ति से धरौना कर जीवन यापन करने लगी थी। परन्तु विचारणीय बिन्दु यह है कि निर्वाचन नियमावली अहिरौरी (अ0 जाति) वर्ष 1988 में भा0दं0सं0 151 क्रम संख्या 642 मकान नम्बर 93 पर प्रतिवादी के पिता की माता पत्नी मूलपति जोकि सामान्य जाति के उम्र 75 वर्ष अंकित थी, प्रतिवादी के पिता द्वारा अपने को सामान्य जाति दर्शाते हुए 593 के पृष्ठ 31 से 34 म0नं0 1737 दिनांक 12 अगस्त 1981 को 12 बीघा कृषि योग्य भूमि का कुछ भाग सामान्य जाति को विक्रय रजिस्ट्री सण्डीला तहसील में की गयी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली परिपत्र दिनांक 03-10-2019 पर जाति दिशा-निर्देश परिस्थिति में अन्तर्जातीय विवाह से उत्पन्न संतानों को माता जातीय प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परन्तु प्रतिवादी के पिता अन्तर्जातीय विवाह के संवर्ग से उत्पन्न सन्तान नहीं थी। प्रतिवादी के पिता की माता सामान्य जाति की थी इसलिए प्रतिवादी के दादा-दादी व पिता सामान्य जाति के संवर्ग से उत्पन्न होने के कारण सामान्य जाति के हुए भी तो प्रतिवादी सामान्य जाति के कारण अनुसूचित जाति वैधता नियम के विरुद्ध है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त प्रकरण में कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली अन्तर्गत मिसिंग लिंक योजनान्तर्गत आगणनों को स्वीकृति प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलवीर सिंह-

[महोदय, मैं सदन के माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बरौली, जनपद अलीगढ़ में निम्नलिखित मार्ग क्षेत्रीय जनता की मांग पर शासन के निर्देशों के क्रम में मिसिंक लिंक योजना के अन्तर्गत नवनिर्माण कराये जाने हेतु प्रस्तावित किये गये हैं जिनके आगणन कार्यालय मुख्य अभियंता अलीगढ़ क्षेत्र लोक निर्माण विभाग अलीगढ़ के पत्रांक 3638/36सी0-अ0क्षे0/ 2021-22 दिनांक 23.09.2021 द्वारा मुख्य अभियंता (मु0-1) कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग लखनऊ को प्रेषित किये जा चुके हैं।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	विधान सभा	यूनिक कोड	लम्बाई (किमी0 में)	लागत
1	गभाना बरौली मार्ग से लालपुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	बरौली	नव निर्माण	0.750	60.39
2	गोकुलपुर वाया नगला बत्तीसरा मार्ग से लालपुर ग्वालरा मार्ग का नवनिर्माण कार्य	बरौली	नव निर्माण	2.500	192.83
3	महरावल नगरिया से महरावल तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य	बरौली	नव निर्माण	0.550	43.08
4	दाऊदपुर कोटा से सुमेरपुर मार्ग का नवनिर्माण कार्य	बरौली	नव निर्माण	1.500	119.30
5	नगलिया से पिपलौठ गोकुलपुर मार्ग का नवनिर्माण कार्य	बरौली	नव निर्माण	2.000	152.12
योग				**7.300**	**567.72**

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में जनपद अलीगढ़ में उक्त वर्णित मार्गों का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के सेवरही सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

[महोदय, अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं अविलम्बनीय विषय की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत सेवरही कस्बे के मुख्य मार्ग सेवरही सम्पर्क मार्ग जोकि मुख्य बाजार है, का मार्ग काफी सकरा एवं अत्यधिक क्षतिग्रस्त/गड्ढे में तब्दील हो चुका है जिससे आये दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में आम जनमानस को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जबकि उक्त कार्य हेतु धन अवमुक्त किया जा चुका है किन्तु अभी तक उक्त का निर्माण आरम्भ नहीं हुआ है। जनहित में उक्त सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण सी0सी0 रोड व दोनों तरफ नाला का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सेवरही कस्बे के अन्तर्गत मुख्य मार्ग के सेवरही सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण, सी0सी0 रोड व दोनों तरफ नाली का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद अमेठी के विकास खण्ड भादर अन्तर्गत मालती नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती गरिमा सिंह-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के अति महत्वपूर्ण विषय की ओर ले जाना चाहती हूँ। जनपद-अमेठी के विकास खण्ड भादर के ग्राम सभा अमटाही में मालती नदी पर पुल के निर्माण हेतु कई वर्षों से क्षेत्रीय जनता मांग करती चली आ रही है, जिसको सम्बन्धित विभाग द्वारा कई बार अवलोकन किया गया। परन्तु उक्त पुल का निर्माण अभी तक संभव नहीं हो सका। उक्त पुल के बन जाने से हजारों की संख्या में जनमानस को आवागमन में काफी सुविधा प्रदान होगी।

मैं सदन के माध्यम से जनपद-अमेठी के विकास खण्ड-भादर ग्राम सभा-अमटाही में स्थित मालती नदी पर शीघ्र सेतु निर्माण कराने की मांग करती हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत बान नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पारस-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र नगीना जनपद बिजनौर के विकास खण्ड किरतपुर के ग्राम दूधली और मेमन के बीच पड़ने वाली बान नदी से देश की आजादी के इतने वर्षों बाद भी यहाँ के लोगों को आज भी पुल न होने की वजह से बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर वाक्स कन्वर्ट (पुल) की अत्यन्त आवश्यकता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ग्राम दूधली और मेमन के बीच पड़ने वाली बान नदी पर वाक्स कन्वर्ट सेतु निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूँ।]

जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र चन्दौसी अन्तर्गत प्राचीन शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मौहम्मद फहीम इरफान -

[महोदय, तहसील चंदौसी, जिला सम्भल के ग्राम बेरनी स्थित प्राचीन शिव मंदिर को सपा सरकार द्वारा पर्यटन स्थल तो घोषित कर दिया गया है। बेरनी के शिव मंदिर में बाउण्ड्री वाल, इंटरलॉकिंग टाइल्स, स्ट्रीट लाइटें, पेयजल के लिए प्याउ, बैठने के लिए बेंचें, मुख्य द्वार पर सीढ़ियों पर कोटा स्टोन व मंदिर परिसर को सुन्दर बनाने के लिए कई बार मांग भी की जा चुकी है। मगर शासन से अभी तक कोई धन जारी न होने के कारण बेरनी के प्राचीन शिव मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तहसील चंदौसी, जिला-सम्भल के ग्राम बेरनी स्थित प्राचीन शिव मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए धन जारी कराये जाने की मांग करता हूँ।]

उ0प्र0 सचिवालय में समीक्षा अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची को नियमावली 1991 के नियम-5 के अनुसार बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उज्जवल रमण सिंह-

[महोदय, उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारियों बैच-1991 की नियुक्ति प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि 01 वर्ष के भीतर कार्यभार ग्रहण कर छोड़ने वालों घटित रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के संस्तुति के पश्चात् नियमानुसार की गयी है। इसी प्रकार कार्यभार ग्रहण कर छोड़ने से घटित रिक्तियों के सापेक्ष गृह विभाग में सहायक अभियोजन

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधिकारियों बैच-1996 एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारियों बैच-1993 की नियुक्ति प्रदान करते हुए नियमानुसार उनकी ज्येष्ठता सरकारी सेवक, ज्येष्ठता नियमावली-1991 के नियम-5 के अनुसार बनायी गयी है, जबकि उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रतीक्षा सूची से नियुक्त उक्त समीक्षा अधिकारियों की ज्येष्ठता बनाये जाने में नियमावली का पालन न करने एवं अनियमित करते हुए विभेदीकरण किया गया है। विभेदीकरण किये जाने के कारण ज्येष्ठता सूची दिनांक 03-04-2019 असंवैधानिक एवं विधिशून्य है। अतः ज्येष्ठता बनाये जाने में की गयी अनियमितता एवं विभेदीकरण को दूर किये जाने हेतु यह आवश्यक है कि सरकार सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली समीक्षा अधिकारियों की ज्येष्ठता सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 के नियम-5 के अनुसार पुनः ज्येष्ठता निर्धारित करने की कार्यवाही कराये, जिससे असंवैधानिक एवं विधिशून्य ज्येष्ठता सूची को विवादों से बचाया जा सके।

अस्तु, इस लोक महत्व को सुनिश्चित विषय पर सदन के माध्यम से सम्पूर्ण प्रकरण उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची दिनांक 03-04-2019 को संशोधित करते हुए सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 के नियम-5 के अनुसार बनाये जाने के सम्बन्ध में सदन में वक्तव्य/सूचना की मांग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग में आवंटित धनराशि के लैप्स हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बम्बा लाल-

[महोदय, आपको सादर अवगत कराना है कि जनपद उन्नाव में निर्माण खण्ड-1 लोक निर्माण विभाग को शासन से विकास कार्यों हेतु आवंटित धनराशि रुपये 62,88965.00 अधिकारियों की लापरवाही से लैप्स हो गयी जिससे लोगों में रोष है, जिसकी मांग कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-1 लोक निर्माण विभाग, उन्नाव कार्यालय के पत्रांक 2599/20-ए दिनांक 20-09-2021 के द्वारा उच्चाधिकारियों से की गयी है, परन्तु जनहित के मुद्दे पर उच्चाधिकारियों द्वारा सहयोग न मिलने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए प्राथमिकता के आधार पर जनहित में सम्बन्धित धनराशि को आवंटित करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने हेतु आदेश देने का कष्ट करें।]

लखनऊ के तेलीबाग चौराहे पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार राजभर -

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद लखनऊ के सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र का तेलीबाग चौराहा जोकि रायबरेली रोड, आलमबाग रोड,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ कैन्टोनमेन्ट एवं वृन्दावन योजना के सेक्टर-5 से सेक्टर-22 तक तथा शहीद पथ को जोड़ता है, पर ट्रैफिक जाम की अत्यधिक समस्या है जिसके कारण लोगों को आवागमन में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। पी0जी0आई0 अस्पताल के मरीजों को भी तेलीबाग चौराहे को पार करना पड़ता है, इसी जाम की वजह से मरीजों की जान भी चली जाती है। चौराहे पर लखनऊ कैन्टोनमेन्ट से रायबरेली रोड तथा आलमबाग वी0आई0पी0 रोड से शहीद पथ तक सीधा ओवरब्रिज/अण्डरपास बनने से इस भीषण जाम की समस्या से राहत मिल जायेगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि लखनऊ कैन्टोनमेन्ट से तेलीबाग चौराहा होकर रायबरेली रोड तक एवं आलमबाग वी0आई0पी0 रोड से शहीद पथ तक ओवरब्रिज/अण्डरपास बनाये जाने हेतु मैं इस सदन से मांग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आजाद अरिमर्दन -

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

(1) जनपद-आजमगढ़ के विकास खण्ड-लालगंज के देवगांव कस्बा से दलित बस्ती विनोद आजाद के पश्चिम सड़क से नहर तक अवशेष जिला पंचायत सड़क मरम्मत कार्य,

(2) विकास खण्ड-लालगंज के ग्राम फखरुद्दीनपुर में पोखरे के पास मन्दिर से प्याजू राजभर बस्ती तक सड़क नवनिर्माण कार्य,

(3)-विकास खण्ड-लालगंज के ग्राम सराय मारूफ के फिरतूराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल से श्याम सुन्दर पाण्डेय के खेत होते हुए हाई-वे पर रामधनी गौड़ के घर तक सड़क नवनिर्माण कार्य,

(4)-विकास खण्ड-लालगंज के ग्राम माधोपुर धरांग मार्ग से अनुसूचित बस्ती के हरिराम के घर होते हुए राजाराम के घर होते हुए पिचमार्ग का नवनिर्माण कार्य,

(5)-विकास खण्ड-लालगंज के ग्राम बेइली में राजाराम यादव की दुकान से कर्महीं अनुसूचित बस्ती होते हुए मूलचन्द्र गुप्ता के घर तक सड़क नवनिर्माण कार्य,

(6)-विकास खण्ड-लालगंज के ग्राम रेवसा में गांगी नदी पुल से कैलाश यादव के घर के तरफ सड़क नवनिर्माण कार्य,

(7)-विकास खण्ड-लालगंज के ग्राम गिरधरपुर में आजमगढ़ वाराणसी मार्ग से चौकी देवगांव अनुसूचित बस्ती तक सड़क नवनिर्माण कार्य,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(8)-विकास खण्ड-लालगंज के ग्राम कस्बा देवगांव के धीरेन्द्र गुप्ता के मकान से पूर्व प्रधान कैलाश गुप्ता के घर तक सड़क नवनिर्माण कार्य,

(9)-विकास खण्ड-लालगंज के ग्राम देवगांव बसही मार्ग से नहर की पटरी पर मिर्जापुर की तरफ सड़क नवनिर्माण कार्य,

(10)-विकास खण्ड-लालगंज के ग्राम बरहती से गुलरिया में गुड्डू यादव के घर तक सड़क नवनिर्माण कार्य,

उक्त सड़कों का नवनिर्माण कार्य न होने से स्थानीय निवासियों को आवागमन में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त मार्गों के निर्माण हेतु मेरे द्वारा सम्बन्धित विभाग को अनेकों बार अवगत कराया गया। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है जिसके कारण आम जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त मार्गों का मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड अन्तर्गत 132/33 विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धनन्जय कनौजिया-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र 357-बेल्थरा रोड, जनपद बलिया के ग्राम सभा बारा (मलेरा) तहसील बेल्थरा रोड के अन्तर्गत 5 एकड़ सरकारी जमीन की उपलब्धता को देखते हुए 132/33 विद्युत उपकेन्द्र बनाने हेतु जनहित में उक्त कार्य के संदर्भ में जमीन स्थानान्तरण हेतु जिलाधिकारी बलिया के संस्तुति को स्वीकृति प्रदान किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्ब लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान करने की कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर अन्तर्गत ग्राम प्यारेपुर से प्रा0 विद्यालय प्यारेपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अचल राजभर -

[महोदय, जिला अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र 281, अकबरपुर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा प्यारेपुर, जनता ढाबा से प्राथमिक विद्यालय प्यारेपुर तक (ल0 लगभग 800 मी0) सम्पर्क मार्ग अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त जर्जर मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु कई बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तक क्षतिग्रस्त जर्जर सड़क का निर्माण नहीं हो सका है, जिससे क्षेत्रीय जनमानस में अत्यधिक आक्रोश है।

अस्तु इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर कराना चाहता हूँ।]

जनपद प्रयागराज के तहसील हण्डिया के अन्तर्गत ग्राम रामनगर में रोड को कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिवेणी राम -

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ। जनपद प्रयागराज के परगना केवाई, तहसील हण्डिया, ग्राम रामनगर (सुरजीकतारा) में राम मनोहर लोहिया (समग्र) योजनान्तर्गत काली रोड से रमेश बिन्द पुत्र स्व0 तेरसनाथ बिन्द के घर तक बनी आर0सी0सी0 सड़क दबंग व्यक्तियों द्वारा तोड़कर अवैध रूप से कब्जा कर लिये जाने से ग्रामवासियों का आवागमन पूर्णतया बाधित हो गया है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सरकार के संज्ञान में लाते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई एवं कब्जा मुक्त कराने की मांग करता हूँ।]

बेसिक शिक्षा परिषद के शासनादेश 6865/7043, दिनांक 21-08-2016 द्वारा विभिन्न जनपदों में स्थानानतरित होकर जनपद सहारनपुर में पदावनत होने वाले शिक्षकों को पे-प्रोटेक्शन न देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग -

[महोदय, मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि अन्य जनपदों से स्थानान्तरित होकर सहारनपुर में आये इन पदावनत अध्यापकों को पूर्व में 4600 ग्रेड-पे का वेतन प्राप्त हो रहा था, किन्तु अगस्त माह 2016 से इस श्रेणी के अध्यापकों को 4200 ग्रेड-पे का वेतन दिया जा रहा है, जो कि सर्वथा अनुचित है। मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा अलग-अलग जनपदों जौनपुर, बांदा, मुजफ्फरनगर की याचिकाओं में दिये गये आदेशों और उ0प्र0 के अन्य जनपदों बागपत, शामली, कानपुर आदि में जहाँ-जहाँ अध्यापक पदावनत होकर स्थानान्तरित होकर गये हैं, वहाँ पर भी एल0पी0सी0 के आधार पर पे-प्रोटेक्शन के नियमों के अन्तर्गत वेतन निर्गत किया जा रहा है। उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के पत्रांक बे0सि0प0 4061-4128/2021-22 दिनांक 06-05-2021 को समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अन्य जनपदों से स्थानान्तरित होकर आये अध्यापक/अध्यापिकाओं का एल0पी0सी0 व सेवा पुस्तिका के आधार पर नियमानुसार वेतन निर्गत करें। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि अन्य जनपदों की भांति जनपद सहारनपुर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के बेसिक शिक्षा अधिकारी को स्थानान्तरित होकर आये अध्यापकों को भी एल0पी0सी0 के आधार पर पे-प्रोटेक्शन के नियमों के अन्तर्गत वेतन निर्गत कराने की कृपा करें।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर अन्य जनपदों से स्थानान्तरण होकर सहारनपुर आये अध्यापकों को भी पे-प्रोटेक्शन के अन्तर्गत वेतन निर्गत किये जाने हेतु शासन को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर के ग्राम शिवदीन खेड़ा में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जय देवी -

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि ग्राम शिवदीन खेड़ा, पोस्ट हरौनी, ब्लाक सरोजनी नगर, लखनऊ के ग्रामवासी वहां कोई सरकारी नलकूप न होने के कारण अपने-अपने खेतों में किसी भी प्रकार की फसल को पैदा करने में असमर्थ हो रहे हैं। अभी तक ग्राम में स्थापित निजी नलकूप से सिंचाई का कार्य किया जाता था। लेकिन निजी नलकूप मालिकों द्वारा विगत वर्ष से सिंचाई का मूल्य अधिक करने व समय पर सिंचाई हेतु पानी न देने से हम प्रार्थीगण की फसल बर्बाद हो जाती है। ग्राम में जो भी शासकीय ट्यूबवेल हैं, वे 500 मी0 से अधिक की दूरी पर स्थित हैं तथा लो-लैण्ड पर लगे होने के कारण तकरीबन 100 हेक्टेयर भूमि जो हाई-लैण्ड पर हैं, की सिंचाई नहीं हो पाती है।

अतः मैं ग्राम शिवदीन खेड़ा, पोस्ट हरौनी, ब्लाक सरोजनी नगर, लखनऊ में एक सरकारी ट्यूबवेल लगवाते हुए वहां पर सिंचाई की समुचित व्यवस्था किये जाने हेतु सदन में वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

प्रदेश में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रोन से सुरक्षा उपाय किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमन मणि त्रिपाठी-

[महोदय, कोरोना का सबसे वेरिएंट ओमिक्रोन वेरिएंट उत्तर प्रदेश में आसन्न है। ओमिक्रोन वेरिएंट अति संक्रामक है, बहुत खतरनाक है। उसको लेकर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग एवं स्वास्थ्य शिक्षा विभाग की कोई तैयारी नहीं है। बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। उस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। अभी हमने कोरोना में उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों को लावारिस मरते हुए देखा है, उससे भी सबक न लेकर ओमिक्रोन वेरिएंट के लिए कोई तैयारी नहीं है। इससे पूरे हमारे प्रदेश में महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपनी राजनीतिक साध्य में लगी हुई हैं। प्रदेश की जनता की चिंता किसी भी राजनीतिक दल को नहीं है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः अध्यक्ष जी हमारे कार्य-स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अविलम्ब सभी कार्यों को रोक कर इस अविलम्ब लोक महत्व के सवाल पर तुरन्त चर्चा कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। मैं पूरी तरह से अपने इस निवेदन पर बल देता हूँ। सदन के सभी सदस्य हमारे इस कथन से सहमत हैं, कृपया आज कोरोना के नये वेरिएंट ओमिक्रोन की रोकथाम पर बहस की मांग करता हूँ। बहस से निकला हुआ परिणाम प्रदेश सरकार स्वीकार करें। कोरोना की इस भयावह वेरिएंट की रोकथाम के लिए तत्काल कार्यवाही करें।]

उ0प्र0 विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2019-2020) का 18वां प्रतिवेदन†

श्रीमती सरिता भदौरिया-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2019-2020) का 18वां प्रतिवेदन मेरठ एवं आगरा मण्डल के साथ जनपद इटावा एवं औरैया में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, महिला कल्याण विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, वन व पर्यावरण विभाग, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, ग्राम्य विकास (आजीविका मिशन) विभाग, राजस्व विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, गृह विभाग व जिला कारागारों के स्थलीय निरीक्षण पर आधारित है, को प्रस्तुत करती हूँ।

उ0प्र0 विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2019-2020) का उन्नीसवां प्रतिवेदन†

श्रीमती सरिता भदौरिया-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2019-2020) का 19वां प्रतिवेदन बरेली मण्डल के साथ जनपद सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, महिला कल्याण विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, वन व पर्यावरण विभाग, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, ग्राम्य विकास (आजीविका मिशन) विभाग, राजस्व विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, गृह विभाग व जिला कारागारों के स्थलीय निरीक्षण पर आधारित है, को प्रस्तुत करती हूँ।

उ0प्र0 सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2019-2020) का तेरहवां प्रतिवेदन†

श्री ज्ञानेन्द्र-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2019-2020) का तेरहवां प्रतिवेदन, जो लोक निर्माण विभाग के प्राक्कलनों के परीक्षण से

† छापा नहीं गया

सम्बन्धित प्राक्कलन समिति (2013-2014) के अष्टम प्रतिवेदन, में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उ0प्र0 सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2019-2020) का चौदहवां प्रतिवेदन†

श्री ज्ञानेन्द्र-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2019-2020) का चौदहवां प्रतिवेदन, जो लोक निर्माण विभाग के प्राक्कलनों के परीक्षण से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति (2017-2018) के षष्ठम् प्रतिवेदन, में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उ0प्र0 सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2019-2020) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन†

श्री ज्ञानेन्द्र-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2019-2020) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन, जो बेसिक शिक्षा विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2015-2016, 2016-2017 तथा 2017-2018 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उ0प्र0 सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2019-2020) का सोलहवां प्रतिवेदन†

श्री ज्ञानेन्द्र-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2019-2020) का सोलहवां प्रतिवेदन, जो पर्यटन विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2015-2016, 2016-2017 तथा 2017-2018 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उ0प्र0 सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2019-2020) का सत्रहवां प्रतिवेदन†

श्री ज्ञानेन्द्र-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2019-2020) का सत्रहवां प्रतिवेदन, जो पंचायती राज विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2015-2016, 2016-2017 तथा 2017-2018 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उ0प्र0 सत्रहवीं विधान सभा की "प्रतिनिहित विधायन समिति" वर्ष (2019-2020) का अष्टम् प्रतिवेदन†

डॉ0 अरुण कुमार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की "प्रतिनिहित विधायन समिति वर्ष" का अष्टम् प्रतिवेदन, जो संसदीय कार्य विभाग व वन विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूँ।

---

† छापा नहीं गया

उ0प्र0 सत्रहवीं विधान सभा की "प्रतिनिहित विधायन समिति" वर्ष (2019-2020) का नवम प्रतिवेदन†

डॉ0 अरुण कुमार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की "प्रतिनिहित विधायन समिति वर्ष" (2019-2020) का नवम प्रतिवेदन, जो संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सभापति, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

उ0प्र0 सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का बारहवां प्रतिवेदन†

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का बारहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में उल्लिखित कर एवं निबन्धन (मनोरंजन कर) विभाग, कृषि विभाग तथा ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उ0प्र0 सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का तेरहवां प्रतिवेदन†

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का तेरहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में उल्लिखित कृषि विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, गृह/कारागार विभाग तथा ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-35 से लेकर मद संख्या-47 तक समस्त याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

(प्रस्तुत की गई मानी गई याचिकाएं संलग्न हैं।)

निम्नलिखित समस्त याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

श्री गौरी शंकर वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ

श्री गौरी शंकर वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद जालौन के विकास खण्ड जालौन के अन्तर्गत छिरिया से दमा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र व्यास व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

† छापा नहीं गया

2-जनपद जालौन के विकास खण्ड डरोर के अन्तर्गत चुर्खी मार्ग से ग्राम जलालपुर चिरगवां तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

3-जनपद जालौन के विकास खण्ड जालौन के अन्तर्गत बंगरा रोड से सुढार सालाबाद तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजा भदौरिया व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

4-जनपद जालौन के विकास खण्ड जालौन के अन्तर्गत ग्राम सीकरी राजा में सीकरी से हिड़ोकरा तक क्षतिग्रस्त पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र सिंह राजावत व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका एवं

5-जनपद जालौन के तहसील उरई के अन्तर्गत उरई नगर में टाउन हाल से लेकर बम्हौरी तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रत्नाकर त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका।

श्री कारिन्दा सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित 09 याचिकाएँ†

श्री कारिन्दा सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित 09 याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद मथुरा की विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन के ग्राम पैंठा से भवनपुरा मार्ग के मध्य सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजमोहन व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका,

2-जनपद मथुरा की विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन के ग्राम नगला धाम से नगला खना मार्ग के मध्य सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मेहताब चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका,

3-जनपद मथुरा की विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन के ग्राम मलसराय से ग्राम भगोसा के मध्य सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोहन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका,

4-जनपद मथुरा की विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन के ग्राम डोमपुरा से भवनपुरा मार्ग के मध्य सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

5-जनपद मथुरा की विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन के ग्राम नगला अक्खा में कवरपाल के नोहरे से पूज्य बाबा कढ़ेरा सिंह जी की समाधि स्थल तक व बच्चू हवलदार के खेत से चामड़ मार्ग के मध्य सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वेदराम व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका,

6-जनपद मथुरा की विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन के ग्राम पाडल से ग्राम नीमगांव बरसाना मार्ग के मध्य सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामेश्वर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका,

7-जनपद मथुरा की विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन के ग्राम नगला बोहरा में हरलाल के घर से पानी की टंकी के मध्य सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नारायण दास व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका,

8-जनपद मथुरा की विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन के ग्राम पंचायत सौंसा व माधुरीकुण्ड के मध्य सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में श्री केशव आर्य व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका एवं

9-जनपद मथुरा की गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मधेरा से ग्राम राल के मध्य सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भगवान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका††

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के हिमसिटी पार्ट-2 हरदासी खेड़ा, कंचनपुर मटियारी, निकट बाबा हास्पिटल (शहीद भगत सिंह वार्ड जोन-7) की सड़क की इण्टरलॉकिंग या सी0सी0 रोड बनाने के सम्बन्ध में श्री संजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 27 याचिकाएँ †

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 27 याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मियांगंज के अन्तर्गत बनौनी से रामपुर तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल रावत व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव के नाजिरपुर बस्तापुर में सदगुरुधाम से प्रा0पा0 तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

---

†† छापी नहीं गयी।

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के पमेधिया में मेन रोड मुंशीगंज हसनगंज रोड से पमेधिया तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

4-जनपद उन्नाव में मिर्जापुर से मुस्तफाबाद तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

5-जनपद उन्नाव के ग्राम रायपुरगढ़ी, विकास खण्ड नवाबगंज में छूटे हुए लाभार्थियों को शौचालय उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तराम व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

6-जनपद उन्नाव के जमाल नगर मजरा सेवरी खेड़ा में सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राघव शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

7-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के कुरारीखुर्द में सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

8-जनपद उन्नाव के मीरपुर मरोजा में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

9-जनपद उन्नाव के ग्राम अशरफाबाद में बारातशाला का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

10-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के ग्राम पमेधिया में श्री श्याम सुन्दर के घर से शंकर जी के मंदिर तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामजी द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

11-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के ग्राम दधानमऊ छरेहटी में चन्दा के घर से पंचम खेड़ा होते हुए एक्सप्रेस-वे की सर्विस लेन तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मेड़ीलाल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

12-जनपद उन्नाव की आदर्श नगर पंचायत सफीपुर में श्री शिवराम माली के घर से श्री रंजीत गुप्ता के घर तक लगभग 120 मीटर आ0सी0सी0 रोड तथा जल निकासी हेतु नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक कुमार कनौजिया व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

13-जनपद उन्नाव के तकिया से गौरियाकला तक जर्जर विद्युत लाइन बदलने तथा ग्राम देवखेड़ा गांव का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश रावत व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

14-जनपद उन्नाव की ग्राम सभा भरतपुर भडुआ के मजरा बजेहरा में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्यारे लाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

15-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के रसूलाबाद में मान शिला मन्दिर तथा ग्राम रायपुरगढ़ी, विकास खण्ड नवाबगंज में बलखण्डी देवी जी के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र बाजपेई व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

16-जनपद उन्नाव के ग्राम सभा सिलई में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप कुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

17-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर में जर्जर तारों को बदलने एवं विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

18-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के हैदराबाद में नवई खुर्द रोड से सहवसी तक लगभग 800 मीटर सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीपाल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

19-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के बीरूगढ़ी में श्री शिशुपाल सिंह के घर से श्री राम प्रकाश सिंह के मकान तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिशुपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

20-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मियांगंज में ग्राम अल्लीपुर निचलौला तथा ग्राम रजापुर फखरुद्दीनमऊ में सिंचाई हेतु नलकूप का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश अचल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

21-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के सरांय मलकादिमपुर में बारातशाला का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती मंजू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

22-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बांगरमऊ के ग्राम गौरियाकला तथा विकास खण्ड नवाबगंज के ग्राम रायपुरगढ़ी में गौशाला का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनमोहन शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

23-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के ग्राम सकहन सराय, ग्राम जमाल नगर तथा ग्राम मिर्जापुर में सिंचाई हेतु सरकारी नलकूप का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विपिन तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

24-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर में सफीपुर-गोडियाबाग होते हुए सकहन राजपूतान तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शारदा बक्स सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

25-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के न्यामतपुर से खलील नगर तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुरषोत्तम शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

26-जनपद उन्नाव की नगर पंचायत हैदराबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम नरेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका, एवं,

27-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर में मुंशीगंज, हसनगंज सम्पर्क मार्ग से पमेधिया होते हुए मीरकपुर में सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गौरव शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री बहोरनलाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 10 याचिकाएँ†

श्री बहोरनलाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 10 याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बरेली की तहसील बरेली में बरेली-नैनीताल मार्ग से धौराटांडा तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबूराम गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

2-जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत पखुरनी, धौराटांडा मार्ग से ग्राम धनुआ के अंदर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सम्मेरी लाल राठौर व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

3-जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत बैकरनंदा से उदरा तक मिट्टी/खड़ंजा निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वेदराम गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

4-जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत सलारनगला भदरक के मध्य पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छेदालाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

5-जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत भदरक से बिहारपुर तक मिट्टी/खड़ण्जा निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाबराय गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

6-जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत धौराटांडा से सब्जीपुरखाता तक मार्ग का चौड़ीकरण तथा मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूरजपाल शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

7-जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत नगर पंचायत रिठौरा से नकटिया नदी तक नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

8-जनपद बरेली की तहसील रिठौरा के अन्तर्गत नगर पंचायत रिठौरा से कुंवरपाल बंजरिया तक मार्ग का चौड़ीकरण तथा मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

9-जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत बरेली-नैनीताल मार्ग से दलपतपुर मार्ग तक मिट्टी/खड़ण्जा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूरजपाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका, एवं

10-जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत वशुधरन मार्ग से दलतपुर तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामप्रकाश गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका।

श्री भूपेश चौबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद सोनभद्र से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ†

श्री भूपेश चौबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद सोनभद्र से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद सोनभद्र की तहसील ओबरा के अन्तर्गत तेलगुणवां कोन मार्ग पूर्णतः क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भोजराज कन्नौजिया व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका, एवं

2-जनपद सोनभद्र की तहसील राबर्ट्सगंज के अन्तर्गत रामगढ़ से सीलथम पूर्णतः क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गेश केसरी व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका।

श्री रोशन लाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित 10 याचिकाएँ†

श्री रोशन लाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित 10 याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक तिलहर के अन्तर्गत ग्राम लखौहा सम्पर्क मार्ग से फाजिलपुर तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चरन सिंह यादव व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

2-जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक तिलहर के अन्तर्गत ग्राम हरभानपुर नहर पुलिया के नहर पटरी पर ताल्वीपुर दियुरिया नहर पुलिया तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यपाल वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

3-जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक तिलहर के अन्तर्गत ग्राम बिलहरी डामर रोड से फिरोजपुर गौटिया तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजमोहन कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

4-जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक तिलहर के अन्तर्गत तिलहर रुजवारी नहर पुलिया से बिहारीपुर डामर रोड तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देशराज वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

5-जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक तिलहर के अन्तर्गत तिलहर रेलवे फाटक रुजवारी डामर रोड से गुरुद्वारा तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देशराज वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

6-जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक निगोही के गंगा जमुनी खेरा संडा डामर रोड से सुरुक्कापुर तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूरज पाल शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

7-जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक तिलहर के रुजवारी डामर रोड से हरदीप सिंह के झाला तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देशराज वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

8-जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक तिलहर के ग्राम फाजिलपुर से बंधा तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चरन सिंह यादव व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

9-जनपद शाहजहाँपुर के निगोही ब्लाक में निगोही तिलहर रोड पिपरियाखुशाली से नहर पटरी पर शाहजहाँपुर बीसलपुर रोड तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मलिखान वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका, एवं

10-जनपद शाहजहाँपुर ब्लाक निगोही के ग्राम बरैंचा को-आपरेटिव गोदाम में बुढ़ानपुर तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका।

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 15 याचिकाएँ†

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 15 याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के ग्राम फखरापुर, पोस्ट हफीजाबाद में कल्याणी नदी पर रपटा पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुत्तीलाल गौतम व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम गडाई, पोस्ट दबौली में गंगा सांतवा पर पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मी नारायण निषाद व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के ग्राम रोशनाबाद, विकास खण्ड गंज मुरादाबाद में सई नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जयपाल सिंह पटेल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

4-जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के ग्राम फखरापुर, पोस्ट हफीजाबाद में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में श्री पुत्तीलाल गौतम व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

5-जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के ग्राम फखरापुर में हरदोई-उन्नाव मुख्य मार्ग पर अम्बेडकर पार्क एवं पुस्तकालय (लाइब्रेरी) की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुत्तीलाल गौतम व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

6-जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के ग्राम फखरापुर, पोस्ट हफीजाबाद में वृहद् (हाइटेक) गौशाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुत्तीलाल गौतम व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

7-जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के अन्तर्गत ग्राम भिखनपुर गोपालपुर विकास खण्ड गंज मुरादाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालेश अस्थाना व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

8-जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के अन्तर्गत ग्राम गौरईया खुर्द में प्राथमिक पाठशाला की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश पाल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

9-जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के अन्तर्गत ग्राम अटवा, पोस्ट अटवा में बारात घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जयपाल सिंह पटेल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

10-जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के अन्तर्गत बांगरमऊ सण्डीला मार्ग पर शारदा नहर के पुल से ग्राम गोशाकुतुब तक सड़क मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में श्री अरुणेन्द्र पटेल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

11-जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के ग्राम अतरधनी से मवई घनश्याम तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री जगदीश पासवान व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

12-जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के अन्तर्गत ग्राम गुलाब खेड़ा, मजरा अगरपुर से सबली खेड़ा इंटर कालेज होते हुए लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस सर्विस रोड तक निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामलखन व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

13-जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के अन्तर्गत ग्राम मवई घनश्याम से कांटा गुलजारपुर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश पाल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

14-जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के अन्तर्गत ग्राम खम्भौली से कपूरपुर गंज मुरादाबाद मार्ग तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री रामलखन व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

15-जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के अन्तर्गत हरदोई-उन्नाव मुख्य मार्ग ग्राम गोंदरी व सेलापुर होते हुए काली मिट्टी रेलवे स्टेशन तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री राम खेलावन लोधी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित 07 याचिकाएँ†

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित 07 याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद कानपुर की गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पनकी पावर प्रोजेक्ट के कारण भारी वाहनों के आवागमन के दृष्टिगत पूरे क्षेत्र की सड़कों के टूटने, जर्जर होने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रमणि चौबे व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

2-जनपद कानपुर की गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र में सारी औपचारिकता पूरी होने के दृष्टिगत दादा नगर समानान्तरण पुल के निर्माण कार्य को शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रंजीता पाठक व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

3-जनपद कानपुर की गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 50 हजार से ज्यादा की जनता को प्रभावित करने वाली जर्जर पुलियों एफ-ब्लाक सब्जी मण्डी रोड, गुजैनी से दुबौली को जोड़ने वाली पुलिया तथा जी-ब्लाक गुजैनी से एच-ब्लाक को जोड़ने वाली पुलिया के निर्माण के सम्बन्ध में श्री नीरज गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

4-जनपद कानपुर में शास्त्री नगर लेबर कालोनी के निवासियों को पी0पी0 एक्ट के तहत नोटिस देने के सम्बन्ध में श्री अजीत श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

5-जनपद कानपुर में जी0टी0 रोड लोहारन भट्ठा से विजय नगर डबल पुलिया तक नहर पटरी पर रुके हुए कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती पूनम कपूर व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

6-जनपद कानपुर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राकृतिक जल संचयन एवं प्रदूषण मुक्त तथा 50 हजार से भी अधिक लोगों को जलभराव से मुक्ति हेतु तथा वाटर

† छापी नहीं गयीं।

पेयजल मेनटेन हेतु मामा तालाब के सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवीन सचान व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका, एवं

7-जनपद कानपुर में नमक फैक्ट्री चौराहा, शनैश्वर मन्दिर वाली सड़क का निर्माण कार्य तेजी से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुमित सरोज, निवासी जनपद कानपुर की याचिका।

श्री उज्जवल रमण सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री उज्जवल रमण सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका उपस्थित की हुई मानी गई :-

जनपद लखनऊ की विधान सभा क्षेत्र बक्शी का तालाब के जानकीपुरम स्थित यशोदापुरम, शिव विहार कालोनी में खुली 11 के0वी0 की लाइन को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थानान्तरित अथवा भूमिगत केबिल किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रूबीना यास्मीन व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

श्री बृजेश कुमार रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 03 और जनपद अमेठी से सम्बन्धित 01 याचिका†

श्री बृजेश कुमार रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 03 और जनपद अमेठी से सम्बन्धित 01 याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड-हसनगंज के ग्राम भोगला में सई नदी पर रपटा पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव के बांगरमऊ-लखनऊ मार्ग पर नगर पंचायत-मोहान में सई नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री कपिल निगम व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव के ग्राम मिर्जापुर अजगांव के सामने सई नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार रावत व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका, एवं

4-जनपद अमेठी की तहसील गौरीगंज के ग्राम सकरावां के ग्रामीण की अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा जिलाधिकारी, अमेठी के द्वारा जारी की गई नई सर्किल रेट के हिसाब से भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका।

श्री मौ0 फईम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित 09 याचिकाएँ†

श्री मो0 फईम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित 09 याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मोहम्मद इब्राहीमपुर में निर्माणाधीन पंचायत भवन की आन्तरिक साज-सज्जा एवं बाहरी प्रांगण में सी0सी0 टाइल्स बिछाने के सम्बन्ध में श्री मो0 आदिल, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलारी में पर्याप्त डॉक्टर, सहायक स्टॉफ एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में श्री उरमान सिंह, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

3-जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी में आने वाली ग्राम पंचायत रुस्तम नगर सहसपुर के साथ ग्राम पंचायत बहादरपुर में सम्मिलित राजस्व ग्राम बिचौला कुन्दरकी को मिलाकर नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती शगुफ्ता, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

4-जनपद मुरादाबाद के बिलारी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मुहम्मदपुर इब्राहीमपुर में स्थित कम्पोजिट परिषदीय विद्यालय प्रांगण में शुद्ध पेयजल संयंत्र लगाने एवं सी0सी0 टाइल्स बिछाने समेत कायाकल्प योजना के अन्तर्गत कई निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री मो0 अरशद, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

5-जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी के अन्तर्गत ग्राम मो0 इब्राहीमपुर के मार्ग पर टोल बचाने के उद्देश्य से आने वाले बाहरी वाहनों की आवाजाही बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 उसमान, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

6-जनपद मुरादाबाद की वीनस शुगर मिल, चन्दौसी द्वारा गन्ना किसानों को पुराना अन्तर मूल्य का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 उसमान, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

7-जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी के ग्राम मौ0 इब्राहीमपुर को जनपद मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 मुजस्सिम, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

8-जनपद मुरादाबाद के विधान सभा एवं तहसील बिलारी के अन्तर्गत ग्राम चितरी में विद्युत विभाग से समस्त पीड़ित लोगों को उनके मृत पशुओं की वास्तविक कीमत के बराबर मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री कमरुल हसन, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका, एवं

9-साक्षर भारत मिशन योजना परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षा प्रेरकों को बकाया अवधि का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 अरकान, निवासी जनपद मुरादाबाद।

श्री सत्यवीर त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ†

श्री सत्यवीर त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद मेरठ के ग्राम राधना इनायतपुर में राधना से इन्द्रपुरा तक मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमर अली व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद मेरठ के ब्लाक माछरा में बालक राम के घर से अनिल पुत्र खीमा के घर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 हरवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

3-जनपद मेरठ के ग्राम भटीपुरा में मेन गढ़ रोड दिल्ली माडर्न स्कूल ग्राम भटीपुर तक मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक काजला व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

4-जनपद मेरठ के ग्राम स्याल में नाले की पटरी स्याल के पुल से किला रोड के पुल तक निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लीले सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका, एवं

5-जनपद मेरठ के ग्राम दतावली में बिजलीघर से गेसूपुर तक मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भोपाल सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-48 कुछ नहीं है। अब मद सं0-49

कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिश की है :-

1-दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 को प्रश्नकाल हो।

तद्नुसार दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 से दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

<u>दिसम्बर, 2021</u>

15 बुधवार निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनाएं।

16 गुरुवार **1-11:00 बजे पूर्वाहन-**

(1) वित्तीय वर्ष 2021-2022 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण।

(2) वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक (अन्तरिम) का प्रस्तुतिकरण।

(3) वित्तीय वर्ष 2022-2023 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्तुतिकरण।

2-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हो।

17 शुक्रवार- 1-वित्तीय वर्ष 2021-2022 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

2-वित्तीय वर्ष 2022-2023 के एक भाग के लिए लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण, उस पर विचार, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

3-विधायी कार्य।

4-अन्य कार्य, यदि कोई हों।

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक सूचना, जो मा0 अध्यक्ष जी ने आज सदन को दी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत किया है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

सदन को सूचना। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य, संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के निम्नलिखित मामलों में मेरे द्वारा निर्णय ले लिया गया है। उनमें सदन की अवमानना तथा विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त न पाये जाने के कारण सूचनाएं अग्राहय कर दी गयी हैं :-

1-श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भैया, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा उनके एवं उनके पिताजी के मोबाइल नं0 टेप किये जाने के सम्बन्ध में, एवं

2-श्री शरद कुमार अवस्थी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा ठेकेदार व मैनेजर, रौनाही टोल प्लाजा, पीएनसी कानपुर अयोध्या टोलवेज प्रा0लि0।

उक्त के अतिरिक्त श्री विजय कुमार राजभर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री आशुतोष राय, उप जिलाधिकारी, तहसील-घोसी, जिला-मऊ के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना के सम्बन्ध में उक्त अधिकारी के स्पष्टीकरण से मा0 सदस्य के असहमत होने

के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण को मैंने जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को संदर्भित कर दिया है।

उपर्युक्त मामलों में दी गयी सूचना दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 के उपवेशन की कार्यवाही का अंग मानी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

श्री शरद कुमार अवस्थी, मा0 सदस्य द्वारा रौनाही टोल प्लाजा पर विशेषाधिकार-हनन की सूचना।

श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भैया, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा उनके एवं उनके पिता जी के मोबाइल नं0 टेप किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 25 अगस्त, 2020 को विशेषाधिकार-हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भैया, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत विशेषाधिकार-हनन की सूचना दिनांक 25 अगस्त, 2020 को दी गयी।

मा0 सदस्य द्वारा सूचित किया गया कि उन्हें ज्ञात हुआ है कि पुलिस प्रशासन के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर उनके तथा उनके पिता श्री गंगाचरण राजपूत, पूर्व सांसद के फोन टेप किये जा रहे हैं। जिसके सम्बन्ध में मा0 सदस्य द्वारा विशेषाधिकार-हनन के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था।

प्रश्नगत प्रकरण में मा0 संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से गृह विभाग की आख्या प्राप्त की गयी।

पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर, अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उ0प्र0, एस0टी0एफ0, ए0टी0एस0, अभिसूचना विभाग, पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे प्रयागराज, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा मा0 सदस्य एवं उनके पिता जी के मोबाइल नम्बरों को लिसनिंग पर सुने जाने की कार्यवाही नहीं की गयी है।

गृह विभाग की आख्या मा0 सदस्य को भेजकर उनका पक्ष ज्ञात करने का प्रयास किया गया किन्तु मा0 सदस्य द्वारा उक्त आख्या के सापेक्ष इस सचिवालय को अपना पक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया।

मा0 सदस्य की सूचना के परिप्रेक्ष्य में गृह विभाग की आख्या के परिशीलन से ज्ञात होता है कि मा0 सदस्य या उनके पिता के मोबाइल फोन टेप नहीं किये गये। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत घटना में उल्लिखित विषय का सम्बन्ध न तो सदन से है और न ही सदन की किसी

समिति के कार्य से है। सूचना में उल्लिखित घटना से मा0 सदस्य के किसी विधायी कार्य में अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ है।

प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार-हनन एवं अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं होता है।

अतः मैं प्रश्नगत सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री विजय कुमार राजभर, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा विशेषाधिकार हनन की सूचना

श्री विजय कुमार राजभर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री आशुतोष राय, उप जिलाधिकारी, तहसील घोसी, जिला मऊ के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार-हनन की सूचना दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 के सम्बन्ध में श्री आशुतोष राय, उप जिलाधिकारी, तहसील घोसी, जिला मऊ के स्पष्टीकरण से मा0 सदस्य, विधान सभा के असहमत होने एवं उक्त अधिकारी के विरुद्ध पूर्व में लगाये गये आरोपों पर पुनः बल दिये जाने के दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत प्रकरण को मैंने जांच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन हेतु दिनांक 01 जुलाई, 2021 को विशेषाधिकार समिति को संदर्भित कर दिया है।

श्री अध्यक्ष-

उपर्युक्त मामलों में दी गई सूचना दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 को सदन की कार्यवाही का अंग मानी जायेगी। अब मैं अगली मद ले रहा हूँ।

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु विधान मण्डल के दोनों सदनों से दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

नागरिक उड्डयन एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी')-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2004 की धारा-3 की उपधारा (5) के खण्ड (क) और (ख) के अनुसार एक मुस्लिम सुन्नी सदस्य एवं एक मुस्लिम शिया सदस्य विधान मण्डल के दोनों सदनों से निर्वाचन करें।

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस व्यक्ति को मा0 अध्यक्ष जी आदेश दें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2004 की धारा-3 की उपधारा के खण्ड (ख) के नाम अनुसार एक मुस्लिम सुन्नी सदस्य एवं एक मुस्लिम शिया सदस्य विधान मण्डल के दोनों सदनों से निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव जो इस मा0 सदन में दिनांक 16 दिसम्बर 2021 को स्वीकृत हुआ है, के संबंध में यह सदन संबंधित नियमों के

उपबन्धों को सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक जन निर्वाचित प्रक्रिया से संबंधित उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् की प्रबंध समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए एक मुस्लिम सुन्नी सदस्य एवं एक मुस्लिम शिया सदस्य का निर्वाचन कराने के स्थान पर मा0 अध्यक्ष, विधान सभा को विधान सभा के सदस्यों के नाम-निर्देशित करने के लिए तथा उसके बाद विद्युत परिषद् में आकस्मिक मृत्यु की यदि कोई हो पूर्ति के लिए यथासम्भव सदस्यों के नाम निर्देशित करने के लिए भी प्राधिकृत करता है। और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम, निर्देशित सदस्यों को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् में संबंधित नियमों की अपेक्षा में विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, हम अपने सदन का कर सकते हैं दोनों सदन का यहां से कैसे हो सकता है। चूंकि यह दोनों सदनों से निर्वाचन होना है। इसलिए आप इसे विधिक रूप से देख लें। हम दोनों सदन के लिए यहां विधान सभा से प्रस्ताव नहीं कर सकते कि आपको अधिकृत किया जाय कि दोनों सदन का ही आप नाम-निर्देशित कर दें। मा0 आप इस पर विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी का कहना है कि यह दोनों सदन का है। इसमें दोनों सदन कहां हैं ?

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, उपधारा 5 के खण्ड (ख) के अनुसार एक मुस्लिम सुन्नी सदस्य एवं एक मुस्लिम शिया सदस्य विधान मण्डल के दोनों सदनों से निर्वाचन है। दोनों सदनों से निर्वाचन करना है। आप इसको विधिक रूप से देख लें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव से कोई आपत्ति नहीं है।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें गलत छप गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैंने देख लिया है, इसमें संशोधन की आवश्यकता है, मैं इसको वापस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

क्या मैं प्रश्न उपस्थित कर दूं और यह मान लिया जाय कि विधान परिषद् वाला डिलीट कर दिया गया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, प्रश्न उपस्थित करने की बात खत्म हो गयी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्ताव ही वापस ले लिया है, कल दोबारा यह प्रस्ताव आ जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ और दोबारा सही करके इसे प्रस्तुत करूँगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय लाल जी वर्मा जी ने ठीक ध्यानाकर्षण किया है।

उ0प्र0 माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021†

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी....

श्री सतीश महाना-

गर्ग साहब जब मद संख्या-60(1) पर विचार का मद आयेगा उस समय आप अपने विचार रखियेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि तय हुआ था बिल ले लें, पारित होने वाली मदें साथ-साथ ले लें।

श्री अध्यक्ष-

पहले ये पुरःस्थापित हो जाये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पुरःस्थापन के बाद इसी मद को ले लें, जो अनुपूरक कार्य-सूची के मद संख्या-60(1), 60(2), 60(3) और 60(4) में आया है।

---

† दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री उमाशंकर सिंह-

अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी मद संख्या-53 की बात कर रहे हैं उसमें जो अनुपूरक कार्य-सूची आ गयी है।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-53 का पारण नहीं हुआ है, पुरःस्थापन हो गया है। मद संख्या-54 उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) (संशोधन) विधेयक, 2021 के पुरःस्थापन की अनुज्ञा मांगना है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा सबमिशन यह है कि ये बिल पुरःस्थापित हो जायेंगे उसके बाद एक-एक करके इनको पारित किया जाना है।

श्री अध्यक्ष-

आप क्या कह रहे हैं यह स्पष्ट नहीं हो रहा है।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, एकदम परम्पराओं का उल्लंघन करना उचित नहीं होगा। जो अनुपूरक कार्य सूची आयी है उस समय जो मद आ रहा है तो तत्समय आप विचार और पारण ले लें। इस समय पुरःस्थापन रहने दें। अब इतनी इमरजेंसी क्या है ? उसके पहले कार्य-स्थगन के प्रस्ताव हैं, कार्य-स्थगन के प्रस्ताव बीच में आयेंगे। पहले मद सं0-54 से मद सं0-59 तक पुरःस्थापित कर लें। उसके बाद मद संख्या-60 आ जायेगा। फिर आप मद संख्या-60(1), 60(2), 60(3) और 60(4) जो विचार और पारण है, उसको ले लीजियेगा। बार-बार एजेण्डा बदलना ठीक नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

एजेण्डा बदलना ठीक नहीं है, लेकिन यह बात तय हो चुकी थी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी घबरा गये हैं, मैं कल से देख रहा हूँ कि इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। किस बात से भयाक्रान्त हैं यह हमको समझ में खुद ही नहीं आ रहा है ? कल से आप भी देख रहे हैं। किसी भी बात पर हर 10 मिनट में पलट जा रहे हैं। हर 10 मिनट पर पलट जाना यह दिग्भ्रमित होने की निशानी है। मैं मान रहा कि संसदीय कार्य मंत्री जी इस बात को समझ रहे हैं कि पता नहीं चुनाव में क्या होगा ? उसकी चिन्ता आप छोड़ दीजिये। परम्पराओं के अनुसार आप सदन को चलवाइये, विपक्ष पूर्ण रूप से आपका साथ देने के लिए तैयार है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, हम तो दोबारा 300 से ज्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

3 सीटें आ जायें तो वही बहुत है।

श्री अध्यक्ष-

आप पुरःस्थापन करा दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, इनके पास और कोई विषय नहीं है।

उ0प्र0 औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) (संशोधन) विधेयक, 2021†

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उ0प्र0 अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2021†

विधायी एवं न्याय तथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

† दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री ब्रजेश पाठक-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उ0प्र0 राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021[†]

खेल एवं युवा कल्याण, पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री उपेन्द्र तिवारी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपेन्द्र तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री सुरेश राणा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उ0प्र0 शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021†

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री सुरेश राणा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

[†] दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उ0प्र0 (चतुर्थ) निरसन विधेयक, 2021[†]

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश (चतुर्थ) निरसन विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (चतुर्थ) निरसन विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश (चतुर्थ) निरसन विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2021[†]

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

[†] दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

मुझे सूचित करना है कि निम्नलिखित विधेयक जो आज विधान सभा में पुरःस्थापित किये गये हैं उन पर विचार और पारण संबंधी मदें आज ही ले ली जायें। पहला उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, दूसरा औद्योगिक शान्ति मजदूरी का यथासमय संदाय विधेयक, तीसरा अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन, चौथा राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक।

(इस मध्य नेता प्रतिपक्ष श्री राम गोविन्द चौधरी के अपने स्थान पर खड़े होने पर)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, इसके बाद तो कार्य-स्थगन है।

श्री अध्यक्ष-

पहले यह हो जाये, उसके बाद हम वही लेने जा रहे हैं। यह आज ही ले लिये जायें, हम इस पर प्रश्न उपस्थित कर दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, आज तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि सदन को क्या हो गया है। न इधर समझ में आ रहा है न उधर समझ में आ रहा है और हम लोगों को तो बिलकुल भी समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आप जो कहें वही माना जायेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

और आपके बाद हमको माना जाय इसलिए नियम-56 ले लीजिये।

(सदन में हंसी)

श्री अध्यक्ष-

आपने कहा और आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया इसलिए नियम-56 ही ले लेते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, पहले यह बिल ले लें उसके बाद नियम-56 ले लें। नियम-56 वाली बात तय हो चुकी है कि एक-एक पार्टी का एक-एक ले लिया जायेगा, लेकिन पहले यहाँ पर बिल आ जाय।

(इसी मध्य सदस्य श्री लाल जी वर्मा एवं नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये और कुछ बोलने का प्रयास करने लगे।)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, पहले नियम-56 लिया जाये, उसके बाद ही विधेयक लिये जायें, क्योंकि उसको आज ही लेने का प्रस्ताव अभी आया है। उसको आज ही लेने का प्रस्ताव अभी मा0 अध्यक्ष जी ने किया है। इसलिए पहले नियम-56 ले लीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पहले बिल ले लें उसके बाद नियम-56 ले लें।

(इस मध्य सदस्य श्री लाल जी वर्मा एवं नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' सहित सदस्य श्री अजय कुमार 'लल्लू' अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करते रहे जिस कारण व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप तो अपनी हर बात मनवाना चाहते हैं। आप कार्य-सूची के अनुसार क्यों नहीं चलते हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम कार्य-सूची के अनुसार भी चलेंगे और यह सदन अपने आप में सर्वाधिकार सुरक्षित है। सदन जब चाहे अपनी कार्य-सूची को तय कर सकता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, क्या आप भागना चाहते हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ऐसा है कि आप जरा वर्ष 2007 की कार्यवाही निकाल कर देख लें। आप कहते हैं कि भागना चाहते हैं। वर्ष 2007 की कार्यवाही निकाल कर देख लीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आपको दो दिन सदन चलाना ही पड़ेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह देख लें। एक शायर ने कहा था कि आइना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो।

(सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, पहले कार्य-स्थगन है। इसलिए पहले उसको ले लें और उसकी सूची अप्रूव है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम इनकी परम्परा बता रहे हैं। वर्ष 2007 में एक ही दिन में अनुपूरक अनुदान की मांगें प्रस्तुत की गयी थीं। वर्ष 2007 में जो आगे का अन्तरिम बजट प्रस्तुत हुआ इन्होंने उसी दिन उसको पास कराया था और यह हमें परम्परा बता रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप बहस करा लें, कोई मना कर रहा है ? आप बहस तो करा नहीं रहे हैं। आप आज ही बहस करा लीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप सुन लीजिये। आप लोग परम्परा की बात करते हैं और कार्य सूची की बात करते हैं, हम उसी का जवाब दे रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप आज ही बहस करा लीजिये, लेकिन नियम-56 होने दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नियम-56 उसके बाद लिया जायेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

तो फिर आपकी बात हम लोग भी नहीं मानेंगे। आपकी बात मानते-मानते हम लोग थक गये हैं।

(इसी मध्य समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता अपने-अपने दल के सदस्यों सहित खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान बना रहा।)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, सदन यह चलायेंगे कि आप चलायेंगे ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, सत्ता पक्ष खुद ही सदन को डिस्टर्ब कर रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पहले बिल ले लें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, पहले नियम-56 लीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नहीं मान्यवर, पहले बिल।

(व्यवधान के मध्य)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप चाहते हैं कि हम भाग लें, लेकिन हम लोग आपको भागने नहीं देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हम भाग नहीं रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

यही तो भागने का तरीका है। आज कार्य-मंत्रणा की बैठक में तय हुआ है कि नियम-56 पहले लिया जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

कार्य-मंत्रणा की बैठक में यह तय नहीं हुआ है। मान्यवर, कार्य-मंत्रणा की बैठक में यह तय हुआ है कि एक-एक नोटिस सबका ले लेंगे, लेकिन पहले बिल पास करायेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

ये कहाँ कहा गया था, यह बात कहाँ हुई है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

पहले बिल पास हो जाये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अगर आप भागना चाहते हैं तो भागिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हम भागना नहीं चाहते हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी यह फैसला आप करिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आपके पास सवालों के उत्तर नहीं हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हम हर सवाल का उत्तर देने को तैयार हैं, और हर सवाल का उत्तर मेरे पास है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, यह बार-बार सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपकी हर बात हम मान लेते हैं आप जो कहते हैं, हम लोग मान लेते हैं।

श्री अध्यक्ष-

बिलों के पारण में कितना समय लगेगा ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ये बिल ले लें, मेरा सबमिशन यह है कि जो प्रस्ताव आपने किया है उस पर मतदान करा लें, उसके बाद नियम-56 ले लें।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मा0 अध्यक्ष जी, आप तय करिये कि क्या करना है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, पहले नियम-56 ले लीजिये जो आपने कार्य सूची में तय किया है, जो कार्य-मंत्रणा की बैठक में तय हुआ है, उसके बावजूद आपने इनकी बात मानी है, लेकिन बार-बार ये हर चीज को बदलेंगे तो यह सही नहीं है क्या ये आपसे ऊपर हैं ? क्या आसन से ऊपर संसदीय कार्य मंत्री होता है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ये सदन सबसे ऊपर है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

सबसे ऊपर अध्यक्ष होते हैं, सदन के मालिक अध्यक्ष हैं आप नहीं हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हम स्वीकार करते हैं और हम मा0 अध्यक्ष जी का आपसे ज्यादा सम्मान करते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

नहीं करते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

कार्यवाही देख लें मान्यवर कि आपने क्या कहा है। हम तो हृदय से सम्मान करते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हम तो आपका सम्मान करते हैं जो कहते हैं सब मान लेते हैं, लेकिन अब अति मत करिये, अति मत करिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पहले बिल ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

बिल में क्या कितना समय लगने वाला है ?

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी आपने कार्य-सूची बनायी है, और जो कार्य-सूची बनी है, उसमें 60 पहले है उसके बाद 60(1) है, इसलिए 60 पहले लीजिये उसके बाद 60(1) लीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इस सदन को कार्य-सूची बदलने का अधिकार है। आप प्रस्ताव रखिये, यह सदन को अधिकार है।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा माननीय अध्यक्ष का अपमान किया जा रहा है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हम अध्यक्ष का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आप प्रस्ताव रखवा दें।

श्री अध्यक्ष-

इस सदन की उम्र लगभग 5 वर्ष हो गयी है। ऐसा कभी अवसर नहीं आया कि किसी माननीय सदस्य ने हमारा अपमान किया हो। अगर अपमान होता तो हम हंसते हुए नजर नहीं आते।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

हम व्यवस्था का प्रश्न सुनेंगे, आप बतायें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, पहले आप सुन लें उसके बाद निर्णय दें। मान्यवर, आपकी अनुमति से कार्य सूची बनती है और आपने एक बार कार्य सूची बनाई फिर अनुपूरक कार्य सूची बनाई। आपके आदेश से अनुपूरक कार्य-सूची बन गयी और हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। हमारा आपसे निवेदन है कि जो आपके आदेश से अनुपूरक सूची बनी उसको बदलने का प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कर रहे हैं। इसका मतलब आपका अपमान कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आपका अपमान न होने पाये और जो आपके आदेश से अनुपूरक सूची बनी है, उसके अनुसार कार्य-संचालन करने की कृपा करें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आप परसों से गवाह हैं। पहले कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुई और बैठक में संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि यह कार्य-मंत्रणा समिति की अंतिम बैठक है। आपने, मैंने, मौर्या जी ने, नेता बसपा हम सबने समिति के सदस्यों को बधाई तक दे दिया कि अब इनका कार्यकाल खत्म। उसके बाद किसके दबाव में आपने हम लोगों को नोटिस दे दिया कि फिर से कार्य-मंत्रणा है ? क्या आदमी मर के जी जाता है ? कभी हुआ है कि आदमी मर जाये और फिर जिन्दा खड़ा हो जाये। कार्य-मंत्रणा की इतिश्री उस दिन हो गयी फिर आपने उसको जिया दिया वह भी हम लोगों ने मान लिया। अगर यह तय हो गया तो फिर बदलवाना है। कभी विपक्ष ने नहीं कहा कि सदन को स्थगित कीजिये। सदन के इतिहास में पहली दफा संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि सदन को स्थगित कीजिये। अब जो कार्य सूची आपने तय की है, उसके अनुसार चले इसी में सदन का भला है। सदन मालिक है तो सदन ने सर्वसम्मति से आपको सदन का, पीठ का अध्यक्ष बनाया है। सदन के मालिक आप हैं न कि संसदीय कार्य मंत्री। संसदीय कार्य मंत्री के सुझाव पर आपको चलने का अधिकार नहीं है। अगर संसदीय कार्य मंत्री के कहने पर आपको चलने का अधिकार है तो नेता विरोधी दल राम गोविन्द चौधरी के भी कहने पर आपको चलने का अधिकार है। सदन सर्वोपरि है। मैं मानता हूँ, लेकिन सदन ने तो आपको चुन लिया है और सबसे सर्वोपरि आसन पर आप बैठे हैं। आपके निर्णय में निष्पक्षता हो।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, क्या यह सम्मान है ? आप जिस भाषा में बोल रहे हैं। मान्यवर, यह भाषा कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

क्या भाषा बोल रहे हैं ? हमने कहा कि सर्वसम्मति से माननीय अध्यक्ष जी चुने गये हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप जिस तरीके से अधिकार बता रहे हैं। मान्यवर, यह सम्मान नहीं है। इनके पास कोई अपनी व्यवस्था नहीं है। नियम-56 में जितना चाहेंगे बोलेंगे। ग्राह्यता के ऊपर दो-तीन मिनट बोल लें, लेकिन होता यह है कि फिर उसी के ऊपर विस्तार से अपनी बात रखते हैं, तो बिल हमारे किस समय पास होंगे। कल मैं बता चुका हूँ कि जो परिस्थिति है। मान्यवर, इसे बार-बार दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर ये राजी हो जायें और दो बजे तक नियम-56 समाप्त कर दें तो हम जवाब दे देंगे। यह खुद दो-दो मिनट तक बोल लें तो हम तैयार हैं। लेकिन ये अनलिमिटेड ही बोलेंगे।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मुख्य मंत्री जी का बता दीजिये कि कितने मिनट बोलेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नेता सदन और नेता विपक्ष को अनलिमिटेड बोलने की पावर है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

आप नेता विपक्ष को क्यों प्रतिबंधित कर रहे हो बोलने के लिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, बोलने की कोई लिमिट नहीं है नेता सदन और नेता विपक्ष के लिए, लेकिन इसको दो बजे तक सीमित कर दें तो इसको भी अभी करवा लें।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष का इस पर क्या कहना है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि नियम-56 पहले हो जाये। लेकिन इनको किसने यह अधिकार दिया है कि दो मिनट या तीन मिनट बोलें।

श्री अध्यक्ष-

किसी भी समय बोलने का आपको अधिकार है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, तीन बजे मुख्य मंत्री जी को बोलना है इस हिसाब से जो भी एडजेस्ट हो जाये हम तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप लोगों में नियम-56 के लिए सहमति बन गयी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमने तो आपके ऊपर छोड़ दिया है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें तो आपने हमको ही केन्द्र बना दिया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ग्राह्यता पर टू द प्वाइंट बोल दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वही बात बार-बार दोहराई जाये तो गलत है, एक-एक व्यक्ति बोल ले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मैं पहली सूचना ले रहा हूँ। यह सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' और श्याम सुन्दर शर्मा की है। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के बारे में है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, सदन की परम्परा और नियम को आपने संरक्षित किया है और जो तय हुआ था उसी क्रम में आज यह कार्य सूची जो आपके निर्देशन से तय हुई थी उसी क्रम में चल रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, पिछले चार-पांच साल की सरकार में।

श्री अध्यक्ष-

वैसे हम बीच में टोकते नहीं हैं, लेकिन अब टोक रहे हैं। कार्य-स्थगन की नियमावली में जो व्यवस्था और व्याख्या है वह किसी एक सुनिश्चित घटना पर होनी चाहिए। आपने पहले ही कह दिया कि साढ़े चार साल से गड़बड़ है तो यह तो नहीं कहा जा सकता है। यही मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी अभी कह रहे थे।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, साढ़े चार साल की वजह से ही तो यह बड़ी घटना घटित हुई है।

श्री अध्यक्ष-

कार्य-स्थगन की सूचना पर साढ़े चार साल पर नहीं बोल सकते हैं। बल्कि किसी एक सुनिश्चित घटना पर ही बोल सकते हैं। जब अनुपूरक पर बोलने का आपका नम्बर आये तो आप साढ़े चार साल पर बताइयेगा। कार्य-स्थगन पर किसी एक सुनिश्चित घटना पर बताइये।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद लखीमपुर खीरी की घटना पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ। दिनांक 03 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हजारों किसान तीन काले कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। वहां पर माननीय उप मुख्य मंत्री जी का दौरा लगा हुआ था। वहां पर जो किसान थे वह गन्ना मूल्य के भुगतान को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। सांसद एवं गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टेनी जी ने रास्ते में गुजरते वक्त जिस तरह किसानों को उकसाने का प्रयास किया। घटनास्थल पर मौजूद केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री जी के बेटे आशीष मिश्रा ने गाड़ी से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचला। यह केवल हम नहीं कह रहे हैं बल्कि पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखा है। इसमें चार किसान और एक पत्रकार की दर्दनाक मौत हो गई। यह मौत नहीं थी, बल्कि यह किसानों की निर्मम हत्या थी। उसके बाद वहाँ पर किसी को भी जाने से रोके जाने का लगातार प्रयास किया गया। हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने रात में वहां पर पहुंचने का प्रयास किया और वह उन परिवारों से संवेदना व्यक्त करने के लिए जाना चाहती थीं। सबने देखा कि रात के तीन-चार बजे उनको अरेस्ट करके बिना वारंट के करीब 42-48 घंटे तक जेल में रखा गया। हमारी मांग पहले भी यही थी कि एस0आई0टी0 जांच हो और जिस तरह से इस घटना में किसानों की हत्या की गयी है उसमें दोषियों के खिलाफ कार्यवाही हो। यह एस0आई0टी0 सरकार ने बनाई और

रिटायर्ड न्यायाधीशों की अध्यक्षता में बनी। एस0आई0टी0 की रिपोर्ट परसों आई है जिससे स्पष्ट हो गया है कि सुनियोजित तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे और उनके समर्थकों के हाथ किसानों के खून से रंगे हुए हैं। जो एस0आई0टी0 की रिपोर्ट आई है उसमें जिस तरह से यह घटना सिद्ध हुई है। यह एस0आई0टी0 तो सरकार ने बनाई थी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी। आज जब यह एस0आई0टी0 की रिपोर्ट आ गई तो मैं सरकार से सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या वजह थी कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस पकड़ नहीं पाई थी। सरकार किसको बचाने की कोशिश कर रही थी।

श्री अध्यक्ष-

सामान्य परिपाटी है कि जो इस आदरणीय सदन का सदस्य नहीं है उसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं होती है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आशीष मिश्रा का नाम लिया है और वह एक साधारण व्यक्ति है। वह इस मामले में मुख्य आरोपी है। सरकार ने उसको बचाने का लगातार प्रयास किया है। हमारे विपक्ष के जिन भी वरिष्ठ नेताओं ने मौके पर जाने का प्रयास किया उनको या तो अरेस्ट कर लिया गया अथवा हाउस अरेस्ट कर लिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने दो सवाल किये हैं। मैं जानना चाहती हूं और केवल मैं ही नहीं जानना चाहती हूँ, बल्कि इस देश के किसान जानना चाहते हैं और यह उनके अधिकार का सवाल है। सरकार ने अभी तक केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया है, जिनका नाम एस0आई0टी0 की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से आया है। जो लोग इस घटना में आरोपी हैं उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी। जिन किसानों की इस घटना में हत्या हुई है, क्या सरकार उन किसानों के परिवारों को सरकारी नौकरी देगी और क्या उनको मुआवजा देगी। सरकार की उनके प्रति क्या सहानुभूति है। माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर विषय है, इसलिए सरकार से मेरे सवालों के जवाब दिलवा दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, सामान्यतः जो विषय कोर्ट के संज्ञान में हो और कोर्ट में चल रहा हो, उसकी चर्चा विधान सभा या सदन में नहीं की जा सकती है। यह नियम में भी है और परम्परा भी है और सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में जांच चल रही है, लेकिन सदन के सामने यह आया है, इसलिए हम जवाब दे रहे हैं। चूंकि एक पक्ष आ गया है, इसलिए हम जवाब दे रहे हैं। मान्यवर, सरकार ने इसमें पूरी तत्परता के साथ काम किया है और यह योगी जी की ही सरकार में सम्भव था कि गृह राज्य मंत्री का बेटा आज जेल में है वरना हमने दूसरी सरकारों को देखा है। हमने दूसरों की कानून व्यवस्था भी देखी है, लेकिन यह योगी जी की न्यायप्रिय

सरकार में ही सम्भव था कि गृह राज्य मंत्री का बेटा आज जेल में है जिस समय जेल में भेजा गया, उस वक्त कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं था कार्यवाही में देख लीजियेगा और इसमें जो लोग हताहत हुए हैं उनका सरकारी सहायता के रूप में मुकदमा कायम हुआ है। मैं खासतौर से इसे पढ़ देता हूँ। यह लिखित तहरीर जगदीश सिंह पुत्र हरि सिंह निवासी ग्राम मंजारन टांडा नानपारा, बहराइच द्वारा दी गयी तहरीर पर दिनांक 04-10-2021 को थाना तिकुनिया में मुकदमा अपराध संख्या-219/21 धारा-147, 148, 149, 279, 338, 304ए, 302, 120बी भारतीय दंड संहिता बनाम आशीष मिश्रा उर्फ मोनू पुत्र अजय मिश्रा 'टेनी' ग्राम बनवारीपुर, परगना खैरीगढ़, तिकुनियाबाद, जनपद खीरी व अन्य 15-20 अज्ञात व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया था, जिसमें दिनांक 05-12-2021 को धारा-279, 338, 400ए का विलोपन करके 307, 326, 34 भारतीय दंड विधान व 3/25, 30 अपठित धारा-35 अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गयी। मान्यवर, इसमें बाद में जिस प्रकार की परिस्थिति बनी जैसी एविडेंस आई उसके हिसाब से जांच हो गई और इसमें जिन लोगों के ऊपर आरोप थे वह जेल में हैं। सरकार ने इसमें किसी प्रकार से हीलाहवाली या कोताही नहीं की है। इतने बड़े व्यक्ति के बेटे के खिलाफ कानून द्वारा कार्यवाही की गयी है, इस बात के लिए इन सबको एप्रीशिएट करना चाहिए, जिसका नाम नहीं आया है, सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में उसकी जांच चल रही है। सरकार कानून व्यवस्था को मेनटेन करने में पूरी तरह से मुस्तैद है। हर स्तर पर कानून व्यवस्था को मेनटेन करने में जो कदम उठाने चाहिए वह उठाये गये हैं। उसमें किसी प्रकार की हीलाहवाली नहीं किया गया है, इसलिए इन लोगों को एप्रीशिएट करना चाहिए। मान्यवर, यह नियम-356 में नहीं आता है, इसलिए इसे अग्राह्य किया जाय और जिस-जिस विषय में इन्होंने नोटिस में कहा है, उन सभी लोगों पर कार्यवाही की गयी है। यह नियम-356 में नहीं आता है इसलिए इसे अग्राह्य किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, यह बहुत अच्छा हुआ है कि जो कार्यवाही हुई है, लेकिन टेनी मिश्रा को अभी बर्खास्त नहीं किया गया है, उनको बर्खास्त किया जाय, यह सरकार निष्पक्षता से कार्यवाही नहीं कर रही है। सरकार के इस रवैये पर हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(तत्पश्चात् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना माननीय नरेन्द्र सिंह वर्मा जी की है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, प्रभु नारायण वाला ले लीजिये। बहुत महत्वपूर्ण है। विधान सभा की यह परम्परा भी है कि अगर सदन के किसी सदस्य पर कोई घटना घटी है, तो उनकी बात सुनी जाती है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, उस पर हम ध्यानाकर्षण कर देंगे।

श्री प्रभु नारायण सिंह-

मान्यवर, तहसील सकरिया और विधान सभा क्षेत्र सकरिया के अन्तर्गत घटित घटना के विषय में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। दिनांक 03-12-2021 को समाजवादी पार्टी के विधान सभा अध्यक्ष, जनपद के अध्यक्ष, मैं स्वयं और उप जिलाधिकारी सकरिया के यहां किसानों से जुड़ी और जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर हम सब गये थे।

खाद नहीं मिल रही थी, बिजली नहीं मिल रही थी, छुट्टा आवारा पशुओं को लेकर, सड़कों के निर्माण, गड्ढा मुक्ति के सवाल पर हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया था और यह कहा था कि हमारी समस्याओं का तत्काल निस्तारण किया जाये अन्यथा हम लोग धरना-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। माननीय अध्यक्ष जी चन्दौली जनपद के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत बाबा किनाराम की जन्मस्थली पर माननीय मुख्य मंत्री जी का कार्यक्रम लगा था। दिनांक 05 तारीख को उनको आना था। मेरी खुद की विधान सभा क्षेत्र में कार्यक्रम था और जिला प्रशासन द्वारा हम लोगों को इसकी कोई सूचना देने का काम नहीं किया गया था। तो हम लोगों ने तय किया कि कस्बा चहनिया जो कार्यक्रम स्थल से लगभग 08 कि0मी0 दूर था, हम सब समाजवादी पार्टी के लोग आये और अपना ज्ञापन देने के लिए चलने का काम किये। वहां से जब हम 500 मीटर दूर गये होंगे तो वहां के तत्कालीन एस0डी0एम0 सकलडीहा, वहां के डिप्टी एस0पी0 हम लोगों को रोकने का प्रयास करने लगे। डिप्टी एस0पी0 सकलडीहा लोगों पर लाठी चलाने का काम किये, महिलाओं को भी पीटने का काम किये, जो भी नेता और कार्यकर्ता थे, उन पर पुलिस के द्वारा लाठी चलाने का काम किया गया। जब मैंने उनको रोकने का काम किया और अपना परिचय भी दिया कि मैं समाजवादी पार्टी का सकलडीहा विधान सभा क्षेत्र से विधायक हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे-वैसे विधायक को नहीं जानता, मैं विधायकों को ठीक करने का काम करता हूँ। वह मुझे खुद कह रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। वहां बड़े अधिकारी आते हैं, हमने बीच-बचाव करके सहयोग देने का काम किया। उसके बाद शाम को तमाम धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने का काम किया गया। आज उत्पीड़न की ऐसी धाराएं लगी हैं, जिनमें दो साल से ज्यादा की सजा नहीं है, गिरफ्तारी आवश्यक नहीं होती है। पुलिस के द्वारा लोगों को नाजायज तरीके से परेशान करने का काम किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूँ कि जो

मुकदमा दर्ज करके विधायक का अपमान करने का काम डिप्टी एस0पी0 के द्वारा किया गया है, वह इस विधायिका का भी अपमान है। जो फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज करके उत्पीड़न की कार्यवाही पुलिस के द्वारा की जा रही है, उस मुकदमे को समाप्त किये जाने का काम करें। मैं आपसे मांग करता हूँ, ऐसे मुख्य विषय पर कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह घटना निश्चित ही अविलम्बनीय है और महत्वपूर्ण है। इस घटना की जांच करने के लिए पार्टी के निर्देश पर मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी भी गयी थी। चन्दौली सकलडीहा के लोगों ने श्री प्रभु नारायण सिंह यादव के नेतृत्व में और एम0पी0 के नेतृत्व में पहले ही डी0एम0 को पत्र दिया था कि खाद नहीं मिल रही है, बीज नहीं मिल रहा है, क्या आप इसकी व्यवस्था करायेंगे ? नहीं तो हम लोग अमुक दिन धरना-प्रदर्शन करेंगे। इसी बीच में मा0 मुख्य मंत्री जी का कार्यक्रम बाद में लग गया। जिस दिन इन लोगों ने घोषणा की थी उसी दिन मा0 मुख्य मंत्री जी का कार्यक्रम लगा। यह नहीं था कि मा0 मुख्य मंत्री जी के कार्यक्रम के आने के बाद इन्होंने अपना कार्यक्रम रखा था। मा0 मुख्य मंत्री जी का कार्यक्रम बाद में लगा। जहां यह लोग इकट्ठे हुए वहां से आठ कि0मी0 दूर है। जहां लाठीचार्ज हुआ, वहां न घर है न कोई सरकारी चीज है। एक डिप्टी एस0पी0 आता है और धड़ाधड़ लाठी मारने लगता है। हमारी जो महिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया, उनको मारा तो उनका हाथ भी टूट गया और कोई महिला पुलिस नहीं थी। मा0 अध्यक्ष जी, इतना अत्याचार मैंने राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ नहीं देखा। हां, अगर मा0 मुख्य मंत्री जी के पास यह लोग गये होते, पांच कि0मी0 दूर मा0 मुख्य मंत्री जी मीटिंग कर रहे हैं।

मान्यवर, हमको और डी0एम0 को अधिकार नहीं कि अपना पक्ष रख दें। अरे, वहां पर यह होना चाहिए था कि आप पत्र दे दीजिये और आज हम लोग माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यक्रम में व्यस्त हैं, हम आपकी सारी व्यवस्था करेंगे, लेकिन वह नहीं हुआ। लाठी से मारा गया, पूरे जनपद में मेडिकल नहीं होने दिया और इन्हीं पर मुकदमा भी हो गया। जो मारा गया, जो घायल हुआ, उसी पर मुकदमा हो गया। यह घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है, हृदयविदारक है, निश्चित है, अविलम्बनीय है, अशोभनीय है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस घटना की गम्भीरता को देखते हुए सदन की शेष कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जिस दिन की घटना बताई गयी है उस दिन का हमारे पास वीडियो है। यह वीडियो हम आपके पास भेज देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप वीडियो फोन सहित भेजेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, फोन सहित वीडियो भेजेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, यहां पर वीडियो दिखलाने की परम्परा नहीं है और अगर वीडियो दिलखाने की परम्परा हो तो हम लोग भी अपनी वीडियो दिखला दें। संसदीय कार्य मंत्री होकर भी वीडियो दिखला रहे हैं, यह तो सदन का अपमान कर रहे हैं। यहां पर वीडियो दिखलाने का नियम ही नहीं है। आप केवल माननीय अध्यक्ष जी के पास नियमानुसार वीडियो पहुँचा दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम यह वीडियो आपके पास भेज दे रहे हैं। आज इलेक्ट्रानिक जमाना है और यह नई परम्परा इलेक्ट्रानिक जमाने में ही आई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सज्जन सी0ओ0 की गर्दन ऐसे पकड़े हुए हैं और ऐसे हिला रहे हैं। यह कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। समाजवादी पार्टी का पूरा चरित्र उजागर हो रहा है। आप उस सज्जन का नाम मत पूछियेगा क्योंकि हमारे पास वीडियो है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मेरे पास भी वीडियो है जिसमें बिना किसी कारण के सी0ओ0 दूर से आ रहा है और स्वयं लाठी चलाने लगा। आप उसका वीडियो नहीं दिखलायेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, सिर से सिर में टक्कर मारी गई।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, जब सी0ओ0 ने मारकर घायल कर दिया और विधायक से कहा कि हम जान से मार देंगे। तब विधायक ने कहा कि हमको जान से मार दो।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जहाँ पर कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो फिर करेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मंत्री को नियुक्त करता हूँ कि वह स्वयं घटना स्थल पर चले जायें और घटना स्थल पर जाकर वहां के लोगों से पूछ-ताछ कर लीजिये और उसके बाद आप जो निर्णय देंगे, हम मान जायेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जहां तक मुकदमे की बात है, उसकी पूरी न्यायप्रिय तरीके से तफतीश होगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम पूरे सदन को आश्वस्त करते हैं कि हम न्याय दिलायेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, जो पुलिस बेमतलब की दबिश दे रही है, वह स्वयं मारी है। पुलिस ने स्वयं मुल्जिम बना दिया और दमन कर रही है। इसको तो बन्द कराया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इन्होंने जांच का आश्वासन दे दिया है और मैं स्वयं कह रहा हूँ कि इसमें जांच करा दी जाय।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसमें न्याय होगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आपने क्या निर्णय दिया ?

श्री अध्यक्ष-

हमने सरकार से कहा है कि ठीक से जांच करा दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आप यह कहिये कि उत्पीड़न बन्द हो। हम ही पीटे गये और हमारा ही उत्पीड़न हो। इतनी कृपा हो जाये

श्री अध्यक्ष-

नहीं, हमने कह दिया है। माननीय उमाशंकर सिंह जी जो पुरानी पेंशन व्यवस्था का विषय है, उस पर अपनी बात रखिये।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करूँगा। उत्तर प्रदेश के जो हमारे राज्य कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति वर्ष 2004 के बाद हुई है उनकी जो पुरानी पेंशन देने की प्रक्रिया थी, वह प्रक्रिया वर्ष 2005 से उत्तर प्रदेश में बन्द कर दी गयी है। मान्यवर, चूंकि वह विषय इसमें नहीं है लेकिन सरकार का पक्ष यह है कि हम राज्य कर्मचारियों के हित में ऐसा फैसला लिये हैं, तो अगर वह कर्मचारी ही कह रहे हैं कि हमें आपके हित के इस फैसले की जरूरत नहीं है, हमें हमारी पुरानी पेंशन ही बहाल कर दी जाये, तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार

को इसे मानने से कोई परहेज नहीं होना चाहिए। आप देखिये इसमें दो तरह के फैसले लिये गये हैं, जिन कर्मचारियों की नियुक्ति वर्ष 2004 से पूर्व की है उनको पुरानी पेंशन उसी तरह से दिया जायेगा लेकिन उसी विभाग में जिन कर्मचारियों की नियुक्ति वर्ष 2004 के बाद हुई है उनको यह व्यवस्था दिया गया है कि अब आपका जो पैसा कटौती होता है वह पैसा किसी प्राइवेट बैंक में जमा होगा और उस पैसे का जो प्रलोभन दिखाया गया कि उस पैसे का जो लाभ मिलेगा वह शेयर बाजार के हिसाब से मिलेगा। अगर वह कम्पनी, उसका शेयर अधिक है तो उनको लाभ मिलेगा, अगर उसका शेयर डाउन है तो उनका नुकसान होगा। राज्य कर्मचारियों का कहना है कि हमें हमारी पुरानी पेंशन ही बहाल की जाये। मैं यह मानता हूँ कि यह व्यवस्था वर्ष 2004 में भारत सरकार से पास हुई लेकिन अभी भी बहुत सारे राज्य हैं जैसे बंगाल है, उसने यह व्यवस्था लागू नहीं किया है। मा0 अध्यक्ष जी, जब किसान बिल आया था लेकिन जब किसानों ने उस बिल का विरोध किया कि आपके बिल से हमारे अहित हैं तो सरकार को स्वतः उस बिल को वापस लेना पड़ा। उसी तरह से जब राज्य कर्मचारी कह रहा है कि आपका बिल हमारे हित में नहीं है, आप हमारी पुरानी पेंशन की बहाली ही करें, तो आपकी पीठ से इस संबंध में निर्देश होना चाहिए कि कम से कम उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को इससे राहत मिले और उत्तर प्रदेश में पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाये। मा0 अध्यक्ष जी, मैं इसमें बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता हूँ, हर कर्मचारी जो आज काम कर रहा है, वर्ष 2004 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है, वह आदमी हमेशा संशय में डूबा हुआ है कि पता नहीं बुढ़ापे में हमारा क्या होगा, तब तक हमारा पैसा बचा भी रहेगा या नहीं बचा रहेगा। मा0 अध्यक्ष जी, हम सभी सदस्य अपने पूर्व विधायकों की एवं अपनी पेंशन की बात करते हैं और बाहर हमारे कर्मचारी यही कहते हैं कि आप लोग अपनी बात तो करते हैं, लेकिन हमारी जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसकी चर्चा ही नहीं करते। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार से यह अपील करता हूँ कि हमारे राज्य कर्मचारियों की जिनकी नियुक्ति वर्ष 2004 से पहले की है, उनकी जिस तरह से पेंशन है, उसी तरह से जिनकी नियुक्ति वर्ष 2004 के बाद की है, उनको भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का आदेश दें। मा0 अध्यक्ष जी, यह इतना गम्भीर विषय है कि इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर आपसे आग्रह करूंगा कि सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

(कुछ सदस्यों के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

सदस्यगण उत्तर आ जाने दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह पुरानी एवं नई पेंशन का जो मामला है, यह कर्मचारी को खासतौर से भ्रमित करने के लिए रखा जाता है। यह सही है कि नई पेंशन स्कीम में, जितने भी लोग पात्र हैं, लगभग सात लाख सत्तासी हजार लोगों ने नई पेंशन को एडाप्ट कर लिया है और

वर्ष 2019 में जब इनकी मांग बढ़ी थी तब इनका शेयर 10 प्रतिशत था, सरकार ने उसको बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया था। कर्मचारियों की मांग यह थी कि हमें केवल 8 प्रतिशत तक का ब्याज मिल जाये तो भी हम संतुष्ट हैं। 85 प्रतिशत पैसा इनका पूरी तरह से रिजर्व है, उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। यह सही है कि 15 प्रतिशत पैसा इक्विटी में लगाया जाता है, लेकिन वह किसमें लगाया जाता है, वह एल0आई0सी0 में, एस0बी0आई0 में लगाया जाता है जो बिल्कुल सिक्योर्ड है, ये ऐसी संस्थाएं हैं जहां पैसा भी सिक्योर्ड है और उनको रिटर्न भी ज्यादा मिल रहा है। सारे बेनीफिट्स इनको बता दिये गये हैं।

मान्यवर, किसी प्रकार से इनके बेनीफिट्स को कम नहीं किया गया है और इसमें पिछले 05 वर्ष से जो यह कर्मचारी लोग 8 परसेंट की मांग कर रहे थे, इनको 9.80 परसेंट का डिविडेण्ट मिला है। मान्यवर, जैसा माननीय चौधरी साहब कह रहे हैं कि इन्हें पुरानी पेंशन दे दो। किसी न किसी रूप में इन्हें कहना है कि सरकार इसे नहीं कर रही है, सरकार की खिलाफत करने का इन्हें कोई न कोई बहाना चाहिए। मान्यवर, इससे उन लोगों को फायदा ज्यादा है। बातचीत में जब 10 परसेंट का हिस्सा बढ़ाकर हमने 14 परसेंट किया था, तो उस वक्त यह कहा गया था कि हमें केवल 8 परसेंट मिल जाये, हमने उत्तर प्रदेश में 10 से बढ़ाकर 14 परसेंट कर दिया और उसके बाद 9.80 परसेंट डिविडेण्ट भी मिला। आप जो यह मांग कर रहे हैं, उससे तो आप इन कर्मचारियों का और अहित करेंगे। हम तो उन्हें 9.80 परसेंट डिविडेण्ट दिये हैं। इनका सिक्योर्ड इनवेस्टमेंट है, स्टेट बैंक आज भी सिक्योर्ड है, कल भी सिक्योर्ड रहेगा, एल0आई0सी0 आज भी सिक्योर्ड है, कल भी सिक्योर्ड रहेगा, इसमें किसी प्रकार की दुविधा नहीं है। चूंकि सरकार के खिलाफ एक मामला है, इसलिए यह बार-बार उठाते हैं और श्रीमन् मांग के लिए मांग करना, बिल्ला तो यह लगाये हैं कि यह कर्मचारियों के लिए हितकर है, लेकिन कर रहे हैं उनका अहित। हम उन्हें 9.80 परसेंट डिविडेण्ट दे रहे हैं, यह कह रहे हैं कि नहीं, उन्हें 8 परसेंट दीजिये। मान्यवर, हम पूरी तरीके से कर्मचारियों के साथ हैं, कर्मचारियों के हितों के रक्षक हैं। कर्मचारियों के कल्याण के लिए हरदम हम सतर्क हैं, हर वक्त सचेत हैं। जब-जब डी0ए0 देने की बात आयी तो हमने उसे बढ़ाने का काम किया। इसलिए मान्यवर, मैं समझता हूँ कि यह विषय नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आता है, इसलिए इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि हम कर्मचारियों के हित के लिए काम कर रहे हैं और इसमें कर्मचारियों के हित की व्यवस्था है। जैसा आपने एल0आई0सी0 का नाम लिया, भारतीय स्टेट बैंक का नाम लिया। भारतीय स्टेट बैंक में 31 परसेंट है और भारतीय जीवन बीमा निगम में 33.5 परसेंट है। माननीय अध्यक्ष जी, कर्मचारियों के मन में एक डर बना हुआ है कि जिस तरह से यह सरकारी/अर्द्धसरकारी कम्पनियां बिकती जा रही हैं, यह अर्द्धसरकारी कम्पनियां दूसरे को सुपुर्द कर दी जा रही हैं।

इसलिए कर्मचारी इस बात से सशंकित है कि पहले तो हमारा पैसा सरकार के खाते में रहता था, वह सरकार के बजट का हिस्सा होता था, सरकार उसका उपयोग भी करती थी। विभिन्न कामों के लिए जब सरकार के पास बजट नहीं रहता था तो वह पी0एफ0 के पैसे को यूज करती थी और आवश्यकता होने पर कर्मचारियों को पैसा मिल जाता था। लेकिन आज किसी कर्मचारी के घर कोई बीमार है, पता लगा कि आज शेयर हमारा डाउन है, वह शेयर का रेट बढ़ने का इन्तजार करेगा या बीमार का इलाज करायेगा ? अगर आज उसके घर में शादी है और शेयर नीचे है, तो क्या वह शेयर बढ़ने का इन्तजार करेगा ? इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहूँगा कि सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन बहाल करे। अगर कर्मचारी चाह रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन की व्यवस्था को बहाल किया जाय, तो मुझे लगता है कि सरकार को उनकी बात माननी चाहिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, कई बार यह बात उठ चुकी है। पिछली बार हम भी विधान सभा में यह बात उठाये थे और संसदीय कार्य मंत्री जी ने यही उत्तर दिया था। अभी लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने रमाबाई पार्क में पुरानी पेंशन बहाली के लिए रैली की थी। अध्यक्ष जी, हम लोगों ने तो वह रैली नहीं की, न सपा ने किया, न बसपा ने किया, न कांग्रेस ने किया, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि आप लोग विरोध कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, विरोध तो कर्मचारी कर रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन हमको लौटाई जाये और वह जरूरी भी है, वह बुढ़ापे का सहारा है। इन्होंने ही पुरानी पेंशन को खत्म किया था। माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी की सरकार थी, उस जमाने में यह खत्म की गयी थी, तो कम से कम जिस जमाने में खत्म हुई थी, उसी जमाने में लागू हो जाये। अध्यक्ष जी, यह बहुत जरूरी है, नहीं तो बुढ़ापे में उनके लड़के मारेंगे, भोजन देना तो दूर रहा। इसलिए अध्यक्ष जी, आप इसे लागू करवाइये। आप रूलिंग दे दीजिये कि पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाये।

(श्री लाल जी वर्मा, श्री अजय कुमार 'लल्लू' तथा श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा बोलने के लिए खड़े हो गये।)

श्री अध्यक्ष-

समय नहीं है, इसलिए अब मैं केवल नरेन्द्र सिंह वर्मा जी को ही सुनूंगा और बाकी जितने भी माननीय सदस्यों की इसमें सूचनाएं हैं, उनको सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दूंगा।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से प्रदेश के लाखों बेरोजगार नवयुवकों पर हो रही उत्पीड़न की कार्यवाही की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। दिनांक 04-12-2021 को

लखनऊ में 1090 चौराहे पर शिक्षक भर्ती प्रकरण को ले करके शांतिपूर्वक कैण्डल मार्च निकाल रहे थे और वहां पर पुलिस आकर लाठियां बरसाना शुरू कर दीं। उस कैण्डल मार्च में हमारी तमाम बेटियां और बहनें थीं जो घायल हो गईं। लोकतंत्र में अपनी बात को शांतिपूर्वक रखने का अधिकार इस प्रदेश और देशवासियों को है, परन्तु भाजपा की सरकार में लगातार यह अधिकार छीना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 69 हजार शिक्षक भर्ती में पिछड़ों, दलितों और दस परसेंट सवर्णों को निर्धारित आरक्षण का लाभ मिलना था, लेकिन आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। संविधान में जिस आरक्षण की व्यवस्था है, उसका उल्लंघन किया गया। इस भर्ती में 20 हजार सीटों को न मिलने की शिकायत और आरक्षण में दिये जाने की मांग को लेकर कैण्डल मार्च निकाल रहे थे, जिसका पिछड़ा वर्ग आयोग ने संज्ञान भी लिया है और उसके द्वारा राज्य सरकार को निर्देशित भी किया गया है। भाजपा सरकार शिक्षित बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रही है और उनका हैरेसमेंट भी हो रहा है और सरकारी नौकरियों का फार्म भराकर लगातार प्रश्न-पत्र लीक किया जा रहा है और पेपर आउट किये जा रहे हैं, जिसमें उच्च स्तर के अधिकारी और सत्तापोषित नेताओं का भी हाथ है। शिक्षित बेरोजगार किसी तरह फीस भरता है और किराया-भाड़ा लगाकर परीक्षा देता है, उसके बाद परिणाम यह होता है कि परीक्षा लीक हो जाती है और निरस्त हो जाती है। एक तो सरकार परीक्षा नहीं कराती, अगर परीक्षा करवाती है, तो उसका पेपर लीक हो जाता है। जानबूझ कर ऐसी एजेंसियों को जिम्मेदारी दी जाती है जो ब्लैकलिस्टेड और फर्जी पतों पर रजिस्टर्ड हैं। जैसे कि अभी यू0पी0 टी0ई0टी0 की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, जांच में परीक्षा एजेंसी और आर0एस0एम0 सिल्वर्स कम्पनी नामक फर्जी पते पर रजिस्टर्ड पाई गई। पेपर गोदाम में रखे गये थे। यह एजेंसियां करोड़ों का खेल करती हैं। आज प्रदेश का शिक्षित नवयुवक आक्रोशित है। इनका लोक संकल्प-पत्र है उसमें प्रदेश के 70 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम कहा गया था। अब तो इनकी चला-चली की बेला है।

श्री अध्यक्ष-

यह संकल्प-पत्र दोबारा बना रहे मा0 मंत्री जी।

श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, पहले यह पुराना संकल्प-पत्र तो पूरा करें, क्योंकि इनका संकल्प-पत्र कागज का एक थोथा पन्ना निकला। न युवकों को रोजगार मिला, न युवकों को लैपटॉप मिला और न किसानों की आमदनी दोगुनी हुई। हुआ कुछ नहीं और चुनाव आ गया। इसलिए मा0 अध्यक्ष जी हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, यह विषय महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह करोड़ों युवाओं से जुड़ा हुआ विषय है, जिनके परिजन, जिनके गार्जियन चाहते हैं कि हमारे बेटे और बेटी को नौकरी मिलेगी, उनके साथ खिलवाड़ हुआ है। सदन की समस्त कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा दी जाय, यह अविलम्बनीय और लोक महत्व का विषय है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक बार यह भी कह देते कि जो कार्यवाही हुई है, वह बेमिसाल है। वह कम से कम ऐसी है कि एक एक्जामपलरी है और यह सरकार पूरी तरीके से कानून सम्मत तरीके से हर परीक्षा कराने के लिए संकल्पित है, लेकिन कोई मिसचीफ करता है, अगर कोई किसी प्रकार से कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए भी तत्पर हैं।

मान्यवर, यह जो विषय है यह परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा परीक्षा आयोजित की गई और जैसे ही यह पता चला कि पेपर लीक हो गया उसी वक्त परीक्षा को कैन्सिल करा दिया गया और जिन लोगों के पास अपने प्रवेश-पत्र थे उन्हीं प्रवेश-पत्रों को आधार मानकर उनकी वापसी का इन्तजाम कर दिया गया और आगे इसी प्रकार से इनका किसी प्रकार से उत्पीड़न न हो उसी को उसी एप्लीकेशन पर दोबारा एप्लीकेशन की जरूरत क्यों पड़ेगी, जब भी वह चाहेंगे तो उस परीक्षा में बैठेंगे और न कोई शुल्क देना पड़ेगा और न ही किराया देना पड़ेगा।

इसके साथ ही जो कार्यवाही हुई है, वह भी सुन लें। मान्यवर, जो उसका मेन मास्टर माइण्ड था, वह भी पकड़ा गया है। यह जांच एस0टी0एफ0 को दी गई और एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों, इकाइयों द्वारा अलग-अलग जनपदों में कुल 10 अभियोग पंजीकृत कराये गये जिसमें कुल 33 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। प्रयागराज से 18, शामली से 04, लखनऊ से 04, अयोध्या से 03, कौशाम्बी से 01, जनपद बागपत से 01 और नोएडा से 02 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग जो सरकार की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं, तो हमने एस0टी0एफ0 का गठन किया और अलग-अलग जनपदों से जहाँ-जहाँ जिसके ऊपर उंगली उठी, जो जांच में आया, उसको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया है और ये कह रहे हैं कि सब सरकार करवा रही है। ये लोग कम से कम यह तो देख लेते कि अगर कहीं पर धुआं है, तो आग भी जरूर होगी। इससे यह पता चलता है कि सरकार की कार्यवाही इस बात की द्योतक है कि सरकार ने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी न्यायप्रियता के साथ जो लोग पीड़ित थे, उनको न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की है और आगे भी जो कोई भी इसमें संलिप्त पाया जायेगा, उसको किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जायेगा। मैं इस पर आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसे मामलों में, खासतौर से नवयुवकों के मामले में जितनी हमदर्दी इस सरकार ने दिखाई है, उतनी हमदर्दी आज तक किसी सरकार ने नहीं दिखाई और जितने मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, उन सब में कार्यवाही जरूर होगी, मैं यह आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त कराना चाहता हूँ। हर तरीके से उन लोगों के साथ न्याय होगा, उनको दोबारा एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ेगी, वे उसी

एप्लीकेशन पर दोबारा अपियर हो सकते हैं और हमारी हमदर्दी हर तरीके से उनके साथ है, जो लोग परीक्षा में बैठेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, जितनी परीक्षाएं हुईं, उन परीक्षाओं का पेपर आउट हो गया। अभी यह कहा गया कि दोबारा कभी परीक्षा हुर्ठ थी, पर कभी वह परीक्षा नहीं हुई। अब फिर यह कहा कि उसी प्रवेश-पत्र पर फिर परीक्षा होगी ? तो परीक्षा कब होगी ? आखिर कब परीक्षा होगी ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी)-

जनवरी के तीसरे सप्ताह में परीक्षा होगी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप तो रहेंगे ही नहीं, तो फिर आप परीक्षा कब कराएंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अरे! हम फिर आएंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अरे! कैसे आएंगे। जरा सुनिये तो, बच्चे परीक्षा देने आये ट्रेन से, बस से, वे अपना भाड़ा लगाकर आये, परीक्षा के लिए पैसा भी जमा किया लेकिन सरकार ने परीक्षा का पेपर जानबूझ कर आउट करवा दिया कि हमको नौकरी न देनी पड़े। जिस एजेंसी को परीक्षा के पेपर का काम दिया गया, उसकी जांच करवाइये कि एजेंसी कौन है ? आपने ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को परीक्षा कराने का, पेपर बनाने का काम दे दिया, जिसके गोदाम में सारे पेपर रखे हुए थे। मा0 अध्यक्ष जी, सरकार की मंशा नौकरी देने की नहीं है बल्कि नौकरी करने वाले लोगों की गर्दन पकड़ करके निकाल दिया गया और इन्होंने कहा कि उनके लिए हमारी बड़ी हमदर्दी है। अरे! आपको तो इतनी हमदर्दी है कि जो भी आपके पास नौकरी मांगने आया, उसको आपने मार लाठी, मार लाठी पीट करके जेल में बन्द करा दिया। इसलिए हमदर्दी तो है ही, आपके जितनी हमदर्दी बेरोजगारों से किसी को नहीं है कि नौकरी दी नहीं, टांग अलग से तोड़ दी और जेल में भी ठूंस दिया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम यह सोच रहे थे कि यहां सुबह से कोई ड्रामा नहीं हुआ, आज सुबह से लेकर दो बज गया, तीन घण्टे गये लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम पूरे हाउस के लोगों को अब आपने मनोरंजित कर दिया। मान्यवर, यह देखा जाना चाहिए कि यह सरकार किसके साथ है, जो दोषी है उनके साथ खड़ी है या जो पीड़ित हैं उनके साथ खड़ी है। यह सरकार हर मामले में हमेशा जो भी पीड़ित है, उसके साथ खड़ी है, पीड़ित पक्ष के साथ

खड़ी है और हर वक्त दोषियों के खिलाफ खड़ी है। इसलिए सरकार की नीयत और मंशा देखी जानी चाहिए। हमने इतने लोगों को गिरफ्तार किया, कार्यवाही की है और मा0 मंत्री जी ने बता दिया कि जनवरी के तीसरे सप्ताह में उनकी परीक्षा होना तय है और हम दोबारा फिर से आयेंगे आप इस गलतफहमी में मत रहिये। देखियेगा आज की बात नोट कर लीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अब 14 वर्ष के बाद आने की बात सोचियेगा, क्योंकि आप राम जी के कथित भक्त हैं। उनको भी राज्य मिला और उसके बाद वन चले गये, 14 वर्ष के बाद फिर राज्य मिला और आप अभी 14 वर्ष के बाद लौटे हैं और उसके बाद फिर 14 वर्ष के बाद ही लौटेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा आपसे आग्रह है कि अब आगे बिल ले लें।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ अपनी बात रखने के प्रयास पर)

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया है, इसको हमने अग्राह्य कर दिया है। अब आप बैठें, जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, उनसे बड़ा कौन-सा नेता बोलेगा। अब आप बैठें। मुझे सदन को दो सूचनायें देनी हैं। पहली सूचना है कि विधान सभा के सभी मा0 सदस्यों का ग्रुप फोटोग्राफ 4:30 बजे होना हैं।

(विपक्ष के कई सदस्यों के नियम-56 पर बोलने के आग्रह पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोगों को जो शेष सूचनायें हैं उन सबको हम आवश्यक कार्यवाही के निर्देश के साथ सरकार को भेज रहे हैं, अब हम नियम-56 नहीं सुनेंगे। एक लाइन नहीं सुनेंगे। आपके प्रति आदर व्यक्त करते हुए कह रहा हूँ कि अब हम एक लाइन नहीं सुनेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

यह सरकार बेरोजगारों के प्रति गम्भीर नहीं है। यह नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहती है। किसानों का धान नहीं खरीदना चाहती है। यह किसान विरोधी है, किसानों को खाद नहीं दे रही है। खाद लेने के लिए किसान लाइन में लगे हैं। 3-3 किसान मार दिये गये। बीज नहीं मिल रहा है। बेरोजगारों को यह सरकार रोजगार नहीं दे रही है और सदन में सही उत्तर नहीं दे रही है। इसलिए हम सदन से वाकआउट करते हैं।

(तत्पश्चात् नेता प्रतिपक्ष अपने दल के अन्य मा0 सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री अध्यक्ष-

हम भोजन का आग्रह कर रहे हैं, सभी मा0 सदस्यों को सेन्ट्रल कैफेटेरिया में भोजन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है और सरकार किसानों की सबसे बड़ी हमदर्द है और यह हमदर्दी बातों से नहीं बल्कि सरकार ने अपने क्रिया-कलापों से साबित की है। छोटे-छोटे काश्तकारों को आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से लाभान्वित किया गया है, उनके एकाउण्ट में 6 हजार रुपया जा रहा है, जो वह महाजन से लोन लेकर अपनी जरूरी आवश्यकताएं पूरी करते थे। हर तरीके से सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय दिया है, इसलिए इनका यह कथन सत्य नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा मध्याह्न भोजन एवं सायं 4 बजकर 30 मिनट पर फोटोग्राफी की सूचना

श्री अध्यक्ष-

मैंने आप सब मा0 सदस्यों से अनुरोध किया है कि आज हमारे सेन्ट्रल कैफेटेरिया में मा0 मुख्य मंत्री जी की ओर से आप सभी मा0 सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था है। दूसरी बात यह है कि यह जो गेट है जिधर सामने चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा लगी है, वहाँ पर सड़क के किनारे ताकि अच्छा व्यू बन सके, वहां पर फोटोग्राफी की व्यवस्था है। हम सब लोग एक साथ एक फोटोग्राफ लेकर इस सत्रहवीं विधान सभा की स्मृतियां लेकर अपने घरों को जायेंगे। इस दृष्टि से आज ठीक 4:30 बजे वहां पधारने का कष्ट करें।

नियम-56 की जितनी सूचनाएं थीं, सब अग्राह्य की गईं, जिनको हमने नहीं सुना उनमें सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देश हमने दे दिये हैं। हमने आज नीति बनाई थी कि जो हमारा प्रत्येक दल समूह है उससे एक-एक सूचना ले ली जाये और उसमें कांग्रेस दल की सूचना ले ली गयी है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारी सूचना को कल ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

कल नियम-56 होगा कि नहीं होगा, यह अभी नहीं कह सकते हैं।

(इस समय 02 बजकर 31 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के पीठासीन हुये)

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

मा0 उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 के बारे में मैं कुछ बिन्दु आपके समक्ष लाना चाहता हूँ। संविधान के अनुच्छेद-246(ए) में संसद एवं प्रत्येक राज्य के विधान मण्डल दल को यूनियन एवं स्टेट्स द्वारा स्थापित, द्वारा इम्पोज किये जाने वाले माल एवं सेवा कर (गुड्स एवं सर्विस टैक्स) संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हुई है।

मान्यवर, संसद द्वारा वित्त विधेयक, 2021 अधिनियम पारित किया गया, जिस पर महामहिम राष्ट्रपति जी की सहमति दिनांक 28 मार्च, 2021 को प्राप्त हुई। वित्त विधेयक, 2021 के द्वारा जी0एस0टी0 काउन्सिल की संस्तुतियों पर केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में भी कतिपय संशोधन किये गये जी0एस0टी0 की कर प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य के कानून में एकरूपता बनाये रखने के दृष्टिगत सी0जी0एस0टी0 एक्ट, 2017 में किये गये संशोधनों के समतुल्य सभी राज्यों को एस0जी0एस0टी0 एक्ट में भी संशोधन किया जाना अपेक्षित था। उत्तर प्रदेश में राज्य विधान मण्डल के सत्र में न होने के कारण राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश, 2021 दिनांक 9 नवम्बर, 2021 को प्रख्यापित किया गया। मान्यवर, यह विधेयक उस अध्यादेश को रिप्लेस करने हेतु इन्ट्रोड्यूज किया जा रहा है। इसमें जो प्रस्तावित विधेयक की प्रमुख विशेषताएं हैं, मैं उन पर सदन का सदन आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, अभी धारा-16 में जो संशोधन प्रस्तावित है, उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रावधान सरलीकृत होंगे। अभी जैसे आई0टी0सी0 का इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, बहुत से ऐसे लोग भी जो क्रेडिट के लिए एप्लीकेशन देते हैं और वह फर्जी होते हैं, उस पर एक व्यवस्था लागू की जा रही है। जो लोग फर्जी आई0टी0सी0 के लिए आवेदन करते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए जिससे कि फर्जी इनपुट क्रेडिट के लिए लोग आवेदन न करें और जो असली टैक्सपेयर हैं, जिसका बनता है इसमें वह आई0टी0सी0 के लिए आवेदन करेगा, तो उसको सरलीकृत तरीके से और बिना किसी बाधा के आई0टी0सी0 का लाभ मिल सकता है। मान्यवर, धारा-44 में प्रस्तावित संशोधन में छोटे व्यापारियों, पंजीकृत व्यापारियों को किसी समूह के एनुअल रिटर्न दाखिल करने से छूट प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस संशोधन में छोटे और मझोले व्यापारियों को एनुअल रिटर्न दाखिल करने की छूट प्रदान की जा सकेगी, जिससे व्यापारियों के एक बड़े वर्ग को राहत मिलेगी। चूंकि वह मंथली और क्वाटर्ली टैक्स का रिटर्न भरते हैं, उसके साथ ही यह भी प्रावधान था कि उनको एनुअल रिटर्न भी भरनी पड़ती थी, जिससे उसका रिकन्सीलेशन भी हो जाय और रिकन्सीलेशन के साथ वह वहां पर पुख्ता हो जाये। इससे व्यापारी कहता था कि हम एक बार जिस समय अपना रिटर्न भर चुके हैं, तो हमें एनुअल रिटर्न भरने की व्यवस्था से छूट होनी चाहिए। मान्यवर, व्यापारियों की इस मांग को मानते हुए हमने इस संशोधन में यह निर्णय लिया है कि उनको एनुअल रिटर्न जो भरना होता है, इसमें उनको छूट प्रदान कर दी जाय। धारा-50 में जो

संशोधन है, उसमें प्रस्तावित संशोधन के द्वारा 1 जुलाई, 2017 से विलम्ब से दाखिल किये गये रिटर्न को नेक्स्ट टैक्स लायबिलिटी पर ब्याज देयता का निर्धारण किया जाना है। मूल अधिनियम में ब्याज की देयता ग्रास लायबिलिटी पर थी। इस संशोधन से व्यापारियों पर ब्याज का बोझ कम होगा। उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि अभी जैसे किसी पर 2 लाख रुपये टैक्स की लायबिलिटी बनती है, तो अभी उसको 2 लाख के ऊपर जब तक वह पैसा जमा नहीं करता, उस पूरे 2 लाख पर ब्याज लिया जा रहा है, लेकिन अब यह व्यवस्था की जा रही है कि जो उसका आई0टी0सी0 है, उदाहरण के लिए उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट डेढ़ लाख रुपये बनता है, तो अभी 2 लाख के ऊपर पूरा ब्याज देने की लायबिलिटी बनती है, लेकिन अब हम यह व्यवस्था करने जा रहे हैं कि 2 लाख रुपये में से इनपुट क्रेडिट को कम करके बाकी जो बकाया बचता है, उसके आधार पर उन पर ब्याज लेना प्रस्तावित है। मान्यवर, इससे बहुत बड़ा लाभ होगा चूंकि इस प्रकार से जो व्यापारियों पर एक कठिनाई थी और उनके द्वारा जो मांग की गयी, यह भी उससे पूरी होती है। यह धारा-50 के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। अब धारा-129 में प्रस्तावित संशोधन में माल परिवहन के दौरान विभागीय अधिकारियों की जांच की प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया, जिसमें व्यापारियों को राहत मिलेगी। मान्यवर, इसमें दिया गया है कि यदि कोई माल पकड़ा जाता है और टैक्स की चोरी की जाती है, तो उसके ऊपर पेनाल्टी की और टैक्स की व्यवस्था थी। यह बात व्यापारियों के द्वारा आयी कि आप जितना टैक्स होता है, उससे दोगुना पेनाल्टी लेते हैं और आप टैक्स भी ले रहे हैं, यहां पर भी टैक्स लिया जाता है और जिस समय वह बाजार के अन्दर माल बेचता है, तो फिर दोबारा टैक्स लिया जाता है। इससे व्यापारी पर डबल टैक्स की लायबिलिटी भी बन जाती थी और पेनाल्टी भी होती थी। इस संशोधन में हम प्रस्ताव लाये हैं कि यहाँ पर जो पेनाल्टी है, वह तो लेंगे, परन्तु उन पर जो टैक्स लायबिलिटी थी, वह नहीं ली जायेगी, क्योंकि एक बार वह आगे ली जायेगी, इसीलिए उनको इस बात की छूट दी गयी है। मान्यवर, धारा-130 में प्रस्तावित संशोधन में माल एवं वाहन के जब्ती के प्रावधानों का सरलीकरण किया गया है।

मान्यवर, जब किसी का माल जब्त कर लिया जाता है, तो माल जब्त करने के बाद उसको छोड़ने में कठिनाई होती है, परन्तु जब वह अपनी पेनाल्टी करा देगा, तो उसका माल भी छूट जायेगा, ताकि उसको परेशानी नहीं हो। जी0एस0टी0 से संबंधित जटिलताएं व्यापारियों के द्वारा सरकार को बतायी गयीं। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है, इससे व्यापारियों को लाभ मिलेगा और उनकी कठिनाइयां दूर होंगी। एक पारदर्शी सिस्टम के माध्यम से ईमानदार टैक्सपेयर को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति तब भी गलत करता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके ऊपर दण्डात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए। मान्यवर, इस संशोधन के

माध्यम से मैं सदन के समक्ष लाया हूँ। मुझे लगता है कि इसमें सभी व्यापारियों का हित है। इसलिए मेरा निवेदन है मा0 संजय गर्ग जी, इसका समर्थन करते हुए इसको पास करायें।

श्री संजय गर्ग-

माननीय उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार करने के प्रस्ताव के संबंध में जो कुछ संशोधन प्रस्ताव आये हैं, उसका मुख्य मकसद केन्द्रीय अधिनियम और राज्य अधिनियम में एकरूपता बनाये रखने का है। इसके पहले यह 9 नवम्बर, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश के रूप में लागू कर दिया गया है। जिस संशोधन का अभी माननीय मंत्री जी ने चर्चा के दौरान उल्लेख किया, वह केन्द्र के द्वारा बनाया गया है। मेरा इस आशय के साथ आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर इसे प्रवर समिति को हम सौंप दें तो उचित रहेगा, जो खामियां व विसंगति जी0एस0टी0 के अन्तर्गत हैं वह दूर हो जायेंगी। मा0 उपाध्यक्ष जी, साढ़े चार साल में सरकार के द्वारा जी0एस0टी0 के अन्दर अभी तक एक हजार से ज्यादा संशोधन लाये जा चुके हैं। बेहतर होता, अगर पहले ही फुलप्रूफ सिस्टम आता और व्यापारी प्रतिनिधियों से अगर बातचीत कर ली जाती, तो शायद इस तरह के संशोधन की जरूरत न पड़ती। व्यापारी अभी तक उत्पीड़ित है और वर्ष 2017 जबसे यह जी0एस0टी0 लागू हुआ है तबसे अभी तक उसके असेसमेंट की फाइल अब इस वित्तीय वर्ष से शुरू होगी। इस तरह का भ्रष्टाचार जी0एस0टी0 के अधिकारियों द्वारा वसूलने का किया जा रहा है, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। अभी बहुत सारी ऐसी मांगे हैं। जब जी0एस0टी0, गुड एण्ड सर्विस टैक्स लाया गया, तो यह बताया गया कि यह गुड एवं सिम्पल टैक्स है और यह मल्टी लेयर टैक्सेशन सिस्टम को खत्म करने का काम करेगा। परन्तु उन सबके बावजूद अभी भी मल्टी लेविल टैक्स कई रूप में लग रहा है। कई प्रदेशों में मण्डी शुल्क नहीं है।

उत्तर प्रदेश का व्यापारी भी चाहता है कि मण्डी शुल्क न लगे क्योंकि उसका उत्पीड़न होता है। बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली में टैक्स नहीं है और यहां पर अभी भी टैक्स लिया जा रहा है। इस संशोधन को आप यहां उत्तर प्रदेश में लाने का काम कर सकते थे। यहां पर व्यापारी कई और तरह की विषमताएं भुगत रहे हैं। कपड़े का, होजरी का और फुटवियर का व्यापारी सबसे ज्यादा उत्पीड़ित है। 5 प्रतिशत के स्लैब से बढ़ाकर 1 जनवरी में आप उसे 12 प्रतिशत करने जा रहे हैं। कपड़ा जो उसकी मूल आत्मा थी, जो व्यक्ति की जरूरी उपयोग की चीजे हैं, उस पर कम से कम टैक्स लगने का काम होगा। कम से कम जी0एस0टी0 काउन्सिल में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा मजबूती के साथ इस बात को रखा जाना चाहिए

था कि कपड़ा, होजरी और फुटवियर के ऊपर टैक्स बढ़ाने का काम न किया जाय, परन्तु 1 जनवरी से उत्पाद का एकतरफा अधिनायकवादी रूल अदा कर दिया गया। विश्व बैंक के द्वारा भी कहा गया कि हिन्दुस्तान का जी0एस0टी0 दुनिया का जटिलतम जी0एस0टी0 है। 5 स्लैब में आप जी0एस0टी0 ले आये हैं, तमाम विकसित मुल्कों में 3 स्लैब में जी0एस0टी0 है, परन्तु उन सबके बावजूद लोग आज महंगाई से ग्रसित हैं और महंगाई का मूल कारण डीजल और पेट्रोल है। आम लोग की यह मांग है कि डीजल और पेट्रोल को आप जी0एस0टी0 के अन्तर्गत लाने का काम करें। उत्तर प्रदेश को जी0एस0टी0 काउन्सिल में इस बात की वकालत करके इस बात के लिए मान्यता मनवानी चाहिए। अभी हाल ही में केरल के हाईकोर्ट में इस बात के लिए याचिका दाखिल की गयी और उसमें जी0एस0टी0 काउन्सिल के स्थायी अधिवक्ता ने जो अपना बयान सौंपा उसमें हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस0 मणिकुमार और जस्टिस शहाजी पी0 चाली ने कहा कि हम दिये गये कारणों से संतुष्ट नहीं हैं। पेट्रोलियम उत्पादों को जी0एस0टी0 व्यवस्था के तहत क्यों नहीं लाया जा सकता ? वास्तविक कारण होने चाहिए, हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से अभी फायदा बताने की कोशिश करने का काम किया जा रहा था। मैं कुछ बिन्दुओं की तरफ ध्यान आकर्षित कर अपनी बात की पुष्टि करना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष-

संजय जी, इसको थोड़ा संक्षिप्त कर लीजिये, क्योंकि मा0 मुख्य मंत्री जी को भी आना है।

श्री संजय गर्ग-

अगर यह प्रवर समिति को सौंप दिया जाता तो इन तमाम चीजों पर विस्तृत चर्चा होकर एक हमराय बनने का काम हो सकता था।

अब जी0एस0टी0 के अधिकारियों के द्वारा बैंक से आपको एथारिटी मिल गयी कि आप किसी भी व्यापारी के रजिस्टर खाते से पैसा निकाल सकते हैं। कई ऐसे भ्रष्ट अधिकारी आये, जिन्होंने एकतरफा कार्यवाही करते हुए, बिना व्यापारी को सूचित किये हुए, उनके बैंक से पैसा निकाल लिया, बैंक के अधिकारियों को भी सूचना देने का अधिकार नहीं। व्यापारी को बाद में पता चला कि मेरे खाते में से तो पैसा निकाल लिया। उसने चेक अपने दूसरे ट्रांजेक्शन में लगा रखा है और उसके बाद कानूनी दांव-पेंच करके, तमाम तरह की मशक्कत करके भ्रष्टाचार में डूबकर उसे उसका पैसा वापस मिला। उस बात के लिए कोई संशोधन लाने के बजाय और ज्यादा इन्स्पेक्टर राज को ताकत देने का काम इसके जरिये हुआ है। आज भी 4 हजार करोड़

रुपये से ज्यादा उत्तर प्रदेश से व्यापारियों का आई0टी0सी0 का बकाया है। आपने आई0टी0सी0 की सहूलियत देने की बात करते हुए, यह बात की कि जो लोग फर्जी आई0टी0सी0 अगर करते हैं, वह प्रावधान तो पहले से था। क्या आज तक हमने कभी इस बात को सोचने की कोशिश की ? आपने तो व्यापारी को इतना अपराधी बना दिया कि आप उसे जेल के सींखचों में फेंक देते हैं। आप यह भी मौका देने का काम नहीं करते कि वह इस बात के लिए तर्कपूर्ण रूप से अपनी बात को रखने की कोशिश करने का काम कर सके। माल परिवहन में एस0आई0बी0 की जांच दोगुना पेनाल्टी, यह दोगुना पेनाल्टी तो लगाई, आपने तो ई-वे बिल के लिए 50 हजार रुपये की सीमा लगायी थी। क्या इस बात की सच्चाई नहीं है, माननीय मंत्री जी, आप अपने कानपुर में मालूम कर लें, तमाम व्यापारी 50 हजार रुपये से कम के ई-वे बिल को ट्रांसपोर्ट में भेजते हैं, लेकिन रास्ते में एस0आई0बी0 के लोग जांच करके उत्पाद के लिए उन्हें उत्पीड़ित करते हैं और कहते हैं कि माल खोलकर दिखाओ, यह बिल एस0आई0बी0 का 50 हजार से ज्यादा है। 50 हजार रुपये से कम होने के बावजूद भी उनका उत्पीड़न किया जाता है और उसका शोषण करने का अधिकार देने का काम किया जाता है। पहले ही पेनाल्टी दोगुना लगाने की जरूरत नहीं थी। पहले ही अगर आप इस पर विस्तृत चर्चा कर लेते तो इस तरह के संशोधन लाने की आवश्यकता ही न बनती। परन्तु यह संशोधन तब लाये गये, जब व्यापारियों का व्यापार और उससे मंझोला और छोटा व्यापारी बिलकुल टूटने का काम कर गया। मैं इस बात के आशय के साथ केवल इतनी बात माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके जरिये कहना चाहता हूँ कि यह जो संशोधन हुए हैं, इसके अलावा भी व्यापारियों का जो मानसिक उत्पीड़न से उसका व्यापार चौपट हुआ है। अब वह दुकान का मालिक नहीं, अब वह दुकान का मुनीम बन गया है। अभी आपने एक साल के एनुअल के बाद छोटे के लिए मना किया, परन्तु कितनी काम्प्लीकेशन है, एस0एच0एम0 कोड डालने की और व्यापारी करता है कि एस0एच0एम0 कोड की कॉम्प्लीकेशन न हो। अब आपने उसकी सीमा बढ़ा दी कि 5 करोड़ से ऊपर दो अंकों का एस0एच0एम0 कोड डालना पड़ेगा, क्यों नहीं इसको समाप्त करने की बात की जाती है? इंटर स्टेट ई-वे बिल की राशि 1 लाख रुपये की जाये, यह 50 हजार रुपये है। यह तमाम व्यापारियों की मांग है कि एस0आई0बी0 का सर्वे, छापे के नाम पर उनका उत्पीड़न बन्द किया जाये।

एक जुलाई से लागू टी0डी0एस0 और टी0सी0एस0 कर लगाने का काला कानून तत्काल वापस लिया जाये। इस बात के लिए तमाम व्यापारी परेशान हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और ई-कॉमर्स की जो बात है, ई-कॉमर्स और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिये, आम व्यापारी का किस तरह से मरण हो रहा है। आपके नीति आयोग के चेयरमैन भी इस बात को कहते हैं कि 2025 के बाद मोहल्ले के दुकानदार की केवल ईंट और गारे की दीवारें रह जायेंगी। उनके लिए

कोई वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढने की कोशिश करने का काम नहीं किया गया और तमाम ई-वे बिल को जो कस्बों में काम करने वाले हैं, गांव में काम करने वाला व्यापारी है, जहां नेट नहीं आता है, वह किस तरह से ई-वे बिल को भरने का काम करेगा ? साल में आपका कितने दिन पोर्टल चलता है ? व्यापारी पोर्टल में रिटर्न भरने को तैयार है, परन्तु पोर्टल नहीं चलेगा, तो वह किस तरह इसे करने का काम करेगा ?

श्री उपाध्यक्ष-

संजय जी, अब आप बैठिये, आपकी सारी बातें आ गयी हैं।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, इन तमाम बिन्दुओं के अलावा और भी बिन्दु हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस विधेयक को अगर प्रवर समिति को सौंप दिया जाये और एक महीने तक उस पर चर्चा हो और चर्चा होने के बाद क्या सुझाव जी0एस0टी0 काउन्सिल को देने हैं और क्या इसमें परिवर्तन प्रदेश के फेडरल स्ट्रक्चर को देखते हुए हम कर सकते हैं, उन तमाम चीजों को रखते हुए और उनका समावेश करते हुए, हम विधेयक लाने का काम करें, तो शायद ज्यादा बेहतर होगा, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-16 तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा ।

(2) अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परन्तु यह कि इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिये भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं।

धारा 7 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 7 में, उपधारा (1) में, खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा और उसे तारीख 01 जुलाई, 2017 से बढ़ाया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(कक) किसी व्यक्ति, जो किसी व्यष्टि से भिन्न हो, द्वारा उसके सदस्यों या घटकों या विपर्येन से नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए क्रियाकलाप या संव्यवहार,"।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी व्यक्ति और उसके सदस्यों या घटकों को दो पृथक व्यक्ति समझा जाएगा और क्रियाकलापों का प्रदाय या संव्यवहार, परस्पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए समझे जाएंगे।

धारा 16 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (2) में, खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :—

"(कक) खंड (क) में निर्दिष्ट बीजक या नामे नोट के ब्यौरे, पूर्तिकार द्वारा जावक पूर्ति के विवरण में प्रस्तुत किए गए हैं और ऐसे ब्यौरे, धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति से ऐसे बीजक या नामे नोट के प्राप्तिकर्ता को संसूचित किए गए हैं।"

धारा 35 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (5) निकाल दी जायेगी।

धारा 44 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 44 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"किसी इनपुट सेवा वितरक से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर संदाय करने वाला कोई व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति, इलेक्ट्रानिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप और रीति से, जैसा कि विहित किया जाए, संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित पूर्तियों के मूल्य के साथ सुमेलित करते हुए, एक स्वप्रमाणित सुमेलन विवरण सम्मिलित किया जा सकेगा :

परन्तु यह कि आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस धारा के अधीन वार्षिक विवरणी दाखिल करने से छूट प्रदान कर सकेगा:

परन्तु यह और कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी को, जिनकी लेखाबहियाँ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा के अध्यधीन है या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकारियों के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा की जाने वाली संपरीक्षा के अध्यधीन हैं, लागू नहीं होगी।"।

धारा 50 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रख दिया जाएगा और उसे तारीख 1 जुलाई, 2017 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात :

"परन्तु यह कि धारा 39 के उपबंधों के अनुसार, किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में और नियत तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत विवरणी में घोषित संदेय कर पर ब्याज सिवाय वहाँ के जहाँ ऐसी विवरणी को उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई कार्यवाहियाँ आरम्भ होने के पश्चात् प्रस्तुत की जाती हैं, कर के उस भाग के लिए संदेय होगा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर से विकलन करके संदत्त किया जाता है।"।

धारा 74 का संशोधन

7—मूल अधिनियम, की धारा 74 में, स्पष्टीकरण (1) में, खण्ड (ii) में, शब्द और अंक "धारा 122, 125, 129 और 130 के" स्थान पर, शब्द और अंक "धारा 122 और 125" रख दिये जाएंगे।

धारा 75 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 75 में, उपधारा (12) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, पद "स्वनिर्धारित कर" में धारा 37 के अधीन प्रस्तुत की गयी ऐसी जावक पूर्तियों के ब्यौरों के संबंध में संदेय कर, सम्मिलित होगा किन्तु धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में सम्मिलित नहीं किया जायेगा"।

धारा 83 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 83 में, उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) जहाँ, अध्याय 12, अध्याय 14 या अध्याय 15 के अधीन किसी कार्यवाही के आरंभ होने के पश्चात्, आयुक्त की यह राय हो कि सरकारी राजस्व के हित की संरक्षा करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह, लिखित में आदेश द्वारा, ऐसी रीति में, जैसा कि विहित की जाए, धारा 122 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कराधेय व्यक्ति या किसी व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अन्तर्गत बैंक खाता भी है, को अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा।"।

धारा 107 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 107 में, उपधारा (6) में, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :

"परंतु यह कि धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन, किसी आदेश के विरूद्ध कोई अपील तब तक दाखिल नहीं की जाएगी, जब तक कि शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर धनराशि का अपीलार्थी द्वारा संदाय न कर दिया गया हो।"।

धारा 129 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 129 में,—(i) उपधारा (1) में, खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"(क) ऐसे माल पर संदेय कर के दो सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर की कोई धनराशि या पच्चीस हजार रूपए, जो भी कम हो, के संदाय पर निर्मुक्त किया जाएगा, जहाँ माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है;

(ख) माल के मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति या ऐसे माल पर संदेय कर का दो सौ प्रतिशत के संदाय पर, जो भी अधिक हो और छूट प्राप्त माल की दशा में, ऐसे माल के मूल्य के पाँच प्रतिशत के बराबर की कोई धनराशि या पच्चीस हजार रूपए, जो भी कम हो, के संदाय पर निर्मुक्त किया जाएगा, जहाँ माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता है,",

(ii) उपधारा (2) निकाल दी जायेगी;

(iii) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात :—

"(3) माल या वाहन को निरूद्ध करने वाला या उसका अभिग्रहण करने वाला समुचित अधिकारी, ऐसी निरूद्धता या अभिग्रहण के सात दिन के भीतर संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और तत्पश्चात्, उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन शास्ति के संदाय के लिए ऐसी नोटिस तामील किये जाने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा।"।

(iv) उपधारा (4) में, शब्द "ब्याज या शास्ति" के स्थान पर, शब्द "शास्ति" रख दिया जाएगा;

(v) उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थातः—

"(6) जहाँ किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश की प्रति प्राप्त करने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उपधारा (1) के अधीन शास्ति की धनराशि का संदाय करने में विफल रहता है, तो इस प्रकार निरुद्ध या अभिगृहीत माल या वाहन, उपधारा (3) के अधीन संदेय शास्ति की वसूली के लिए ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाए विक्रय किए जाने या अन्यथा निपटाए जाने का दायी होगा :

परन्तु यह कि परिवहनकर्ता द्वारा उपधारा (3) के अधीन शास्ति या एक लाख रूपए, जो भी कम हो, का संदाय किए जाने पर वाहन निर्मुक्त कर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां निरुद्ध या अभिग्रहीत किया गया माल नष्ट होने वाला या परिसंकटमय प्रकृति का हो या समय के साथ उसके मूल्य में ह्रास की संभावना हो, वहां उक्त पन्द्रह दिन की अवधि में समुचित अधिकारी द्वारा, कटौती की जा सकेगी।"।

धारा 130 का संशोधन

12–मूल अधिनियम की धारा 130 में,–(क) उपधारा (1) में, शब्द "इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई" के स्थान पर, शब्द "जहां" रख दिया जाएगा;

(ख) उपधारा (2) में, दूसरे परन्तुक में, शब्द, कोष्ठक और अंक "धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति की रकम के स्थान पर, शब्द "ऐसे माल पर संदेय कर के सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति" रख दिये जाएंगे;

(ग) उपधारा (3) निकाल दिया जाएगा।

धारा 151 का संशोधन

13–मूल अधिनियम की धारा 151 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात् :–

"आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के संबंध में व्यवहृत किसी मामले के संबंध में, कोई सूचना प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा।"।

धारा 152 का संशोधन

14–मूल अधिनियम की धारा 152 में,–

(क) उपधारा (1) में,–

(i) शब्द "किसी व्यष्टि विवरणी या उसके भाग की " निकाल दिये जायेंगे;

(ii) शब्द "इस अधिनियम के अधीन किन्हीं प्रक्रियाओं के प्रयोजन के लिए" के पश्चात् शब्द "संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना" बढ़ा दिये जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) निकाल दी जायेगी।

अनुसूची 2 का संशोधन

15–मूल अधिनियम की अनुसूची 2 में, पैरा 7 निकाल दिया जायेगा और उसे तारीख 1 जुलाई, 2017 से निकाला गया समझा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

16–(1) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2021, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0 8 सन् 2021

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-16 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

उ0प्र0 औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) (संशोधन) विधेयक, 2021

श्रम, सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उ0प्र0 औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, अधिनियम, 1978 की धारा-5 में पहले व्यवस्था थी जिसमें किसी व्यापारी या किसी भी सेवा प्रदाता इण्डस्ट्री के खिलाफ 3 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा थी और यह सजा 2 प्रकार की थी। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से इसको और आसान किया जा रहा है क्योंकि उसमें देखा जाता था कि कोई भी सेवा प्रदाता उद्योगपति इण्डस्ट्री या व्यापारी जेल चला जाता था तो उसके कारण जो वहां तमाम सेवारत कर्मी होते थे वह बेरोजगारी की हालत में आ जाते थे, उद्योग बन्दी की कगार पर पहुंच जाता था। उस पर जो कारावास था उसको जुर्माने में कनवर्ट कर दिया गया है और 100000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है। उसी प्रकार से जो 3 महीने से कम कारावास था उसमें 50000 रुपये से कम का जुर्माना किया गया है। यह संशोधन उद्योग, व्यापारियों और कार्मिकों और साथ ही साथ श्रमिकों के हित में है। इसलिए मैं पूरे सदन से अपेक्षा यही करूंगा कि बिजनेस को देखते हुए इन नियमों को और आसान किया गया है और केन्द्र सरकार ने ऐसा कर दिया है इसलिए व्यापारियों के सम्मान में यह संशोधन लाया जा रहा है।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति मजदूरी का यथासमय संशोधन विधेयक, 2021 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन को प्रस्तुत करें। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

यह संशोधन मजदूरों के लिए है यह मजदूरों की मजदूरी के लिए है या सरकार उद्योगपतियों के पक्ष में खड़ी है। आप जो यह संशोधन लाये हैं मात्र उद्योगपतियों को बचाने के लिए लाये हैं, उनके व्यापार को बचाने के लिये लाये हैं और कहीं न कहीं मजदूरों की मजदूरी को समाप्त करने की व्यवस्था है। अगर कहीं न कहीं उप धारा में व्यवस्था थी, कहीं न कहीं उनको दण्डनीय अपराध में उनको जेल जाने का डर था तो वह आपकी बात को मान लिया करते थे अब उसको खाली अर्थदण्ड में परिवर्तित कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इससे बहुत बड़ा कुठाराघात मजदूरों के ऊपर करने जा रहे हैं।

जो एक मूल उद्देश्य आपके टैक्स का है, विधेयक का है।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय उज्जवल जी, एक बात मेरी भी सुन लीजिये, तीन बजे माननीय मुख्य मंत्री जी को अपना उद्बोधन देना है तो मेरा निवेदन है कि कृपया तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर दीजिये।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मैं तीन मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दूंगा लेकिन माननीय उपाध्यक्ष जी, यह शर्मसार करने वाली घटना है, जिस तरह से आप आपाधापी में विधेयक को पास करा रहे हैं, कहीं न कहीं यह सोचनीय विषय है, चिन्तनीय विषय है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। जिस कार्य के लिए हम लोग यहां बैठे हुए हैं उस कार्य में आप कह रहे हैं कि सबसे जल्दी कर दीजिये। मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति आने वाले दिनों में भविष्य में जब यह विधेयक जाते हैं तो कहीं न कहीं उच्च न्यायालय और उच्चतर न्यायालय में बात तो होगी कि आपने कहीं न कहीं मजदूरों के लिए लाये हुए विधेयक में जो परिवर्तन किया है उसमें उद्योगपतियों के पक्ष में सरकार खड़ी नजर आती है। मुझे दूसरी चीज यह कहनी है कि जो आपने अर्थदण्ड में व्यवस्था की है उसको अगर आप करना भी चाहते हैं, तीन महीने से तीन साल तक का कारावास अगर आप हटाना भी चाहते हैं तो उसमें जो अर्थदण्ड की व्यवस्था है,

वह नाकाफी है। उसमें जो आपने 50 हजार किया है उसको बढ़ाकर आप 50 लाख कीजिये और जहां आपने 50 लाख रखा है उसको 5 करोड़ कर दीजिये। 5 लाख और 50 हजार के रूप में आप किसी मजदूर को कोई खैरात नहीं दे रहे हैं, किसी मजदूर पर कृपा नहीं कर रहे हैं बल्कि उसकी मजदूरी का, उसके श्रम का जो उसने मेहनत की है उसका मेहनताना दे रहे हैं और मेहनताना न देना पड़े इसलिए आप उद्योगपति को बचा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अभी भी कह रहा हूँ कि यह अच्छा संदेश मजदूरों और श्रमिकों के बीच नहीं जा रहा है। आप श्रमिकों का ध्यान रखने के लिए यहां पर बैठे हैं, आप उद्योगपतियों की चिन्ता करना छोड़ दीजिये, कहीं न कहीं वह मुनाफा कमाते हैं, मुनाफे से फायदा करते हैं वह उसकी भरपाई कर लेंगे लेकिन अगर श्रमिकों का नुकसान यहां बैठे लोगों ने कर दिया तो इस नुकसान की भरपाई आने वाली सदियों तक नहीं हो पायेगी, इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इस पर पुनर्विचार करें और इसको प्रवर समिति को सौंप दें।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से 3 तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) (संशोधन) विधेयक, 2021

उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) अधिनियम, 1978 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 27 सितम्बर, 2021 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1978 की धारा 5 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) अधिनियम, 1978 की धारा 5 में :—

एक—उप-धारा (2) में शब्द "ऐसी अवधि के लिये जो तीन मास से कम न होगी और जो तीन वर्ष तक हो सकती है, कारावास से और जुर्माना से भी दण्डनीय होगा" के स्थान पर शब्द "ऐसे जुर्माना जो पचास हजार रूपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रूपये तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा" रख दिये जायेंगे।

दो—उप-धारा (2) के परन्तुक में शब्द "तीन मास से कम की अवधि के कारावास का दण्ड" के स्थान पर शब्द "पचास हजार रूपये से कम की शास्ति" रख दिये जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

3—(1) उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) (संशोधन) अध्यादेश, 2021 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2021

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 3 तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) (संशोधन) विधेयक, 2021 पर पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

उ0प्र0 अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2021

श्रम एवं सेवायोजन समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इससे स्पष्ट है कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए इसे लाया गया है, इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए और इसे सर्वसम्मति से पास होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष-

यह तो सर्वसम्मति से पारित हो जाना चाहिए।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मान्यवर, ऐसा नहीं है, यह अधिवक्ताओं का मामला है, इसे बढ़ाना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री उपाध्यक्ष-

जब सत्तापक्ष अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए प्रयास कर रहा है तो आपको सहभागी बनना चाहिए।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मान्यवर सत्तापक्ष अन्याय कर रहा है तो उसमें सहभागी कैसे बन सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2021 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करें, समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण, अति आवश्यक संशोधन विधेयक है। मैं सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाना चाहता लेकिन सरकार ने छोटे मन के साथ जो काम किया है उस पर सवाल उठाना चाहता हूँ।

किसी की मृत्यु हो जाती है, तो आप सबको 10 लाख रुपये बीमा की राशि देते हैं, लेकिन जो अधिवक्ता 30 साल तक इतनी मेहनत के साथ कार्य करता है, उसको आप कितना दे रहे हैं ? कम से कम धनराशि 10, 15 व 20 लाख करते, तो हमको भी खुशी होती और सहर्ष हमारा आपको सहयोग रहता। जो 30 साल से कम का अधिवक्ता है, उसको आप 1.5 लाख रुपये दे रहे हैं। ऐसा मजाक अधिवक्ताओं के साथ सरकार को नहीं करना चाहिए। अगर सरकार अधिवक्ताओं को कुछ देना ही चाह रही है, तो खुले मन के साथ इसमें 5 लाख और 50 लाख रुपये करिये, तब जाकर बात बनेगी। उसमें हम सहयोग करने को तैयार हैं। सरकार से कहेंगे कि अगर आप इसको नहीं करना चाहते, तो वापस ले लीजिये, पुनर्विचार करके फिर लाइयेगा।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से 3 तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2021

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 का आशयतः संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 18 नवम्बर, 2021 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1974 की धारा 13 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 की धारा 13 में उपधारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"(1) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके नामनिर्देशिती या जहाँ कोई नामनिर्देशिती न हो उसके विधिक उत्तराधिकारियों को निधि से उसकी सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए पाँच हजार रूपये की दर से संगणित धनराशि का, जो पच्चीस हजार रूपये से अन्यून और एक लाख पचास हजार रूपये से अनधिक हो, भुगतान किया जायेगाः

परन्तु यह कि तीस वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर किसी सदस्य की मृत्यु होने की दशा में उनके नामनिर्देशिती अथवा विधिक उत्तराधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से एक मुश्त पाँच लाख रूपये का भुगतान किया जायेगा।

(2) किसी सदस्य को, धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ख), (ग) या (घ) के अधीन सदस्य न रह जाने पर निधि से निम्नलिखित प्रकार से भुगतान किया जायेगाः–

(एक) सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए दो हजार रूपये प्रतिवर्ष की दर से संगणित धनराशि, यदि वह अपनी सदस्यता के सम्पूरित वर्ष के बारह वर्ष के पश्चात् और पच्चीस वर्ष के पूर्व त्याग–पत्र देता है;

(दो) सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए अधिकतम एक लाख पचास हजार रूपये के अध्यधीन पाँच हजार रूपये प्रतिवर्ष की दर से संगणित धनराशि, यदि वह अपनी सदस्यता के सम्पूरित पच्चीस वर्ष के पश्चात् त्याग–पत्र देता हैः

परन्तु यह कि यदि वह अपनी सदस्यता के तीस वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् त्याग–पत्र देता है तो ऐसे सदस्य को राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से एक मुश्त पाँच लाख रूपये का भुगतान किया जायेगा।

(तीन) उसके द्वारा संदत्त अभिदान के कुल योग के बराबर धनराशि, और उस पर ऐसी दर से साधारण ब्याज, जैसा कि न्यासी समिति समय–समय पर नियत करे, यदि वह ऐसे किन्हीं अन्य कारणों से, जो उपधारा (1) या उपधारा (2) से आच्छादित न हों, सदस्य न रह जाय।"

निरसन और व्यावृत्ति

3–(1) उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2021, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2021

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 3 तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

उ0प्र0 राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021

खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री उपेन्द्र तिवारी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसमें दो संशोधन हैं। एक मेजर ध्यानचंद का, जिसके संबंध में मा0 मुख्य मंत्री जी ने घोषणा किया था। 19 अगस्त को टोक्यो ओलम्पिक में हमारे उत्तर प्रदेश और देश के सम्मान को बढ़ाने का काम खिलाड़ियों ने किया था। उसमें पूरे प्रदेश भर के खिलाड़ी आये थे और वहीं पर किसी अपने परिवार के व्यक्ति को नहीं, बल्कि एक खिलाड़ी, जो हॉकी के जादूगर माने जाते थे, जिनको पूरी दुनिया के लोग मानते हैं, उन्हीं मेजर ध्यान चन्द जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने और उस विश्वविद्यालय को चलाने के लिए एक वित्त अधिकारी की जरूरत पड़ेगी। ये दो संशोधन लेकर आये हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप सब लोग सर्वसम्मति से इसको पारित करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष-

क्या इसमें भी कुछ बोलना है ? ये तो खिलाड़ियों के सम्मान के लिए है।

श्री मो0 फईम इरफान-

मा0 उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 में संशोधन का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करें। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आपा-धापी और जल्दबाजी में ये जो विधेयक लाया गया है, अगर विचार करके विधेयक लाये होते, तो शायद इसका दूसरा संशोधन विधेयक लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इस पर पहले से विचार कर लिया जाता, तो शायद यह ज्यादा बेहतर होता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बेहतर होगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति में ले जाया जाय और सम्पूर्ण रूप से विचार करके विधेयक आये, तो ज्यादा बेहतर होगा। उसमें जो अधिकारी होंगे, जिनकी बात अभी मा0 मंत्री जी ने कही है, अगर वे अधिकारी ठीक से काम नहीं किये, तो आगे भी अधिकारियों की जरूरत पड़ती रहेगी, तो क्या जो अधिकारी रहेंगे, वही आगे इस पर काम करेंगे? मैं चाहूँगा कि सम्पूर्ण रूप से इस पर विचार करने के लिए प्रवर समिति के समक्ष इसको रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से 3 तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021

उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2021 की धारा 3 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) में शब्द "उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "मेजर ध्यानचन्द क्रीड़ा विश्वविद्यालय" रखा दिया जाएगा।

धारा 10 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

10–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :–

(एक) कुलाधिपति ;

(दो) कुलपति ;

(तीन) निदेशकगण ;

(चार) संकायाध्यक्ष ;

(पाँच) प्रधान कोच ;

(छः) कुलसचिव ;

(सात) परीक्षा नियंत्रक ;

(आठ) पुस्तकालयाध्यक्ष ;

(नौ) वित्त अधिकारी ; और

(दस) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें विनियमावली द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाये।

धारा 17-क का बढ़ाया जाना

4–मूल अधिनियम में, धारा 17 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी:-

"17-क (1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश वित्त सेवा के

वित्त अधिकारी

अधिकारियों में से की जाएगी और वित्त अधिकारी की निबन्धन और शर्तें, राज्य सरकार की संबंधित सेवा नियमावली के अनुसार शासित होंगी।

(2) वित्त अधिकारी, राज्य सरकार के अनुशासनिक नियंत्रण के अध्यधीन होगा। तथापि, कार्य परिषद समुचित जाँच करने के पश्चात् वित्त अधिकारी के विरुद्ध अनियमितताओं की रिपोर्ट या कार्यवाही की संस्तुति राज्य सरकार को करेगी।

(3) वित्त अधिकारी, वित्त समिति का पदेन सचिव होगा किन्तु वह ऐसी समिति का सदस्य नहीं समझा जाएगा।"

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 3 तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियम) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2021

गन्न विकास एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री सुरेश राणा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियम) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय उपाध्यक्ष जी, ये जो उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास का पुनर्स्थापित विधेयक सदन में रखा गया है हमारा आपसे अनुरोध है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय। जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करें। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दे दिये जायेंगे। कारण यह है कि आपकी मंशा पर हम शक नहीं कर रहे हैं। आपने प्रयास यह किया है कि मिल के अतिरिक्त जो उस पैसे से दूसरी मिलें लगी हैं। जब गन्ना मूल्य का भुगतान बाकी होता है तो निश्चित रूप से उन मिलों से आप गन्ना मूल्य का भुगतान करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपने यह तत्काल रखा, अगर इस पर चर्चा हो जाती तब हम कुछ और सुझाव देते। जैसे किसानों का तो बहुत बड़ा गन्ना मूल्य बाकी है पूरे प्रदेश में और पहले से बढ़ रहा है। हम गलत नहीं बोलेंगे। लेकिन गन्ना मूल्य के साथ-साथ श्रमिकों का भी बहुत बड़ा हिस्सा मिलों के ऊपर बाकी है। उनका पी0एफ0, ग्रेच्युटी भी बाकी है। अगर इसमें आप यह भी जोड़ लें कि श्रमिकों के पी0एफ0, ग्रेच्युटी और उनका बकाया भुगतान यह जो दूसरी कम्पनियों से आप प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित तौर पर बकाया गन्ना मूल्य के साथ-साथ श्रमिकों का भी भला होगा, अच्छा होता इस पर भी चर्चा हो जाती। आपने इस पर चर्चा नहीं की हम विपक्ष के लोग इस पर कुछ सलाह देते जैसे चीनी मिल वाले बिजली बेचते हैं पावर कारपोरेशन को और बिजली विभाग वाले सालों साल भुगतान नहीं करते। उसके लिए भी आप इस ऐक्ट में लाये होते।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मा0 नरेन्द्र वर्मा जी से उम्मीद रख रहा था कि वह इसका भरपूर समर्थन करेंगे। कारण यह है कि गन्ना किसानों के हित में एक ऐतिहासिक परिवर्तन होने जा रहा है। और वह इसलिए कि लगातार गन्ना किसानों के भुगतान की चिंता जैसे योगी सरकार ने की है वह किसी से छिपी नहीं है और उसी का परिणाम है कि पिछली सरकारों के 10 वर्षों के मुकाबले साढ़े चार वर्षों में उससे ज्यादा भुगतान करने का काम योगी सरकार ने

किया है। लेकिन लगातार फिर भी हम लोग चाहते हैं कि इस व्यवस्था को सुदृढ़ करें सुनिश्चित करें 1953 की धारा-17 के अधीन जो व्यवस्था है भुगतान कराये जाने की धारा-17 की उपधारा-4 को और मजबूत करने के लिए और वर्मा जी अभी बोल रहे थे जो उन्होंने पढ़ा नहीं होगा कि जो सहायक कम्पनी है या एसोसिएट कम्पनी है पहली बार यह प्रयास किया गया और इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा कि कितना शानदार ये फैसला हो रहा है कि अगर शुगर मिल की कोई सिस्टर कन्सर्न्ड है या एसोसिएट कन्सर्न्ड है और यदि उसका किसी सरकार के निगम पर या परिषद पर कोई पैसा बकाया है तो गन्ना किसानों के भुगतान के निमित्त उस पैसे को भी हम जब्त कर सकते हैं और गन्ना किसानों का भुगतान कर सुनिश्चित कर सकते हैं। यह ऐतिहासिक काम आजादी के 70 वर्षों में गन्ना किसानों के लिए मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा ऐतिहासिक काम शायद और यह बहुत बड़ा काम है इसलिए मैं अपेक्षा करता हूँ कि इसे हम पूरी तरह पक्ष और विपक्ष ना देखकर के सहयोग करें।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियम) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1953 की धारा 17 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 17 में:-

(एक) उपधारा (4) में, प्रतीक ' . ' के स्थान पर प्रतीक ' : ' रख दिया जायेगा;

(दो) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित "परन्तुक" और "स्पष्टीकरण" बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह कि इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी यह विधिमान्य होगा कि गन्ना आयुक्त द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जाने से पूर्व अथवा पश्चात्, किन्तु वसूली कार्यवाहियां पूरा किये जाने के पूर्व किसी भी समय यह पाया जाता है कि सम्बन्धित डिफाल्टर फैक्ट्री के कंपनी के स्वामी ने ऐसे किसी सहायक कंपनी, एसोसियेट कम्पनी या अन्य कम्पनी को किसी विधिमान्य व्यवस्था के अधीन कोई ऋण दिया हो या विनिधान किया गया हो, जो कि चीनी विनिर्माण में संलग्न हो या संलग्न न हो और जिसको किसी संविदा के अधीन कोई धनराशि, राज्य सरकार के किसी विभाग अथवा किसी निगम अथवा परिषद् अथवा किन्ही सांविधिक नियमों के अधीन गठित किसी अन्य संस्था से प्राप्त की जानी हो, राज्य सरकार गन्ना कृषकों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ, ऋण या विनिधान की धनराशि अथवा शेष गन्ना बकाया धनराशि के समतुल्य धनराशि को समपहृत कर सकती है और अग्रतर कार्यवाही करने हेतु गन्ना आयुक्त को आवश्यक अनुदेश दे सकती है।

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त 'परन्तुक' में प्रयुक्त शब्द "कम्पनी", "सहायक कम्पनी", या "एसोसियेट कम्पनी" के वही अर्थ होंगे, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2013) में क्रमशः उनके लिए समानुदेशित है।"

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश राणा-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(इसी मध्य 2 बजकर 50 मिनट पर माननीय अध्यक्ष जी पीठ पर आसीन हुए)

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021

संसदीय कार्य वित्त मंत्री (श्री सुरेश राणा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से 3 तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2021 संक्षिप्त नाम कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

(घ) "शीरा" का तात्पर्य गन्ना या गुड़ से चीनी विनिर्मित किये जाने के दौरान उप उत्पाद के रूप में उत्पादित गाढ़े, गहरे रंग के लसदार द्रव से है, जब इस रूप में या किसी मिश्रण के रूप में द्रव में चीनी अन्तर्विष्ट हो, जिसमें बी–हैवी शीरा और खाण्डसारी शीरा सम्मिलित है।

धारा 8 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 8 में,–

(i) उप धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप धारा रख दी जायेगी, अर्थात:–

"(4) राज्य सरकार, समय–समय पर ऐसी रीति से और ऐसी दरों पर, जैसा विहित किया जाये, किसी चीनी कारखाना से शीरा का किसी प्रकार का विक्रय, अंतरण या आपूर्ति किये जाने पर शीरा के ऐसे संरक्षण आपूर्ति एवं वितरण पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने पर उपगत लागत तथा व्ययों को पूरा करने हेतु विनियामक फीस अधिरोपित कर सकती है और ऐसी फीस की वसूली, चीनी कारखाना के अध्यासी से की जा सकती है।"

(ii) उप धारा (5) निकाल दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 3 तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाये।

(श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, क्या आप कुछ बोलेंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, मुझको विधेयक की प्रति मिली ही नहीं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं मिली, तो छोड़िये।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार यकायक विधेयक लाती है। इसमें हमारी आपसे यह विनती है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये। माननीय अध्यक्ष जी, इस

सरकार का उद्देश्य गन्ना किसानों का भुगतान करना है या कि आबकारी फैक्टरी चलाना। कारण यह है कि ये 18 प्रतिशत शीरा रिजर्व में रखते हैं और वह अल्कोहल प्लांट को देते हैं, उसका मूल्य 152 रुपये प्रति क्विंटल है और ओपेन मार्केट में शीरे का मूल्य 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल है। गन्ना किसानों का बकाया मूल्य बाकी है इसलिए अगर यह चर्चा करके विधेयक को लाये होते तो इस सदन के सुझाव आ जाते। 18 प्रतिशत शीरा जो रिजर्व कर रखा है उसको फ्री कर देते और मिल वाले पूरे देश व प्रदेश में कहीं भी अपना शीरा बेचकर बकाया मूल्य चुकता कर देते। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये। समिति के सदस्यों के नाम हम बाद में दे देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, विषय क्या था और क्या बोल रहे हैं ? यह गन्ना किसानों के भुगतान की बात कर रहे हैं। 1 लाख 38 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान हो चुका है और इस वर्तमान वर्ष का 85 प्रतिशत से ज्यादा भुगतान हो चुका है। यह सरकार लगातार किसानों के मामले में पूरी तरह से संवेदनशील है और हर तरह से बराबर भुगतान किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

इस पर तो हमने प्रश्न उपस्थित कर दिया।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही बात कह रहा हूँ कि इतनी हड़बड़ी में सदन चल रहा है कि इनको पता ही नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, बिल लाने की इतनी जल्दी क्या थी ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सुप्रीम कोर्ट की वजह से एक टेक्निकल शब्द यह हुआ।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर अभी चर्चा हो जाती, तो अच्छा होता। सदन का पूरा-पूरा मत आ गया है कि गन्ना किसानों का पहले भुगतान हो जाये। यह शीरा मिल से जुड़ा प्रोडक्ट है और मिलों पर दसों हजार रुपया बाकी है, जो 18 प्रतिशत आप एल्कोहल प्लांट देने के लिए बाउण्ड कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका हो गया। अब आप बैठ जाइये।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह जनहित का विषय है। हम घर जायेंगे तो गन्ना किसान हमसे क्या कहेंगे ? गन्ना मंत्री जी को क्या कहेंगे ? सरकार को क्या कहेंगे ? 5 साल में गन्ने के दाम बमुश्किल 35 रुपये प्रति क्विंटल ही बढ़े हैं और दसों हजार करोड़ रुपये गन्ने का भुगतान बाकी है। जो आप 18 प्रतिशत शीरा ले रहे हैं, इसको आप फ्री करवायें। अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न आपने उपस्थित किया है, उस पर मतदान करवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन), विधेयक, 2021 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश (चतुर्थ) निरसन विधेयक, 2021

विधायी एवं न्याय मंत्री (श्री बृजेश पाठक)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश (चतुर्थ) निरसन विधेयक, 2021 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (चतुर्थ) निरसन विधेयक, 2021 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से 3 तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश (चतुर्थ) निरसन विधेयक, 2021

कतिपय अधिनियमितियों, जो वर्तमान समय में अप्रचलित और अनावश्यक हो गयी हैं, का निरसन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष मे निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (चतुर्थ) निरसन अधिनियम, 2021 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन व्यावृत्ति

2-नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियाँ एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं।

3-इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से,-

(क) ऐसी कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होगी जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गयी हो, सम्मिलित की गयी हो या निर्दिष्ट हो ;

(ख) पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बन्धी किसी उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या माँग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्मोचन या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व कृत्य कार्य या बात के प्रमाण की विधि मान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे ;

(ग) इस बात के होते हुए कोई सिद्धान्त या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति प्रभावित नहीं होंगे कि एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, मैं या से उनकी क्रमशः किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा ;

(घ) कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं होंगे ;

(ङ) लेखा-परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या तत्सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी द्वारा कृत या की जाने वाली कोई अन्य कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी और ऐसी लेखा-परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या कार्यवाही की जा सकती है, और या जारी रखी जा सकती है मानों उक्त अधिनियमितियाँ इस अधिनियम द्वारा निरसित न की गयी हों।

अनुसूची

(धारा-2 देखें)

निरसित किये जा रहे अधिनियम

1	संयुक्त प्रान्त फेमिन रिलीफ फण्ड एक्ट, 1936 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 10 सन् 1936)
2	कुमायूं एनिमल ट्रासंपोर्ट कन्ट्रोल (संशोधन) एक्ट, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1950)
3	उत्तर प्रदेश फैमीन रिलीफ फण्ड (संशोधन) अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1953)
4	उत्तर प्रदेश फैमीन रिलीफ फण्ड (संशोधन) एक्ट, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1961)

5	उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1997)
6	उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1999)
7	किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2004)
8	उत्तर प्रदेश किंग जॉर्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2006)
9	उत्तर प्रदेश किंग जॉर्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2007)
10	उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2010)
11	उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2013)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 3 तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बृजेश पाठक-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश (चतुर्थ) निरसन विधेयक, 2021 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (चतुर्थ) निरसन विधेयक, 2021 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2021

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अशोक कटारिया)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाये।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इसके बारे में मा0 मंत्री जी कुछ बता तो दें ?

श्री अध्यक्ष-

आपको कुछ पूछना हो, तो आप पूछ लीजिये ?

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हमको इसमें संशोधन रखना है। यह जनपद चित्रकूट के विषय पर विधेयक लाये हैं। जनपद चित्रकूट की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कुछ भाग उत्तर प्रदेश में आता है और कुछ भाग मध्य प्रदेश में आता है। यह फ्री एरिया की बात कर रहे हैं, तो क्या इन्होंने पूरा प्रदेश देख लिया है ? जो बाकी राज्य हैं, जहाँ पर उत्तर प्रदेश की सीमा किसी और राज्यों से मिलती है, क्या वहां पर भी ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे ? अगर नहीं करेंगे तो केवल एक विशेष जिले के लिए ही क्यों ऐसी व्यवस्था की जा रही है ? हम यह चाहते हैं कि इस पर मा0 मंत्री जी पहले अपना स्पष्टीकरण दे दें ?

श्री अशोक कटारिया-

माननीय अध्यक्ष जी, चित्रकूट जनपद उत्तर प्रदेश में भी आता है और मध्य प्रदेश में भी आता है। उसी के संबंध में उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 है। राज्य में यात्रियों तथा माल भाड़ा के परिवहन में संलग्न मोटरयानों पर कर और अतिरिक्त कर आरोपित करने हेतु उपबन्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया है। उत्तर प्रदेश में अवस्थित जनपद चित्रकूट की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है कि कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत आते हैं और कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश में आते हैं और कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमाओं के अन्तर्गत आते हैं।

क्योंकि चित्रकूट एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, इसलिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से यानों का संचालन प्रायः चित्रकूट जिले में होता है। दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 को जिला चित्रकूट में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा यह घोषणा की गयी थी कि जिला चित्रकूट में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर अवस्थित कुछ क्षेत्रों को मुख्य परिक्षेत्रों के रूप में घोषित किया जाना चाहिए ताकि यानों के संचालन में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों के मध्य दिनांक 21 नवम्बर, 2006 के पारस्परिक करार के अनुच्छेद-छह में मुक्त परिक्षेत्र का उपबंध विद्यमान है, जिसके अनुसार यदि मुक्त परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है तो उत्तर प्रदेश राज्यों में यान, यान कर, अतिरिक्त कर, और पथ कर संदाय से छूट प्राप्त होते हैं। पूर्वोक्त करार को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा की गई घोषणा को पूरा करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करके धारा दस के उपधारा तीन में एक परन्तुक बढ़ाये जाने का विनिश्चय किया गया था। चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी। अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 9 नवम्बर, 2021 को उत्तर प्रदेश

मोटरयान कराधान संशोधन अध्यादेश, 21 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-9, 2021 प्रख्यापित किया गया। यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुनः स्थापित किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

अब तो विस्तार में आ गया।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारा शंका निवारण था वह माननीय मंत्री जी ने नहीं किया। उन्होंने खाली उसी चीज को पढ़ दिया, वह तो हम पढ़ कर बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष जी यह आपाधापी में पास किया गया विधेयक अच्छा विधेयक अभी नहीं बन सकता और जिस विधायी कार्य को जिसको हम सबसे कम समय दे रहे हैं, यह सर्वथा अनुचित मैं मानता हूँ। मैं चाहता हूँ पूरा पर्यटन इसको संज्ञान में लें। कहीं न कहीं विधायिका पर भी सवाल उठेंगे कि जिस तरह का विधेयक हम पास कर रहे हैं।

श्री अशोक कटारिया-

मान्यवर, जो जिला दोनों प्रदेशों में आता हो एक ही जिला दो प्रदेशों में आता हो।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित करता हूँ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2021

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 9 नवम्बर, 2021 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997 की धारा 10 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 10 में, उपधारा (3) में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह भी कि जहाँ यान संचालन, अनन्य रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य के मध्य पारस्परिक करार में घोषित मुक्त परिक्षेत्र में अनुज्ञात हो, जिसमें कर छूट भी अनुज्ञात हो, वहाँ इस धारा के अधीन संदेय कर, चित्रकूट स्थानीय क्षेत्र में उक्त करार के अनुसार पूर्णतः या आंशिक रूप से छूट प्राप्त होगा।"

निरसन और व्यावृत्ति

3–(1) उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2021 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2021

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

श्री अशोक कटारिया–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक, 2021 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक, 2021 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान, वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्यय (अन्तरिम) एवं उसके एक भाग के लिए लेखा अनुदान

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि सत्र में विधान सभा के विधान मण्डल के इस आखिरी सप्लीमेंटरी के लिए सदन की बैठक को कुशलतापूर्वक संचालित करने और इस

अनुपूरक बजट पर मुझे मेरे सहयोगी वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट और आगामी विधान सभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो अन्तरिम बजट और लेखानुदान है उस पर मुझे सरकार के पक्ष को रखने का आपने अवसर दिया है। मैं अभिनन्दन करता हूँ अपने सभी माननीय सदस्यों का जो अपने तमाम राजनीतिक व्यस्तताओं के बावजूद सदन के इन सभी विधायी कार्यक्रमों के साथ यहाँ पर आज इस महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।

हमारी सरकार 5वें वर्ष के लगभग उत्तरार्द्ध में कार्य कर रही है तो स्वाभाविक रूप से इन पौने पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा क्या रही है, कैसे विकास की यात्रा आगे बढ़ी है, इस पर सदन को भी और सदन में मौजूद हमारे सभी मा0 सदस्यों को भी चिन्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनका यह रिपोर्ट कार्ड ही जनता के सामने उनकी विश्वसनीयता को परखने का एक माध्यम भी बनेगा। सदन के अन्दर चली इन लगभग पांच वर्षों की कार्यवाहियों में जो समृद्ध चर्चाएं रही हैं वह अत्यन्त महत्वपूर्ण रही हैं, अभिनन्दनीय रही हैं। देश के अंदर संसदीय लोकतंत्र की दृष्टि से बहुत सारे मानक इस दौरान प्रस्तुत हुए हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश का यह विधान मण्डल पहला विधान मण्डल था जिसने यू0एन0 के द्वारा निर्धारित सस्टेनेबुल डेवलपमेंट गोल्स पर एक लम्बी और समृद्ध चर्चा को आगे बढ़ाया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती के कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है। संविधान दिवस का कार्यक्रम पहली बार मनाने का कार्यक्रम हो, उत्तर प्रदेश जो देश में आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है, उस उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर रहा हो या फिर इस दौरान उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को ले करके जो कुछ भी कदम उठाये गये हैं इन सबको ले करके रहा हो, वह अत्यन्त महत्वपूर्ण और रोचक रहा है।

महोदय, यहाँ पर मैं और मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा प्रस्तुत इस अनुपूरक बजट और अन्तरिम बजट पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। स्वाभाविक रूप से पिछले पांच वर्षों के दौरान जिन मुद्दों को ले करके हम लोगों ने कार्य किया, उसमें हमने जिन बातों को ध्यान में रखकर अपने पूरे कार्यक्रम को और अपनी पूरी कार्य योजना को बढ़ा करके प्रस्तुत किया था, उसमें हमारे सामने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की यह पंक्तियां भी बराबर हमें अनुप्रेरित करती थीं कि धरती माता प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति तो कर सकती हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लोभ की पूर्ति नहीं कर सकतीं। हमने पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी के इन वचनों को भी सदैव ध्यान में रखकर के कार्य किया कि आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति का मार्ग समाज के ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति से नहीं बल्कि सबसे नीचे के पायदान पर विद्यमान व्यक्ति से होगा (सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट) और इन बातों को ध्यान में रख करके जब हम लोगों ने कार्य प्रारम्भ किया तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आयीं। हमने योजनाएं बनाते समय अपने–पराये का ध्यान नहीं

रखा, कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। हमने उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ और सबके विकास के इन मंत्रों को ध्यान में रखा क्योंकि हम सबका मानना था कि जो श्रद्धेय अटल जी ने कहा कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। हमने केवल एक बात को माना था कि आदमी न ऊँचा होता है, न नीचा होता है, न बड़ा होता है, न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है और इन बातों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने कार्य किया। यद्यपि कहने के लिए हमारी सरकार को पौने पांच वर्ष पूरे होने जा रहे हैं लेकिन अगर हम सही मायने में देखेंगे तो सरकार को कार्य करने का कुल साढ़े तीन वर्ष का समय ही मिल पाया। 20 महीने का समय तो कोरोना महामारी से जूझते हुए देश और दुनिया ने गुजारा है, लेकिन एक संवैधानिक व्यवस्था है और संवैधानिक व्यवस्था के तहत चुनौती आती है तो चुनौती ही व्यक्ति की सही परीक्षा भी लेती है। कोरोना कालखण्ड में दुनिया की बड़ी–बड़ी ताकतें पस्त हुईं, उसके सामने नतमस्तक हुईं, लेकिन देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाया गया वह अभिनन्दनीय है। 135 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध करवाने की कार्यवाही हो, 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से फ्री में राशन की व्यवस्था हो या फिर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार की व्यवस्था हो, कोरोना महामारी इस देश की एक ऐसी महामारी थी जो दुनिया के अंदर पहली बार इस प्रकार का वाइरस आया था। तीव्र संक्रमण था और उस संक्रमण की चपेट में जो भी आता था वह उससे संक्रमित होता था।

दुनिया के अन्दर जिनका हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर भारत से कई गुना अच्छा है, कहीं ज्यादा अच्छा है उस देश में भारत की आबादी से आधी आबादी या एक चौथाई आबादी होने के बावजूद वहाँ पर मौत के आंकड़े भारत के अंदर कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों से कहीं ज्यादा थे। अमेरिका की ही हम बात करें, अमेरिका की आबादी भारत की आबादी के एक चौथाई है, लेकिन अमेरिका के अंदर कोरोना से हुई मौतें भारत के अंदर हुई मौत से डेढ़ गुना से ज्यादा हैं। ये चीजें दिखाती थीं, सावधानी, सतर्कता, समय से लिये गये सटीक फैसले और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ अगर नेतृत्व ने काम किया है तो उसके परिणाम भी उसी प्रकार से सामने आये हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ इस देश ने जो लड़ाई लड़ी है उत्तर प्रदेश उस लड़ाई में भी अग्रणी भूमिका के साथ देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश में हुए हैं, 9 करोड़ से अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक सम्पन्न हुए हैं। मुझे याद है कि जब कोरोना का पहला मरीज उत्तर प्रदेश में आया था तो हमारे पास कोई लैब नहीं थी, हमें दिल्ली सफदरजंग या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में सैम्पल भेजने पड़े थे। उपचार के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी। किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी।

आज मैं कह सकता हूँ कि हमारे सभी 75 जनपदों में आर0टी0पी0सी0आर0 लैब भी हैं, ट्रूनेट मशीन भी मौजूद हैं, एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था भी है और जिस प्रदेश में डेढ़ वर्ष पहले कोरोना जांच के नाम पर एक भी जांच करने की क्षमता नहीं थी वह प्रदेश आज 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता रखता है। (सत्ता पक्ष द्वारा सीटें थपथपाई गईं) जिस समय प्रदेश के अंदर कोरोना का पहला मरीज आया था उस समय 36 जनपद ऐसे थे जिसमें एक भी आई0सी0यू0 का बेड नहीं था बहुत सारे लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर शासन किया हुआ है, लम्बे समय तक शासन किया है कुछ लोगों ने कई दशकों तक शासन किया है, कुछ लोगों ने चार बार, कुछ लोगों ने तीन बार प्रदेश के अंदर सत्ता हथियाई है, क्या किया ? 36 जनपद ऐसे थे जहाँ एक भी आई0सी0यू0 के बेड नहीं मौजूद थे। आज प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में आई0सी0यू0 के बेड मौजूद हैं। प्रदेश के अंदर हमारे पास प्रारम्भिक काल से जब हम लोगों ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को आगे बढ़ाया था तब मास्क के लिए, पी0पी0ई0 किट के लिए, सैनिटाइजर के लिए हमको भारत सरकार पर या अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। आज प्रदेश में पी0पी0ई0 किट बनाने के तमाम उद्योग लग चुके हैं। यहाँ मास्क बनाये जा रहे हैं। हमारी चीनी मिलें सैनिटाइजर इतनी पर्याप्त मात्रा में बना रही हैं कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के 27 राज्यों को भी उत्तर प्रदेश द्वारा सैनिटाइजर सप्लाई किया जा रहा है। प्रदेश ने वैक्सीनेशन के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाया यानी 18 करोड़ डोज वैक्सीन अब तक उत्तर प्रदेश दे चुका है और लगातार प्रदेश 15 से 16 लाख के एवरेज को लेकर तेजी से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चल रहा है।

बहुत सारे लोगों ने गुमराह करने का प्रयास किया। तमाम प्रकार के दुष्प्रचार हुए, लेकिन जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी की और राज्य सरकार की बातों पर विश्वास किया और वैक्सीन लेना प्रारम्भ किया। वैक्सीन ने थर्ड वेव की सम्भावना को रोका और सम्भावनाओं को रोकने के साथ आज हम लोग न केवल वैक्सीन देने बल्कि 15 करोड़ लोगों को डबल इंजन सरकार का डबल डोज राशन की खुराक भी प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हर महीने 15 करोड़ लोग दो बार राशन फ्री में लेने का कार्य कर रहे हैं। फ्री में राशन, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन सबको वैक्सीन। इसी को कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। महोदय, यह तो महाभारत में कहा गया था। महाभारत के शान्तिपर्व में एक चर्चा भी है कि जब भीष्म पितामह सर-शैय्या पर लेटे होते हैं उस समय युधिष्ठिर उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वास्तव में राजधर्म क्या है ? क्योंकि बहुत सारे लोग यह मानते थे कि परिस्थितियां राज्य को या राजा को बाध्य कर देती हैं अपने अनुरूप चलने के लिए। लेकिन भीष्म पितामह ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है उन्होंने कहा कि राजा कालस्य कारनम्। योग्य राजा है, योग्य शासक है वह परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलता बल्कि परिस्थितियों को अपने अनुरूप मोड़ता है। भारत ने उन परिस्थितियों को अपने अनुरूप मोड़ा है। हम कोरोना के पीछे नहीं भागे बल्कि कोरोना को पीछे भागने के लिए मजबूर किया है।

आज सारे पर्व, त्यौहार बहुत शान्तिपूर्ण तरीके से मनाये जा रहे हैं। विकास की सभी गतिविधियां युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही हैं और उन स्थितियों में हम लोग आगामी विधान सभा चुनाव के लिए भी पूरी मजबूती के साथ जनता के दरबार में जाने की तैयारी भी कर रहे हैं और इसीलिए इस अनुपूरक बजट को लेकर आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। महोदय यह अनुपूरक बजट लगभग आठ हजार पांच सौ करोड़ रुपये का है, जिस पर मैं अभी चर्चा करूंगा और लेखा अनुदान के द्वारा अन्तरिम बजट है 2022–2023 का विधान सभा चुनाव और नई सरकार के गठन होने तक सरकारी कामकाज में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न हो और सभी कार्य चलते रहें इसलिए लगभग 5 लाख 45 हजार करोड़ रुपये के आसपास का हमारा लेखा अनुदान इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, जिस पर यहां पर चर्चा होनी है।

ये चीजें बताती हैं कि दुनिया के अंदर लोग कोरोना से कितनी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं अमेरिका के अंदर, रूस के अंदर, चीन फिर से लॉकडाउन की तरफ चला गया है। यूरोप के कई देश प्रभावित हो रहे हैं। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तमाम अफ्रीकन देश हैं जहाँ पर ये चीजें तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं। लेकिन हमारे यहां पहले चरण का रहा हो या दूसरे चरण का रहा हो या तीसरे चरण के बारे में जो विशेषज्ञों ने आशंका व्यक्त की थी कोई कहता था अगस्त में तो कोई कहता था सितम्बर में आने से कोई रोक नहीं पायेगा। लेकिन हम लोगों ने कहा न अगस्त में आयेगा, न सितम्बर में आयेगा और हम दोबारा सरकार बना करके आयेंगे और फिर तीसरी लहर को भी रोकेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

दोबारा नहीं आओगे।

श्री योगी आदित्यनाथ–

कोरोना की तीसरी लहर को भी हम ही रोकेंगे लेकिन यह तय है कि आप में से बहुत लोग यहाँ वापस नहीं आयेंगे और मेरी आपको शुभकामनाएं हैं आप जैसे बैठे हैं, वैसे ही बैठे रहें।

महोदय, हम लोगों ने पिछले पांच वर्षों के दौरान और मैं चर्चा पांच वर्ष की ही करूँगा, पौने पांच वर्ष और साढ़े पांच वर्ष की भी नहीं करूँगा। यह पांच वर्ष का कार्यकाल उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और महत्वपूर्ण इसलिए भी रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में मेरी आम धारणा थी और आम धारणा यह थी कि हम राजनीति से ऊपर उठकर सोचें तो उत्तर प्रदेश के बाहर जाने पर उत्तर प्रदेश के बारे में जो आम धारणा होती थी कि देश के विकास का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश बाधक है। सबसे बड़ी लोगों के मन में धारणा थी कि उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में दंगे होते हैं। आस्था का सम्मान नहीं होता है। विकास की कोई रुचि नहीं है और कई जनपद तो हमारे ऐसे थे जहां के नौजवानों को देश के अंदर और दुनिया के अंदर होटल में भी रूम नहीं देते थे। कई जनपद ऐसे थे जहाँ पर

माफिया इतनी तेजी के साथ हावी थे कि लोगों को व्यापारियों को भी पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा था। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार पांच साल का कार्यकाल पूरा कर रही है और अब मैं कह सकता हूँ कि इन पांच वर्षों में अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ है। अब मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के बारे में देश व दुनिया की धारणा भी बदली है और मैं इस बारे में कह सकता हूँ कि देश व दुनिया के बड़े निवेशक उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए उत्सुक हैं और यह उत्तर प्रदेश के अंदर जो पिछले पांच वर्षों के दौरान हुआ निवेश है यह उसका उदाहरण है। जब कोरोनाकाल में दुनिया पस्त थी। उत्तर प्रदेश में 66 हजार करोड़ रुपये का निवेश कोरोनाकाल में हुआ है। इस दौरान देश की पहली डिस्प्ले यूनिट यूपी के अंदर लगी और उसमें प्रोडक्शन भी अपना शुरू कर दिया। स्मार्ट फोन आप इस्तेमाल करते हैं स्मार्ट फोन में जो स्क्रीन लगती है उसी को डिस्प्ले बोर्ड कहते हैं।

यह फैक्ट्री लगाई है उस संस्था ने जो पिछली सरकार में अपना बोरिया-बिस्तर बांधकर भ्रष्टाचार के कारण, गुण्डागर्दी के कारण, माफियाओं के कारण भागने के लिए मजबूर हो रही थी। कुछ लोगों का सपना होता है और कोई दिक्कत नहीं है, सपना देखते रहिये, लेकिन इन्तजार करते रहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसे बदली और यह चीजें कैसे हुईं। आप इस सदन के अभिभावक हैं, कस्टोडियन हैं।

आपको याद होगा कि जब हम लोग यहाँ पर अपना पहला बजट प्रस्तुत करने के लिए आये थे, तब मैंने कहा था। उस समय उत्तर प्रदेश 22 करोड़ की आबादी का राज्य था, आज लगभग 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। तब भी मैंने कहा था कि 25 करोड़ की आबादी वाले राज्य के लिए ढाई लाख करोड़ अथवा तीन लाख करोड़ के बजट से काम नहीं चलेगा। हमारे बजट का दायरा बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे बढ़ाने से बजट का दायरा नहीं बढ़ सकता है। उसके लिए हमारे पास सोर्स ऑफ इन्कम और रेवेन्यू भी उतना होना चाहिए। हमने अपना राजस्व बढ़ाया और बजट का दायरा भी बढ़ाया। हमारी सरकार का आज जब अंतिम अनुपूरक बजट प्रस्तुत हो रहा है तो यह लगभग छह लाख करोड़ रुपये का है। छह लाख करोड़ रुपये का बजट इन सबके बावजूद है कि कोरोना कालखण्ड में तमाम विपरीत परिस्थितियों और अर्थव्यवस्था पर पड़े विपरीत असर के बावजूद भी हम छह लाख करोड़ रुपये के दायरे तक अपने बजट को पहुंचाने में सफल रहे हैं। एफ0आर0बी0एम0 की सीमा का हम अनुपालन कर रहे हैं। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने हरेक राज्य के लिए जो सीमा निर्धारित की है उस सीमा का पूरा पालन करते हुए राज्य सरकार ने इसे प्राप्त किया है। देश के अंदर हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पहले छठे नम्बर की अर्थव्यवस्था थी जिसे हमने नम्बर-दो की अर्थव्यवस्था बनाने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को लगभग दोगुना करने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई है। अगर यही स्थिति रहती और पहले की सरकारें इसी स्पीड के साथ चलतीं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश नम्बर-2 पर नहीं, बल्कि नम्बर-1 के साथ देश में हमेशा अग्रणी रहता। अगर यहां की पिछली सरकारों ने

अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सत्ता का अपराधीकरण नहीं किया होता, राजनीति का अपराधीकरण नहीं किया होता, राजनीति का माफियाकरण नहीं किया होता, सत्ता को वंशवाद और परिवारवाद के सामने गिरवी नहीं रखा होता, सत्ता और सरकारें भाई–भतीजावाद की भेंट नहीं चढ़ी होतीं तो यही उत्तर प्रदेश नम्बर–1 की अर्थव्यवस्था बनने का हकदार था और यह हक उसको मिलना ही चाहिए था। हम लोग नम्बर–1 के उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को लेकर चले थे और कई क्षेत्रों में सरकार के सामूहिक प्रयास के कारण सफलता भी प्राप्त हुई है। हमें कई क्षेत्रों में सफलता प्राप्त हुई है। मैं यहाँ पर कुछ क्षेत्रों का उल्लेख करूँगा कि उन क्षेत्रों में कैसे उत्तर प्रदेश ने तस्वीर को बदलने का काम किया है। अगर हम खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो गेहूँ, तिलहन, गन्ना, चीनी उत्पादन, आलू, मटर के साथ–साथ दूध उत्पादन, आम उत्पादन, आंवला उत्पादन में नम्बर–1 पर उत्तर प्रदेश में आज के दिन है। देश के अंदर भारत सरकार ने जो तमाम लोक कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी योजनायें घोषित की हैं, उन योजनाओं में उत्तर प्रदेश नम्बर–1 पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण हो या शहरी हो, उत्तर प्रदेश नम्बर–1 पर है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में उत्तर प्रदेश नम्बर–1 पर है। स्ट्रीट वेण्डर के व्यवस्थित स्वावलम्बन के लिए चलाई जाने वाली प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश नम्बर–1 पर है।

सौभाग्य योजना के अन्तर्गत फ्री में विद्युत कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश नम्बर–1 पर है।

गरीबों के घर में भी रसोई गैस के चूल्हे जल सकें, उत्तर प्रदेश नम्बर–1 पर है। प्रदेश के अंदर सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम में उद्योग प्रोत्साहित करने में उत्तर प्रदेश नम्बर–1 पर है और यही नहीं प्रदेश के अंदर उन तमाम किसान सम्मान निधि में उत्तर प्रदेश नम्बर–1 है। देश के अंदर उन सभी योजनाओं में लगभग पचास से अधिक ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं में उत्तर प्रदेश पहले 35वें क्रम को तोड़कर 15वें स्थान से कभी नीचे आता ही नहीं था आज वही उत्तर प्रदेश देश की उन सभी योजनाओं में नम्बर–1 की लड़ाई लेकर चल रहा है। नम्बर–1 पर अपनी बढ़त बनाये हुए है। कोरोना टेस्टिंग में नम्बर–1 पर है। वैक्सीन देने में नम्बर–1 पर और अन्य योजनाओं को सफलतापूर्वक हर एक गरीब तक पहुंचाने में भी नम्बर–1 पर है। उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका को बरकरार रखे हुए है। यही नहीं स्मार्ट सिटी मिशन में बहुत सारे लोगों को स्मार्ट सिटी से नफरत होती होगी क्योंकि जिन लोगों को विकास से मतलब नहीं, वह स्मार्ट सिटी को कैसे अच्छा मान सकते हैं? लेकिन हम लोगों ने गांव की दूरी को विकास बनाया है। गांव के लिए, गरीब के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के हर एक तबके के लिए शासन की योजनाएं बनी हैं। प्रदेश के अंदर 17 नगर निगम हैं, 17 में से 10 नगर निगम स्मार्ट सिटी के अंदर भारत सरकार के माध्यम से स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत चिन्हित हुए हैं। शेष 7 को राज्य सरकार ने अपने रिर्सोसेज से उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की कार्य योजना को आगे बढ़ाया है। स्मार्ट सिटी मिशन में उत्तर प्रदेश नम्बर–1 पर है और कल ही देश के सभी महापौर उत्तर प्रदेश के इस अभिन्न

अंग को कार्यक्रम से जोड़ने के लिए वाराणसी पधार रहे हैं। वाराणसी में उनका एक बड़ा सम्मेलन है। उस सम्मेलन के साथ वह जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। यह कार्यक्रम वहां पर संचालित होगा।

ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, हर कोई सोचता था कि हर परिवार के पास अपना शौचालय हो। हर परिवार के पास पेयजल की सुविधा हो। हर परिवार के पास अपना उज्जवला योजना का रसोई गैस सिलेण्डर हो और नेता प्रतिपक्ष जी आप तो परिवारवादों के चक्कर में पड़ गये और उसके कारण आपकी छवि धूमिल हुई है। डॉ0 लोहिया ने 1950 और 1960 के दशक में इस बात को कहा था और लोहिया जी की बात देखना सच साबित होगी। आप लोहिया को नेता मानते हैं तो आप मेरी बात को मानेंगे। उन्होंने उस समय कहा था जब देश के गरीबों के लिए सरकार शौचालयों का निर्माण, खुले में शौच से उन्हें मुक्ति देगी और जो सरकार उनके घर में चूल्हा जलाने का काम करेगी उस सरकार को आने वाले 25 सालों तक दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा पायेगी। डॉ0 लोहिया ने 60 साल पहले सपना देखा था और उस सपने को आजाद भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने साकार किया है। हर गरीब के पास शौचालय है। हर गरीब के पास रसोई गैस का कनेक्शन है। हर गरीब के पास फ्री राशन का कार्ड है। हर गरीब के पास आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपये का गोल्डन कार्ड, हर गरीब के इस सपने को अगर किसी ने साकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पिछली सरकारें क्या कर रही थीं ? अगर हम लोग उस दिशा में चलें तो मुझे लगता है कि पिछली सरकारें जनता के बोझ को कम करने के बजाय जनता पर बोझ ज्यादा बनी हुई थीं। वह जनता के लिए बोझ बन चुकी थीं। प्रदेश के अंदर क्या होता था। जब मार्च, 2017 में हमारी सरकार बनी थी तो मैंने चौधरी लक्ष्मी नारायण जी जो हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं इनके नेतृत्व में एक टीम छत्तीसगढ़ और हरियाणा में भेजी थी। मैंने कहा कि आप थोड़ा इन राज्यों की प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी देखिये। उस समय हमारे यहां कोई प्रोक्योरमेंट की पालिसी नहीं थी। आढ़तियों से खरीददारी होती थी। एम0एस0पी0 का लाभ किसान को नहीं मिल पाता था और इस टीम ने एक सप्ताह तक इन राज्यों में कैम्प किया। वहां देखा और फिर बाकायदा वहां के प्रजेंटेशन को लेकर लोग यहां पर आये थे फिर मेरे सामने और हमारे अधिकारियों के सामने इन्होंने उसका प्रजेंटेशन किया था और हम लोगों ने पहली अप्रैल, 2017 को प्रदेश के अंदर गेहूँ क्रय केन्द्र स्थापित कर दिये थे। 19 मार्च, 2017 में हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया था। एक सप्ताह के अंदर यह लोग उन राज्यों का दौरा करने के बाद आये थे अपना प्रजेंटेशन प्रस्तुत किये थे।

मान्यवर, अगर किसान को अपनी उपज का दाम नहीं मिलेगा तो उसकी रुचि खेती बाड़ी से अलग हटेगा। कर्ज तले दबेगा, आत्महत्या करेगा। खाद्यान्न नहीं मिलेगा तो गरीब भूख से मरेगा और यह सच है कि वर्ष 2017 के पहले किसान प्रदेश के अंदर आत्महत्या करता था और गरीब भूख से मरता था और सरकार को कहीं भी लज्जा नहीं आती थी क्योंकि सरकार

तो अपनी मस्ती में जी रही थी। पांच कालीदास से बाहर तो कोई निकलता ही नहीं था। निकलने के लिए फुरसत ही नहीं थी और उसका परिणाम क्या था। प्रदेश के अंदर धान का उत्पादन वर्ष 2012 से 2017 के बीच में केवल 144 लाख मी0 टन हुआ, तो वर्ष 2017 से 2021 के बीच 171 लाख मी0 टन तक पहुंचा है और अभी धान क्रय की कार्यवाही चल रही है। गेहूँ का उत्पादन वर्ष 2012 से 2017 के बीच में केवल 349 लाख मी0 टन हुआ, तो वर्ष 2017 से 2021 के बीच 375 लाख मी0टन पहुंचा है। दलहन का उत्पादन वर्ष 2012 से 2017 के बीच में केवल 74 लाख मी0टन हुआ, तो वर्ष 2017 से 2021 के बीच 95 लाख 90 हजार मी0 टन तक पहुंचा है। तिलहन का उत्पादन वर्ष 2012 से 2017 के बीच में केवल 41.76 लाख मी0 टन हुआ, तो वर्ष 2017 से 2021 के बीच 69.67 लाख मी0 टन तक पहुंचा है और अगर आप खरीददारी के आंकड़े देखेंगे तो लगभग दोगुने का अंतर है। धान 123 लाख मी0 टन वर्ष 2012 से 2017 के बीच में आढ़तियों के माध्यम से खरीदा जाता है और हमारी सरकार में अब तक 244 लाख मी0 टन हम सीधे किसानों से अब तक खरीद चुके हैं, डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में पैसा जा रहा है। गेहूँ 94 लाख मी0 टन वर्ष 2012 से 2017 के बीच में आढ़तियों के माध्यम से खरीदा जाता है और हमारी सरकार में अब तक 210 लाख मी0 टन हम सीधे किसानों से खरीद चुके हैं और वह पैसा उनके खाते में गया है।

वर्ष 2012–17 के बीच 14 लाख 87 हजार किसान लाभान्वित हुए। गेहूँ में लाभान्वित हुए, 19 लाख 02 हजार और सरकार के इस पांच साल के कार्यकाल के दौरान जो अभी भी चल रहा है जो किसान अब तक लाभान्वित हो चुके हैं 14 लाख की तुलना में हमारी सरकार में लाभान्वित किसानों की संख्या 31 लाख 88 हजार है और गेहूँ में 43 लाख 75 हजार किसान सीधे–सीधे लाभान्वित हुए हैं, जिनसे हमने उपज खरीदा है, उनको उपलब्ध कराया है।

मान्यवर, जो धनराशि उन्हें उपलब्ध कराई गई है, अगर मैं देखूँ तो गेहूँ और धान के किसानों को जो कुल धनराशि उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2012 से वर्ष 2017 के बीच में गेहूँ की कुल धनराशि 12 हजार 800 करोड़ रुपये और वर्ष 2017 से 2021 के बीच में गेहूँ की कुल धनराशि 36 हजार 405 करोड़ रुपये उपलब्ध कराई गई यानी तीन गुना ज्यादा धनराशि किसान के पास गयी। वर्ष 2012 से वर्ष 2017 के बीच में धान की कुल धनराशि 17 हजार 190 करोड़ रुपये और वर्ष 2017 से अब तक धान की कुल धनराशि 41 हजार करोड़ रुपये किसान के खाते में दे चुके हैं। वर्ष 2012 से वर्ष 2017 के बीच में गन्ना किसानों को 90 हजार करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था और वर्ष 2017 से अब तक 01 लाख 48 हजार करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में जा चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत अब तक 02 करोड़ 54 लाख किसानों के खाते में 37 हजार 521 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं और हमारी सरकार आने के साथ ही जो किसान

कर्ज तले दबा हुआ था, ऐसे 86 लाख किसानों के 36 हजार करोड़ रुपये की कर्ज माफी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है।

अगर मैं किसान की बात करूँ तो पिछली सरकार के समय सिंचाई योजनाओं के लिए जो वहाँ पर कार्य हुआ था। मुझे लगता है कि वर्ष 2012 से वर्ष 2017 के बीच में 01 लाख हेक्टेयर की भूमि को अतिरिक्त सिंचन की सुविधा उपलब्ध कराई गई और वर्ष 2017 से वर्ष 2021 के बीच में जो हम लोग सिंचन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं वह 22 लाख हेक्टेयर से अधिक है। अभी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित की है। बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, संतकबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज एवं गोरखपुर यह नौ जिले इससे सीधे-सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण किया है। बांदा, हमीरपुर एवं महोबा यह सभी जनपद इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसके साथ ही बाणसागर परियोजना से वर्ष 2018 में जनपद मिर्जापुर एवं प्रयागराज लाभान्वित हो चुके हैं। बंडई बांध, जमरार बांध, मौदहा बांध, पहुंच बांध, लहचुरा बांध, गुप्ता बांध, रसिल बांध, जखनौर पम्प नहर प्रणाली यह तमाम परियोजनाएं लगभग 17 परियोजनाओं को हमारी सरकार ने जो तीन-तीन एवं चार-चार दशक से लम्बित थीं, उन योजनाओं को पूरा किया है। उसमें कोई भी कोताही नहीं बरती गयी है और आज उसका परिणाम है कि प्रदेश के अंदर सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा किसानों को प्राप्त हुई और किसान उससे लाभान्वित हो रहा है। हम प्रदेश के अंदर देखेंगे तो पेयजल की सुविधा गांव-गांव तक उपलब्ध कराने की कार्यवाही हुई है। बुन्देलखण्ड हर प्रकार की खनिज सम्पदा से भरपूर है लेकिन वहां की खनन सम्पदा एवं खनिज सम्पदा पर भू-माफियाओं एवं खनन माफियाओं को पिछली सरकारों ने हावी करवाया था। हमारी सरकार ने उन माफियाओं को उनकी सही जगह पहुंचाने का काम किया ही लेकिन साथ-साथ वहाँ की जनता जिन विकास कार्य के लिए हकदार थी, आज पेयजल की समस्या का समाधान मार्च, 2022 तक जब हमारी सरकार का पांच साल का कार्यकाल पूरा होगा, बुन्देलखण्ड की पेयजल की समस्या का समाधान हो चुका होगा। हर गांव में हर घर नल योजना लागू हो चुकी होगी। बुन्देलखण्ड में अब केन और बेतवा को जोड़ने की कार्यवाही हो रही है।

पूरे बुन्देलखण्ड में व्यापक परिवर्तन कर देगा, सरयू सहायक परियोजना के साथ-साथ जिन परियोजनाओं का अभी मैंने यहां पर जिक्र किया, ये सभी परियोजनाएं पूरी हुई हैं उससे पूरा बुन्देलखण्ड पानी के लिए तरसेगा नहीं। वहाँ की माताओं और बहनों को इसके लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। वहां के युवाओं को अब पलायन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के विकास के आधार अब बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे बनकर तैयार होने जा रहा है। वर्ष 2022 तक हम इस एक्सप्रेस-वे को हम तैयार करने जा रहे हैं और एक्सप्रेस-वे में सरकार ने डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग कारीडोर की स्थापना की कार्यवाही में भी एक कदम आगे बढ़ा दिया है। अभी आपने देखा होगा कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड के एक बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास झांसी में

प्रधानमंत्री जी ने किया है। बुन्देलखण्ड के दोनों जनपदों में हम एयरपोर्ट दे रहे हैं। चित्रकूट में एयरपोर्ट हमारा तैयार हो रहा है, ललितपुर में एक नया एयरपोर्ट हम देने जा रहे हैं। बुन्देलखण्ड विकास की एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश, हमारे नेता प्रतिपक्ष जनपद बलिया से हैं, यह बात अलग है कि विकास में उनकी रुचि कम ही रहती है, लेकिन बुन्देलखण्ड के साथ–साथ पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे बन चुका है। सही में, मैं यही मानता था कि आपको बलिया जाने में परेशानी होती है, क्योंकि आप साल में एक ही बार क्षेत्र में जा पाते थे, फिर हमने कहा कि इससे आप साल में दस–बारह बार क्षेत्र में जा सकेंगे, इस बात का ध्यान रखने के लिए ही हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे का काम तेजी के साथ आगे बढ़ाया (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)। वैसे आप चले भी होंगे। (श्री सुरेश कुमार खन्ना के बैठे–बैठे इन्होंने धन्यवाद भी नहीं दिया कहने पर) ओह, धन्यवाद देने का शिष्टाचार है ही नहीं। (सदन में हंसी) आपको चोरी–छुपे देते होंगे लेकिन हम लोगों को नहीं देते। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ रहा है और गाजीपुर से वाराणसी भी जुड़ रही है, बलिया भी जुड़ रहा है, बलिया के लिए लिंक एक्सप्रेस–वे के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे पर काम युद्धस्तर पर चल रहा है। गंगा एक्सप्रेस–वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए प्रयागराज तक, लगभग 12 जनपद इससे आच्छादित हो रहे हैं। 18 तारीख को शाहजहाँपुर में प्रधानमंत्री जी गंगा एक्सप्रेस–वे का भी शिलान्यास करने जा रहे हैं। महोदय, 1947 से 2017 तक प्रदेश में डेढ़ एक्सप्रेस–वे बने थे और 2017 से अब तक हम लोग 05 एक्सप्रेस–वे पर काम कर रहे हैं। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)। मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर सन् 1947 से लेकर 2017 तक कुल 12 मेडिकल कालेज खुल पाये थे, अभी 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने 09 मेडिकल कालेजों का क्लास चलाने के साथ जोड़ दिया है, वहां पर क्लास प्रारम्भ होने जा रही है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) वर्ष 2019 में 08 मेडिकल कालेज का उद्घाटन मैंने स्वयं किया था, वहां पर सेकेण्ड ईयर एम0बी0बी0एस0 के बच्चे पढ़ रहे हैं। 16 नये मेडिकल कालेजेज पर आप काम कर रहे हैं, आखिर हर जनपद में मेडिकल कालेज क्यों नहीं होना चाहिए। अब वहां पर डॉक्टर्स भी आ जायेंगे, आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

इसकी चिंता हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने इतना असत्य बोल दिया कि उधर से कोई ताली बजाने के लिए भी तैयार नहीं है। अब सारा काम आपने कर दिया तो घर जाकर बैठिये, अब आपकी क्या जरूरत रह गयी है। जब सारा उत्तर प्रदेश देश में एक हो गया, तो फिर आप घर बैठिये बाबा, अब हम लोगों को आगे भेजिये। (सदन में हंसी)

श्री योगी आदित्यनाथ–

हम यही कहने के लिए आये हैं कि जो स्पीड सरकार ने बढ़ाई है वह उत्तर प्रदेश को नम्बर एक राज्य के रूप में देश में आगे बढ़ाने के लिए वह स्पीड आवश्यक है और स्पीड ब्रेकर न आने पाये, इस दृष्टि से हम लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है।

एक्सप्रेस–वे, मेडिकल कालेजेज का निर्माण, यह उसी श्रृंखला का हिस्सा है। वन डिस्ट्रिक्ट–वन प्रोडक्ट की योजना, परम्परागत उद्यम को बढ़ाने के लिए और प्रदेश के अन्दर जितने रिफार्म होने चाहिए, उन रिफार्म के माध्यम से ईज ऑफ बिजनेस में जो उत्तर प्रदेश 2015–16 में 14वें स्थान पर था, उसको नम्बर–2 स्थान पर लाने में सफलता भी हमारी सरकार ने प्राप्त की है। हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है और आज पेयजल की योजना, दो क्षेत्र प्रदेश के ऐसे थे, जहां पर पेयजल का सबसे ज्यादा संकट था, बुन्देलखण्ड और विन्ध्य क्षेत्र तथा डार्क जोन से जुड़े हुए, कुछ खारा पानी से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश में, इन क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा की कार्यवाही हमारी प्राथमिकता बन चुकी है। वर्तमान में 38 हजार राजस्व गांवों में पेयजल, हर घर नल योजना की कार्यवाही को सरकार युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है और हमारा लक्ष्य है कि 2024 तक उत्तर प्रदेश के अंदर हर गांव, हर घर नल योजना के साथ जुड़ जाये क्योंकि स्वच्छता के साथ–साथ शुद्ध पेयजल, आधी से अधिक बीमारियों के समाधान का मार्ग निकालता है, आधी से अधिक समस्याओं के समाधान का मार्ग निकालता है और इस दृष्टि से सरकार ने इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। हम लोग जब आये थे, तब प्रदेश में बहुत कम आच्छादन पेयजल का था। आज 35 लाख घरों में हमने हर घर नल योजना को नये सिरे से जोड़ने का कार्य करने में सफलता प्राप्त की है।

महोदय, प्रदेश के अंदर अगर मैं ईज ऑफ लिविंग में ही बात करूँ, ईज ऑफ लिविंग में अगर हम बतायेंगे कि 2012 से 2017 के बीच में कितने गरीबों के आवास बने थे। 2012 से 2017 के बीच में मुझे लगता है कि वह मुश्किल से हजारों में आ पाये थे, रुचि भी नहीं थी क्योंकि जब अपने स्वयं के परिवार से फुरसत हो तो व्यक्ति समाज के बारे में सोचे और महोदय, इस समय ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हमारी सरकार 42 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में और मुख्य मंत्री आवास योजना में एक–एक आवास उपलब्ध करवा रही है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे, आजादी के बाद से जिनको किसी ने छुआ ही नहीं था–वनटांगिया, मुशहर, थारू, सेहरिया, कोल, चेरा ये तमाम ऐसी जातियां थीं जो वंचित रह गयी थीं, इन लोगों को शत–प्रतिशत आवासीय सुविधा, शत–प्रतिशत शौचालय सुविधा, शत–प्रतिशत विद्युत के कनेक्शन, शत–प्रतिशत उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, निराश्रित महिला पेंशन योजना से जोड़ना, विकलांगजन पेंशन के साथ जोड़ना, वृद्धावस्था पेंशन के साथ जोड़ना और जिस प्रकार की भी सुविधाएं हैं, राशन कार्ड की सुविधा से आच्छादन करना, आयुष्मान

भारत का कार्ड या मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड उपलब्ध करवाने की कार्यवाही के साथ जोड़ने की कार्यवाही थी, हमारी सरकार ने इसे युद्ध स्तर पर किया है। बहुत सारी जगहों पर यह शत–प्रतिशत हो चुका है। आज आप उन क्षेत्रों में जाइये, जहां पर पहले एक भी पक्के मकान नहीं थे, केवल झोपड़ी नजर आती थी, आज वहां पर व्यवस्थित कालोनी नजर आती है, देखते बनता है और लगता है कि इन लोगों के लिए देश अब स्वतंत्र हुआ है। उनको वोटिंग राइट नहीं था, उनके पास राशन कार्ड नहीं थे, उनको कोई सुविधा नहीं दी गयी थी। लेकिन ये लोग बड़े–बड़े नारे लगाते थे, कोई गरीबी हटाओ का नारा लगाता था, कोई तमाम हंगामों का नारा लगाता था, कोई कुछ और नारा देता था। लेकिन उन गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो बीजेपी की सरकार ने किया है और बीजेपी की सरकार ने उन क्षेत्रों में जो कार्य किया है, वह कार्य भी सबके सामने एक उदाहरण है। महोदय, कल्याणकारी योजनाओं के साथ–साथ तमाम लाभप्रद योजनाएं जो हैं, अगर हम देखेंगे, किस प्रकार से इन योजनाओं से लोगों को वंचित रखा जाता था। मुझे आश्चर्य होता है, प्रदेश के अंदर बालिकाओं के लिए कोई योजना नहीं थी।

वर्ष 2017 के पहले प्रदेश के अंदर बालक और बालिकाओं का जो अनुपात है, उसमें काफी विषमता है।

भारत सरकार और दुनिया के तमाम संगठन जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे थे वह इस विषय पर चिंतित थे। भारत सरकार के जल्द ही ताजे आंकड़े आये हैं जोकि उत्तर प्रदेश के लिए काफी संतोषजनक हैं। सबसे अच्छे आंकड़े देश के अंदर उत्तर प्रदेश के हैं और इसी देश से प्रदेश सरकार ने और हमारी सरकार ने पिछली बार मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई और मुझे प्रसन्नता है कि बेटी पढ़ाओ–बेटी बचाओ योजना के अन्तर्गत प्रदेश के अंदर एक करोड़ अस्सी लाख बालिकाएं इससे सीधे–सीधे जुड़ी थीं और मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना में अब तक दस लाख बालिकाएं सीधे–सीधे लाभान्वित हो चुकी हैं। मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह की योजना जब हम लोगों ने लागू की थी तो हमारे विपक्ष के मित्रों ने उस समय काफी आलोचना की थी, लेकिन आज जब सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से जन सैलाब उन बालिकाओं को आशीर्वाद देने के लिए उमड़ता है, तो सचमुच उस समय वहां पर यह भाव लगता है कि गरीब की बेटी सबकी बेटी, गांव की बेटी, सबकी बेटी का भाव वहां पर देखने को मिलता है। गांव की बेटी, सबकी बेटी इस भाव को वही समझेगा जिसके मन में मातृशक्ति के प्रति सम्मान का भाव होगा और जहां पर लोग बोल देंगे अरे जवान है कुछ गलती हो जाती है जहाँ पर यह भाव होता है तो आप उनसे उम्मीद क्या करेंगे, वह तो सामूहिक विवाह योजना का मजाक ही बनायेंगे। स्वामी प्रसाद जी ने विपक्ष के मित्रों को क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि मैं तो उनके यहाँ कई जगह गया था पचास–पचास हजार की भीड़ उन कार्यक्रमों में भाग लेती है, कोई सोच सकता है कि एक गरीब एक श्रमिक की कन्या की शादी में मुख्य मंत्री, मंत्री, विधायकगण, सांसदगण और वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित होते हैं। भारत के सही लोकतंत्र को

व्यवस्थित करना भारत के लोकतंत्र की ताकत का एहसास कराता है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस सपने को भी साकार करता है कि आर्थिक योजनाओं के माप का पैमाना ऊपर की सीढ़ी पर खड़ा हुआ व्यक्ति नहीं, बल्कि नीचे के पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। वहाँ पर श्रमिक की बेटी और गरीब की बेटी की शादी में हर तबके का व्यक्ति शामिल होता है तब यह सपना साकार होता हुआ दिखाई देता है। गरीब की इस पीड़ा को समझेगा कौन, इस पीड़ा को हमारी सरकार ने समझा और परियोजनाएं लागू कीं। बेसिक शिक्षा परिषद् वर्ष 2017 के पहले क्या था। आधे से अधिक विद्यालय बन्द के कगार पर थे। सम्भवतः हमारे नेता प्रतिपक्ष भी मंत्री रहे हैं इस पार्टी में और कितना उन्होंने प्रोग्रेस किया था कि आधे से अधिक विद्यालय बन्द की कगार पर पहुंच गये। महोदय, आपरेशन कायाकल्प बिना किसी सरकारी सहयोग से जन सहभागिता का आदर्श उदाहरण है और मुझे लगता है कि इसका मॉडल खड़ा होना चाहिए, देश के अंदर इसका प्रजेंटेशन देश के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एक लाख तीस हजार से अधिक विद्यालय फ्लोरिंग, फर्नीचर, बालक–बालिकाओं के लिए सेपरेट टायलट, पेयजल की सुविधा और अच्छे से शानदार तरीके से संचालित हो रहे हैं। ज्यादातर विद्यालयों में स्मार्ट क्लास भी संचालित हो रहे हैं और बच्चों की संख्या बढ़ करके एक करोड़ अस्सी, इक्यासी लाख तक पहुंच चुकी है।

वर्ष 2017 के पहले आधे से भी अधिक बच्चे ऐसे थे जो नंगे पैर स्कूल जाते थे, बिना यूनीफार्म के स्कूल जाते थे, बिना बैग और बुक्स के स्कूल जाते थे। आज हर बच्चे की यूनीफार्म और बैग, बुक्स, जूता, मोजा और स्वेटर भी सरकार दे रही है और सरकार ग्यारह सौ में यह सब चीजें खरीद कर दे रही थी और अब वह ग्यारह सौ रुपये सीधे बच्चे के अभिभावक के खाते में दिये जा रहे हैं। उन बच्चों के अभिभावक के ही एकाउण्ट में दिया जा रहा है कि आप अपनी पसंद से खरीदिये। यह सरकार की पारदर्शिता और ईमानदारी का एक उदाहरण है। 01 करोड़ 80 लाख से भी अधिक बच्चों के एकाउण्ट में पैसा जा रहा है, 01 करोड़ 20 लाख का दिया जा चुका है, शेष प्रक्रियाधीन है और उसको हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभिभावकों के एकाउण्ट आधार से लिंक किये जा रहे हैं। यह अन्तिम पायदान पर बैठे हुए उन लोगों के लिए है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उन सपनों को साकार करने वाला कार्य यही होता है और यही नहीं, प्रदेश के अंदर महिला सशक्तिकरण के कार्य होने चाहिए। अभी दिसम्बर, 2021 को प्रदेश के अंदर पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ था। ग्राम्य विकास तथा पंचायती राज विभाग ने किया था। क्या उत्साह था पंचायत प्रतिनिधियों, उन्हें वास्तव में लगा कि सरकार हमारी है, हम सरकार के विजन के अनुरूप कार्य करेंगे, जब सरकार का अपना विजन नहीं होता है, तो नीचे की सरकार भी डगमगाने लगती है। लेकिन जब सरकार विजन के साथ काम करती है, तो निचली सरकार भी अपने दायित्वों का निर्वहन करती है और उन्होंने भी इस चीज को कहा था कि नहीं, हम लोग कार्य करेंगे, वे कार्य कर रहे हैं और सचमुच बहुत अच्छा काम किया है।

पंचायत चुनाव हुए थे लेकिन हमारे विपक्ष के मित्र पंचायत चुनाव का विरोध कर रहे थे कि क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, कोरोना का ध्यान नहीं रखा गया, लेकिन हम लोगों ने नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों को, आशा कार्यकत्रियों को, आंगनबाड़ी कर्मियों को, ए0एन0एम0 को, राजस्व विभाग के कर्मियों को, पंचायत राज विभाग के कर्मियों को, ग्राम्य विकास विभाग से जुड़े हुए कर्मियों को, सबको लगाया था कि हर ग्राम पंचायत में निगरानी समिति बन जाये। शहरी क्षेत्र में भी पार्षद की अध्यक्षता में निगरानी समिति बनाई गई है और निगरानी समिति ने जितना बेहतरीन कार्य किया था, वह अभिनन्दनीय था और उसी के अभिनन्दन स्वरूप कल हमारी सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाने का कार्य भी किया है और उनको एक नई जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी किया है। ग्राम प्रधान, हमारे 58,189 ग्राम प्रधान हैं और अब इनको बढ़ा हुआ मानदेय देने की कार्यवाही हम लोगों ने कर दी है, इनका मानदेय 3500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है, ये लोग अब 5000 रुपये मानदेय पायेंगे। ऐसे ही क्षेत्र पंचायत के क्षेत्र प्रमुख 9800 रुपये पाते थे, अब ये 11300 रुपये पायेंगे। अध्यक्ष, जिला पंचायत पहले 14000 रुपये पाते थे, अब 15500 रुपये पायेंगे। सदस्य, जिला पंचायत पहले प्रति बैठक 1000 रुपये पाते थे, अब 1500 रुपये प्रति बैठक पायेंगे। सदस्य, क्षेत्र पंचायत पहले 500 रुपये प्रति बैठक पाते थे, अब 1000 रुपये प्रति बैठक पायेंगे और सदस्य, गाम पंचायत का पहले कोई मानदेय नहीं था, अब हर बैठक में 100 रुपया उनको भी मिला करेगा। यानी 08 लाख पंचायत प्रतिनिधियों को पहली बार सम्मान देने का कार्य किसी ने किया है, तो वह बीजेपी की सरकार ने, हमारी सरकार ने किया है। कल ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग ने इन कार्यक्रमों को वहां पर घोषित किया है और यही नहीं, हम लोगों ने यह भी कहा है कि इससे पहले ग्राम प्रधान ब्लाक के एक जे0ई0 या ए0ई0 का इन्तजार करता था कि वह एम0बी0 बनायेगा, कार्य योजना तैयार करेगा, तो हमने कहा कि नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है कि आप उसका इन्तजार करें। अब पी0डब्लू0डी0 से, सिंचाई विभाग से, आवास विकास से, विकास प्राधिकरण से, नगर निगम से या इन विभागों में हम जो कुछ आर्किटेक्ट और अच्छे इंजीनियर्स को इम्पैनल्ड करेंगे तो आप उनमें से किसी से भी अपनी कार्य योजना को बनवा लीजिए, उसको लागू करिये, विकास का कार्य बाधित नहीं होना चाहिए क्योंकि ग्राम प्रधान भी आधार है विकास का, वह चुनी गई बॉडी है, उसको अधिकार मिलना चाहिए। उसकी 02 लाख रुपये तक की सीमा थी, हमने कहा कि नहीं, इसको आगे बढ़ाओ, अब उसको ये अधिकार दिये गये हैं कि वह 05 लाख रुपये तक का कार्य स्वीकृत कर सकता है। ऐसे ही हमने क्षेत्र पंचायत के भी अधिकार बढ़ाये, जिला पंचायत के भी अधिकार बढ़ाये और सही मायने में इस त्रिस्तरीय पंचायत की परिकल्पना को, ग्राम स्वराज की इस परिकल्पना को हमारी सरकार ने साकार किया है। कल उस विराट सम्मेलन में 05 लाख पंचायत प्रतिनिधि भागीदार बने थे और यही नहीं, कल उस कार्यक्रम में सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालयों का निर्माण कार्य भी अब पूरा हो चुका है और ग्राम सचिवालय प्रारम्भ हो रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में ग्राम

सचिवालय होगा यदि राज्य स्तर पर सचिवालय है, जिला स्तर पर विकास का सचिवालय है, तो ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय क्यों नहीं ? हमने वहां कुछ नये लोग दिये हैं। हर ग्राम पंचायत में एक पंचायत सहायक होगा वह कम्प्यूटर आपरेटर के रूप में ग्राम प्रधान का सहयोग करेगा। हर ग्राम सचिवालय में एक बैंकिंग करस्पान्डेंट सखी होगी जिससे गांव के व्यक्ति को बैंक में 5 किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। अपने ग्राम पंचायत में ही पैसे का लेन–देन जो भी उसको करना है वह अपने गांव में ही उसे करने की सुविधा प्राप्त हो जायेगी।

ग्राम सचिवालय के माध्यम से ही उस व्यक्ति को सारी सुविधाएं प्राप्त हो जायेंगी जैसे आय प्रमाण–पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण–पत्र इस तरह की जितनी भी कार्यवाही हो, वह सब गांव में ही हो जाएंगी। आप्टिकल फाइबर से सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ने की कार्यवाही हो रही है। अब गांव केवल गांव नहीं होगा, स्मार्ट गांव होगा। (मेजों की थपथपाहट)। 56 हजार बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखी की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इन्हें नियुक्ति, पत्र अभी 21 दिसम्बर को प्रयागराज में प्रदान किये जायेंगे। महोदय, निराश्रित महिलाओं को पहले 300 रुपये मानदेय मिलता था और इनकी संख्या प्रदेश के अंदर कुल 17 लाख 31 हजार थी जिनको यह सुविधा दी जा रही थी। अब वर्तमान में हम लोगों ने निराश्रित महिला पेंशन यानी जिसको हम विधवा पेंशन भी कहते हैं जो पहले सिर्फ 17 लाख 31 हजार महिलाओं को मिलती थी अब हमारी सरकार ने इसको बढ़ाकर 30 लाख 34 हजार निराश्रित महिलाओं को अब हम पेंशन की सुविधा दे रहे हैं, लेकिन यह जो हम अनुपूरक बजट लेकर आये हैं उसमें हम इसको मिशन शक्ति के साथ जोड़कर इसे लेकर आये हैं और आधी आबादी को ध्यान में रखकर लेकर आये हैं। उन लोगों से कोई मतलब नहीं जो कह देते थे कि बच्चों से गलती हो जाती है, तो वह आधी आबादी के लिए क्या फायदा समझेंगे, लेकिन हमारी सरकार ने यह तय किया है कि 300 से 500 भी हमारी सरकार ने किया है, तो 500 से बढ़ाकर अब 1000 उन्हें मानदेय प्रदान करेंगे। (मेजों की थपथपाहट) हमारी सरकार इस बात को भी तय करेगी कि जो इनकम ग्रुप अभी तक है, इसको जो एक तरह से कैद किया गया है। इस कैद में भी हम और शिथिलता बरतेंगे ताकि अधिक से अधिक निराश्रित महिलाएं इस योजना का लाभ पा सकें। यह सरकार आधी आबादी को सम्मान देने के लिए इस कार्य को आगे बढ़ायेगी। दूसरा वृद्धावस्था पेंशन में आयु सीमा के कारण बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो इस योजना से आच्छादित नहीं हो रहे थे। वर्ष 2017 से पहले 37 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिलता था, जो पेंशन की राशि थी वह भी कम थी। हमारी सरकार ने तेजी के साथ कैम्प लगाये।

हमारे मा0 जनप्रतिनिधियों ने जगह–जगह कैम्प लगाकर उन सभी लोगों को आच्छादित करने की व्यवस्था भी की ताकि जितने भी निराश्रित बुजुर्ग हैं, उनको पेंशन की सुविधा का लाभ मिले और सरकार ने इसको तय किया था कि यह सुविधा उन लोगों को प्राप्त हो सके इसलिए उस समय 37 लाख की संख्या को बढ़ाकर 55 लाख 77 हजार वृद्धजनों को हम लोगों ने इसमें

आच्छादित किया था, लेकिन यह राशि केवल 500/– थी, इसलिए हम लोगों ने तय किया है अपने बुजुर्गों को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। ऐसा नहीं है कि बाप बुजुर्ग हो गया तो उसको धक्का देकर उसे बाहर कर दो, कुर्सी से ही हटा दो। हम कुर्सी से नहीं हटाते। हम लोग तो उन्हें सम्मान देते हैं। (सदन में हंसी)। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया कि अपने वृद्धजनों हेतु पेंशन की राशि भी 500 से बढ़ाकर 1000 करेंगे (मेजों की थपथपाहट)। महोदय, दिव्यांगजनों के बारे में भी हम सब जानते हैं कि पहले दिव्यांगजनों को कितना अपमान सहना पड़ता था। दिव्यांगजनों का अपमान होता था, उनको परेशान किया जाता था। हर प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। हमारी सरकार आई, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकलांग शब्द को दिव्यांग में बदला। उन्हें नौकरियों में सुविधाएं दीं, उनकी कैटेगरी बढ़ाई गई और रिजर्वेशन का लाभ बढ़ाया गया। यही नहीं, रिजर्वेशन का लाभ बढ़ाने के साथ ही उनको मिलने वाली पेंशन की राशि 300 रुपये को बढ़ाकर 500 रुपये हमारी सरकार ने किया। पहले 8 लाख दिव्यांगजनों को पेंशन मिलती थी, परन्तु वर्तमान में हम 11 लाख दिव्यांगजनों को इस पेंशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में इनको फ्री में यात्रा की सुविधा भी दी गयी और अब हमारी सरकार ने तय किया है कि दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन की राशि भी अब 500 रुपये से बढ़ाकर 1 हजार रुपये प्रतिमाह होगी।

महोदय, कुष्ठावस्था पेंशन योजना के बारे में कहना चाहूंगा कि कितनी हेय दृष्टि से लोग उनको देखते थे जबकि अब तो वैज्ञानिक शोध पर यह तय हो चुका है कि कुष्ठ कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, यह बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन फिर भी लोगों के द्वारा जिस प्रकार के भाव व्यक्त किये जाते थे, उनके लिए पेंशन की राशि में अब हमारी सरकार ने तय किया है कि हर कुष्ठावस्था पेंशन धारक को भी अब हम लोग 3 हजार रुपये महीने की पेंशन राशि उन्हें उपलब्ध करायेंगे और हर कुष्ठ रोगी को, उनके परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्य मंत्री आवास योजना से आच्छादित करने का कार्य भी करेंगे और आवास की सुविधा भी उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। महोदय, इसके साथ ही सरकार ने यह भी तय किया कि प्रदेश में महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए जितनी भी हमारी प्रदेश के अंदर महिलाएं हैं, खासतौर पर जो गरीब तबके की महिलाएं हैं, उनके उपचार के लिए, असाध्य बीमारियों के लिए अब तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रदेश के अंदर लगभग 6 करोड़ लोगों को इस सुविधा के साथ आच्छादित किया है। प्रदेश सरकार ने भी अपने स्तर पर बचे हुए 60 लाख लोगों को इस योजना से जोड़ने का कार्य किया है, लेकिन बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं या बहुत सारी गम्भीर बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें 5 लाख की राशि कम पड़ जाती है, इसलिए हमने तय किया कि हम इसमें भी महिला रोगियों के लिए, जिस असाध्य बीमारी जिसमें 5 लाख की राशि खर्च हो रही है और आयुष्मान भारत की राशि खर्च होती है, तो आयुष्मान भारत की राशि खर्च होने के बाद हम उन महिलाओं को चूंकि जो

राशि होती थी, उसमें बहुत बार ऐसा होता था कि महिलाओं के उपचार में 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख रुपये खर्च हो रहे हैं, तो राशि कम होने के नाते उपचार पूरा नहीं करा पाते थे और सरकार ने इसमें तय किया है कि हम लोग यदि आवश्यकता पड़ेगी तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले उन परिवारों को, हम उन महिलाओं को उपचार कराने के लिए 5 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि देंगे। महोदय, प्रदेश के अंदर अगर हम लोग देखें तो मिशन शक्ति का कार्यक्रम बड़े अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है। मिशन शक्ति के अंदर 2017 के पहले की स्थिति क्या थी ? बालिकाएं स्कूल नहीं जा पाती थीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ही खराब थी। बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थीं। अभी मुझे पिछले दिनों कैराना जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं कैराना गया था। आखिर यह कैराना किसकी देन थी ? कैराना से पलायन क्यों हुआ ? कांडला से पलायन क्यों हो रहा था ? मैं एक ऐसे परिवार के पास गया था जिसने पहले पलायन किया था और फिर वर्ष 2017 के बाद वापस आया था। वहाँ पर कुछ बेटियां मुझे मिलीं तो मैंने उनसे पूछा कि स्कूल जाती हो ? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा स्कूल जाने में भय तो नहीं लगता। कहा, अब साहब भय कैसे लगेगा ? अब तो हमारी अपनी सरकार आ गयी है, जो सुरक्षा के मामले में बेहतर है। वास्तव में इस मामले में इस सरकार को प्रदेश की हर माता, हर बहन और हर बेटी का आशीर्वाद इस रूप में मिला है, क्योंकि सुरक्षा का बेहतर वातावरण हमारी सरकार ने उनको दिया है। आपने देखा होगा एक माफिया वहां घूम रहा था और वह माफिया बाद में जमानत कराकर आया था, वह अपनी जमानत रद्द कराकर फिर अंदर चला गया। यह होती है सरकार की धमक, इसी को कहते हैं धमक। क्योंकि माफिया बहुत सारे लोगों के शागिर्द हैं। लोगों को बुरा लगता है जब माफियाओं की अनैतिक और अवैध कमाई पर बुलडोजर चलते हैं। बहुत सारे लोगों को पीड़ा होने लगती है यह सब क्या हो रहा है ? किसान आत्महत्या करते थे तब उन्हें पीड़ा नहीं होती थी, गरीब भूख से मरते थे तब उन्हें पीड़ा नहीं होती थी, इन्सेफेलाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 38 जनपदों में जब बच्चे मरते थे तब पिछली सरकारों में पीड़ा नहीं होती थी, जब बालिकाओं की इज्जत के साथ सरेआम खिलवाड़ होता था तब उन्हें पीड़ा नहीं होती थी, जब आस्था के साथ प्रदेश के अंदर खिलवाड़ होता था तब उन्हें पीड़ा नहीं होती थी, पीड़ा तब होती है जब माफिया की छाती पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता है। उनकी यह वेदना कभी-कभी उजागर भी होती है। आप देख रहे होंगे सभी माफिया प्रवृत्तियों के लोगों में एक राजनीतिक दल के पास जाने के लिए एक होड़ सी लगी है। हम लोगों को भी शंका है कि ये माफिया ही इनकी कब्र खोद देंगे तो अच्छी बात है, जनता को फुरसत मिलेगी। सरकार कोई भी हो महोदय उसको अपने युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। पहले छात्रों की छात्रवृत्ति के साथ भी अन्याय होता था, अब ऐसा नहीं होता है।

(सदन में शोर-गुल)

श्री योगी आदित्यनाथ–

महोदय, पिछली सरकार में वर्ष 2012 से वर्ष 2017 के बीच में कुल 76 लाख युवाओं को छात्रवृत्ति दी गयी थी और इसमें भी 76 लाख स्कॉलरशिप वह है जिसे पिछली सरकारों के द्वारा एस0सी0, एस0टी0 के छात्रों को वर्ष 2016 में रोक दी गयी थी, मार्च, 2017 में जब हम लोग आये तब हम लोगों ने वह राशि रिलीज करवाई थी कि इसमें छात्रों की क्या गलती है ? यह अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करते हैं।

(सदन में शोर–गुल)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, लोक सेवा आयोग के एक अध्यक्ष थे उनका इतिहास और भूगोल हाई कोर्ट में भी दिख रहा है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, इनको शहूर होना चाहिए कि नेता सदन बोल रहे हैं तो बगल के मंत्री को खड़ा नहीं होना चाहिए। मैं यह कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ही चीज में महारथ हासिल की है, वह है केवल झूठ–झूठ–झूठ हर बार झूठ। अगर एक भी सही बात हो जाय तो आइये होड़ लगा लीजिये हमसे। सारा काम पिछली सरकार ने किया और यह कह रहे हैं कि हमने इतना बढ़ा दिया। हर सरकार आती है तो बढ़ाती है। कोई नया काम किये हों तो बता दीजिये। आज भी पूछ रहा हूँ कि आप कोई एक काम अपने बजट के पैसे से लखनऊ में निर्माण का किये हों, तो बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

चौधरी जी, आप अब कल बोलियेगा।

श्री योगी आदित्यनाथ–

मान्यवर, एक करोड़ चौदह लाख बच्चों को वर्तमान में हमारी सरकार छात्रवृत्ति दे रही है, बिना भेदभाव के दे रही है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

अभ्युदय योजना प्रदेश के अंदर अभी 19 जनपदों में चल रही है और इससे सभी 75 जनपदों में फ्री कोचिंग प्रदेश के युवाओं के लिए हमारी सरकार ने लागू कर दिया है। इसमें अब तक 52 हजार छात्र लाभान्वित हुए हैं और निरन्तर इस योजना से जुड़े हैं। यही नहीं, पहले 2012 से 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की चर्चा पूरे देश और दुनिया में थी और मुझे लगता है, मुझे माफ करेंगे कि उस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नाम लोगों ने बदल दिया था, अभी उसकी जांच चल रही है। सी0बी0आई0 की जांच समय पर आती है। उस समय क्या होता है, मुझे लगता है कि थोड़ी सी लोक–लाज होती, तो प्रदेश के

युवाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ उस कालखण्ड में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड और अन्य आयोगों एवं भर्ती बोर्डों के माध्यम से हुआ था, वह कभी नहीं हुआ और महोदय, हर एक भर्ती पर मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय को और किसी पर सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी पड़ी थी।

महोदय, इस कार्यक्रम के बाद फोटोग्राफी सेशन होगा और फोटोग्राफी सेशन के बाद हम लोग आज लगभग एक हजार बच्चों को फिर से नियुक्ति, पत्र देने जा रहे हैं।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

उसमें लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और हर आयोग के बच्चे हैं और इसी महीने लगभग 20,000 पुलिस भर्ती के नये रिक्रूट को भी नियुक्ति, पत्र देने जा रहे हैं।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

साढ़े चार लाख से अधिक नियुक्तियां हमारी सरकार ने किया है और कोई रोक नहीं है, कोई नौजवान नहीं कह सकता है कि कोई लेन-देन हुआ है, नहीं तो पिछली सरकार में महाभारत के सभी रास्ते निकल पड़ते थे। कहीं चाचा, कहीं भतीजा, मामा, नाना, काका और न जाने क्या-क्या रिश्ते होते थे, ये सभी वसूली में निकल पड़ते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो प्रदेश का हर नौजवान, हमारा नौजवान है। हमारे लिए एक परिवार, परिवार नहीं है। हमारे लिए तो प्रदेश की जो 25 करोड़ जनता है, वही परिवार है और सरकार ने उसके लिए पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य किया है। टीईटी में पर्चा लीक की बात कर रहे हैं, पर्चा लीक करने वाले सभी लोगों को हमारी सरकार ने जेल के अंदर भी ठूंसा है और परीक्षा प्रारम्भ होने के पहले परीक्षा को निरस्त करने का साहस भी हमारी सरकार ने दिखाया। हमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया और हमने कहा कि हम पारदर्शी तरीके के साथ परीक्षा करायेंगे। यह वही कर सकता है, जिसकी सोच ईमानदार हो।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

महोदय, प्रदेश के परम्परागत उद्यमी पिछली सरकार की अराजकता, गुण्डागर्दी, माफियागिरी, बेईमानी और भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश से पलायन कर रहे थे और आज प्रदेश परम्परागत उद्यम को एक जनपद-एक उत्पाद के माध्यम से एक नई ऊँचाइयों तक पहुंच रहा है। आज उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का एक नया हब बन गया है, एम0एस0एम0ई0 में 1 लाख 21 हजार करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से हो, यह देश और दुनिया के लिए कौतूहल की बात होगी, हमारी ओडीओपी की योजना पूरे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मानक बन रही है।

माननीय अध्यक्ष जी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आप क्या समझ पायेंगे इन गरीबों, हस्तशिल्पियों, कारीगरों के सम्मान को आप गरीबों को क्या समझ सकते हैं। आपको सिर्फ अपने परिवार से मतलब है और परिवार से इनका मतलब होने के कारण इन्होंने कभी उनकी चाह

नहीं की। हमारी सरकार में बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सोनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई यह लगभग 1700 ऐसे थे जो परम्परागत हस्तशिल्पी और कारीगर थे। इनके प्रोत्साहन के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना चलायी गयी। उनके प्रशिक्षण, उनके मानदेय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना से किसानों को जोड़ करके और उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए उन्हें टूल किट उपलब्ध कराने जैसी यह सारी कार्यवाही प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर लागू की और युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। यही नहीं हम लोगों ने यह भी तय किया है कि 60 वर्ष की आयु कर चुके श्रमिकों के बारे में प्रदेश के अंदर लोग इस बात को लेकर चिंतित थे। कोरोनाकाल में बड़े प्रवासी, कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आयेंगे, तो उत्तर प्रदेश का क्या होगा।

उत्तर प्रदेश की पहली सरकार थी जिसने अपने निवासी, प्रवासी दोनों प्रकार के श्रमिकों को भरण–पोषण भत्ता दिया। 54 लाख श्रमिकों को हम लोगों ने वर्ष 2020 में भरण–पोषण भत्ता दिया और 26 लाख को वर्ष 2021 में भरण–पोषण भत्ता दिया और यही नहीं वर्तमान में हम लोग प्रदेश के एक बड़े तबके को आच्छादित करने के लिए असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं। लगभग ढाई करोड़ इसमें स्ट्रीट वेंडर हैं, पटरी व्यवसायी हैं, कुली हैं, ठेला खुमचा, रेड़ी लगाने वाले हैं, पल्लेदार हैं, रिक्शा चालक हैं, मनरेगा मजदूर हैं, खेतिहर मजदूर हैं, ढाई करोड़ ऐसे हैं और लगभग 60 लाख लोग ऐसे हैं जोकि बोर्ड से जुड़े हुए कुल 3 करोड़ 10 लाख श्रमिक हैं और सरकार ने तय किया है कि इन सभी श्रमिकों को हम लोग अगले 4 महीने तक भरण–पोषण भत्ते के रूप में 500 रुपये हर महीने देंगे, जिससे कोरोना की तीसरी लहर का असर न पड़े इसके लिए फ्री में राशन, फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन और अब उनको अगले 4 महीने के अंदर 2000 रुपये का भरण–पोषण भत्ता भी सरकार उनको उपलब्ध कराने जा रही है, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार उन्हें यह भत्ता उपलब्ध कराने जा रही है और सरकार ने इसकी व्यवस्था भी इसमें कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने साढ़े चार लाख नौजवानों को नौकरी दी। बेहतर कानून व्यवस्था के कारण 1 करोड़ 71 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश में व्यय निवेश परम्परागत उद्यम के माध्यम से रोजगार की सुविधा प्राप्त हुई। प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान के साथ स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में 60 लाख से अधिक लोगों को बैंकों के साथ जोड़ करके स्वतः रोजगार के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है और यही कारण है कि डबल इंजन की सरकार का लाभ इसी प्रकार से प्राप्त होता है कि जिस प्रदेश के बारे में लोग मानते थे कि एक बड़ी आबादी का राज्य है। बेरोजगारी की दर अब इसके बाद बढ़ेगी। आज भारत सरकार की संस्था ने जब इसका सर्वे करवाया तो एक इंडिपेंडेंट सर्वे के आधार पर उत्तर प्रदेश के अंदर यह बात सामने आती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब जो बेरोजगारी की दर वर्ष 2016–17 में जो दर 17–18 फीसदी थी आज वह घटकर 4 से 5 फीसदी के बीच आ गयी है। प्रदेश सरकार के द्वारा दिये गये इन सभी कार्यक्रमों को जोड़ने, आगे बढ़ाने की कार्यवाही हो रही है, हर एक फील्ड में कार्य हुआ

है। प्रदेश सरकार ने उन सभी कार्मिकों, जिन्होंने कोरोनाकाल में बेहतरीन सेवा की है, हमारे विपक्ष के मित्र तो कोरोना कालखण्ड के प्रथम वेव और सेकेण्ड वेव में होम क्वारंटीन थे, दो बार कोरोना ने इनको होम क्वारंटीन किया है, अब पब्लिक इनको होम क्वारंटीन करने जा रही है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आप चाहते हैं ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

मैं तो चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें। आपके लिए तो हम सभी चाहेंगे कि आप स्वस्थ रहें और अगर आप चाहेंगे तो हम लोग प्रयास कर लेंगे यदि आप बीजेपी में आना चाहेंगे तो हम लोग आपके लिए रास्ता खोल सकते हैं। आपके पास लम्बा अनुभव है, संघर्ष आपने किया है, स्वर्गीय चन्द्रशेखर जी के साथ में, जे0पी0 आंदोलन में, लोहिया जी के उन मूल्यों और सिद्धांतों पर आप गये होंगे जब आज की समाजवादी पार्टी को आप देखते होंगे तो आपको पीड़ा होती होगी, एकान्त में आप कभी सोचियेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय मुख्य मंत्री जी, जितनी लम्बी बात आपने हमसे की है, मैं आपको माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वास्तव में राजनीतिक समाजवाद से ही मेरी शुरूआत हुई। आचार्य नरेन्द्र देव, डॉ0 लोहिया, जय प्रकाश जी, अशोक मेहता, चन्द्रशेखर जी, राज नारायण जी, इन लोगों की जो सोच थी और जो व्यू था समाज को बनाने के लिए, राजनीति को बनाने के लिए, उस व्यू को अगर इस देश और दुनिया में किसी ने पूरा किया तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी ने पूरा किया है। इसलिए जब तक जिन्दा हूँ तब तक समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी के साथ ही रहूंगा।

श्री योगी आदित्यनाथ–

मैंने यही कहा ना, डॉ0 लोहिया ने एक बात कही थी कि एक सच्चा समाजवादी सम्पत्ति और संतति दोनों से हमेशा दूर रहेगा। मुझे लगता है कि अगर आपने अपने नेतृत्व को देखा होगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मैंने तो आपसे हाउस में कहा है कि दुनिया की किसी एजेंसी से मेरी जांच करा लीजिये, ऐसा मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ।

श्री योगी आदित्यनाथ–

देखिये, संतति और सम्पत्ति से समाजवादी को दूर रहना चाहिए, वही समाजवादी है। आप हो सकते हैं लेकिन आपकी पार्टी क्या कर रही है इसको देख लें, यह पहली बात है और दूसरी बात कि स्वर्गीय चन्द्रशेखर जी ने अपने रहते–रहते अपने पुत्रों को और अपने परिवार

को कभी राजनीति में सक्रिय नहीं होने दिया, परिवार के लिए कोई जगह नहीं दी। आप चन्द्रशेखर जी के शिष्य हैं, हमें इसमें संदेह नहीं है, राजनीति में उन्होंने कुछ मानक गढ़े थे आज चन्द्रशेखर जी के पुत्र हमारे साथ में हैं। आचार्य रजनीश बहुत अच्छे दार्शनिक थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जो नया समाजवाद है, उन्होंने कहा था कि समाजवाद अमीरों को गरीब बनाता है, गरीबों को गुलाम बनाता है, बुद्धिजीवियों को बेवकूफ बनाता है, केवल अपने स्वार्थ के लिये अपने नेताओं को शक्तिशाली बनाता है। आज के युग का जो सबसे बड़ा अंधविश्वास है वह समाजवाद है और इसके कई बहरुपिया ब्रांड हैं, परिवारवादी समाजवाद, माफियावादी समाजवाद, अराजकतावादी समाजवाद, दंगावादी समाजवाद, आतंकवादी समाजवाद, अब ये सभी जो बहरुपिये ब्रांड हैं, प्रदेश की जनता भी अब इस चीज को मानने लगी है कि समाजवाद एक रेड अलर्ट है और इस रेड अलर्ट से सावधान रहना चाहिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

समाजवाद समता, समृद्धि, कुशलता और अमीर–गरीब में खाई कम करने की नीति है। भारतीय जनता पार्टी की नीति केवल पूंजीवादी है और हमारी लड़ाई सर्वदा पूंजीवाद से है और इसलिए जब तक इस धरती पर भूख, प्यास, गरीबी, बेबसी, लाचारी रहेगी, समाजवाद इस दुनिया में चलता रहेगा।

श्री योगी आदित्यनाथ–

महोदय, इसलिए हम लोगों ने पहले ही कहा कि इस देश को न साम्यवाद चाहिए, न समाजवाद चाहिए, इस देश को केवल रामराज्य चाहिए।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ मेजें थपथपाईं)

रामराज्य का मतलब, जो सर्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है और जो काल, परिस्थिति से प्रभावित है, शाश्वत है, वही रामराज्य है। हमने जो कहा था, वह करके दिखाया। हम गरीब विरोधी हैं या हितैषी हैं, यह हमारा कार्य बताता है। 45 लाख गरीबों के मकान समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में क्यों नहीं बने ? 2.94 करोड़ परिवारों को विद्युत कनेक्शन पिछली सरकारों के कालखण्ड में क्यों नहीं मिले ? 2.61 करोड़ को शौचालय पिछली सरकार के समय क्यों नहीं मिल पाये ? प्रदेश के 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा का कवर पिछली सरकारों के समय क्यों नहीं मिल पाया ? 2.54 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ क्यों नहीं मिल पाया ? सिंचाई के बड़े–बड़े प्रोजेक्ट, सड़क कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट पिछली सरकारों में क्यों नहीं मिल पाये ?

महोदय, अब एक हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, यह कल्पना पिछली सरकारों ने नहीं की, लेकिन सैफई महोत्सव मनाने के लिए इंग्लैण्ड से एक स्पेशल बग्घी मंगायी जाती थी। हवाई चप्पल पहनने वाले एक गरीब को हवाई जहाज की यात्रा मोदी साकार करते हैं, तो इनको बुरा लगता है। ये बहरुपिया ब्रांड है। हमने जनता को

जनार्दन माना है, सिर–आंखों पर बैठाया है। ऐसा कभी हुआ कि देश का प्रधानमंत्री रात के 1.30 बजे सड़कों पर उतर कर गरीब की सुविधा को देख रहा हो। किसी ने इस बात को कभी देखा है। पहली बार देश देख रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को केवल एक चिंता है और वह एक धर्म के साथ जीते हैं, वह राष्ट्र धर्म है। सबका साथ, सबका विकास के भाव को साकार करके दिखाया है। गरीब के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाएं जितनी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्ष 2014 से 2021 के बीच में चलायी हैं, मैं कहता हूँ कि मा0 श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी के कार्यकाल को छोड़ दिया जाये और वर्ष 1947 से 2014 के बीच के सभी सरकारों के कार्यकाल को जोड़ दिया जाय, तो सभी विपक्षी दलों की सरकारों के कार्यकाल से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल का पलड़ा भारी होता है।

गरीब कल्याणकारी योजनाएं, चाहे आवास योजना का हो, गरीब का हो, गांव का हो, किसान का हो, नौजवान का हो, युवाओं का हो व किसी का भी हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, वैश्विक स्तर पर सम्मान का हो, अब सभी कह रहे हैं कि राम तो हमारे भी हैं। वर्ष 2019 के पहले, यानी 5 अगस्त, 2020 को जब अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री जी आते हैं, तो होना यह चाहिए था कि सभी को मुक्त कंठ से प्रशंसा करनी चाहिए थी, अभिनन्दन करना चाहिए था कि भारत के अंदर गुलामी के एक कलंक को मिटाने के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

ये लोग अच्छे कार्य का स्वागत नहीं कर सकते थे, ये स्वागत किस काम का करते हैं यानि इनको यह लगता है कि किसी माफिया को गले लगायेंगे तो इनको लगता है कि जैसे कितनी स्वर्ग की हूरें मिल गई हों। इनके लिए माफिया ही सब कुछ है। इनको राम मन्दिर के गौरव की अनुभूति नहीं होती लेकिन जब हिन्दू आस्था उमंग लेती है तब यह भी कहते हैं कि राम तो हमारे भी हैं। काशी विश्वनाथ धाम दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है। कौन ऐसा भारतीय है जो अपने जीवन में एक बार काशी नहीं आना चाहता हो। अगर सच्चा भारतीय है तो एक बार उसकी इच्छा होगी कि माँ गंगा में स्नान जरूर करें। एक बार उसकी इच्छा होती है कि संगम में जाकर स्नान करें। एक बार उसकी इच्छा होती है कि मैं काशी जरूर जाऊं। काशी बाबा विश्वनाथ का धाम किसी कालखण्ड में विदेशी आक्रांता के द्वारा वहां पर हमारी आस्था पर प्रहार किया गया था। स्वतंत्र भारत को चाहिए था कि सरदार पटेल जी के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए उसका परिमार्जन करते, परन्तु नहीं किया गया।

काशी विश्वनाथ धाम में भव्य रूप से प्रधानमंत्री जी ने 13 दिसम्बर, 2021 को ऐतिहासिक कार्यक्रम किया। इन लोगों को अच्छा नहीं लगता। उसका स्वागत होना चाहिए था। मथुरा, वृन्दावन के विकास के लिए यदुवंशी के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। लेकिन भगवान

कृष्ण की जन्माष्टमी को बैन कर दिया जाता है। पिछली सरकारों ने बैन कर दिया था। हमने कहा जन्माष्टमी थानों में और जेलों में नहीं मनायी जायेगी तो कहां मनायी जायेगी। मनाओ जन्माष्टमी सभी थानों में लेकिन इन लोगों ने बैन कर दिया था। यह लोग आस्था का अपमान करना अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते थे और आतंकवादियों को रिहा करना अपने लिए गौरव की बात मानते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत आस्था का सम्मान करना और आतंकवादियों को ठिकाने लगाना यह हमारे लिए गौरव की बात होती है, बस यही अंतर है। फर्क साफ है आपके भी दिमाग में आ गया होगा। उज्जवल रमण सिंह जी संभल जाइये। कम से कम नितिन जी से कुछ तो प्रेरणा लीजिये। देखिये, जिनकी उम्र हो गयी है उनको छोड़ दीजिये उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिये। लेकिन जिनके पास कार्य करने का जज्बा है, अपमान के खिलाफ एक जज्बा है। प्रयागराज में तो हमारी संगम नगरी है आना चाहिए लोगों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तिलांजलि देनी चाहिए। यह लोग गरीबों के लिए नहीं लड़ सकते। यह लोग किस तरह से अपमान करते थे। यह लोग दलितों की बात करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान के शिल्पी थे, उनके नाम पर बनी संस्थाओं के नाम बदल दिये जाते हैं। काशीराम जी के नाम पर बनी हुई संस्थाओं को उन्होंने सामाजिक क्रांति को जन्म दिया, हो सकता है उनका दल अलग होगा लेकिन समाज में सामाजिक मूल्यों की स्थापना को उनके संघर्षों को आप विस्मृत नहीं कर सकते। लेकिन काशीराम जी के नाम पर बनी संस्था के नाम सरकार बदलते ही इन्होंने बदल दिये। यह सब क्या है हमारी सरकार ने ऐसा नहीं किया हमने तो गुलामी कालखण्ड में अगर किसी ने इलाहाबाद नाम रखा तब हमने कहा इलाहाबाद नहीं इसका पौराणिक नाम प्रयागराज है तब प्रयागराज ही होगा और गुलामी कालखण्ड में अयोध्या को फैजाबाद किया गया था। देश स्वतंत्र है और अयोध्या नाम ही होगा और हमने किया। आजादी के बाद किसी सरकारों ने नहीं किया था। हमने उसको बदला है और मुझे गौरव की अनुभूति होती है कि यह कार्य हमारी सरकार ने किया और यह सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन लोकलाज की बात उनके लिए है, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान करते हैं।

जो भारत के राष्ट्रनायक सरदार पटेल को खलनायक और राष्ट्र तोड़क जिन्ना के साथ जोड़ने का कार्य करते थे। (सत्ता पक्ष की तरफ से शेम–शेम की आवाजें आयीं) दोनों की तुलना नहीं हो सकती है। यह जो मानसिकता है एक जोड़ने, निर्माण की और एक तोड़ने व विध्वंसात्मक मानसिकता है। करोड़ों हिन्दुओं का कत्लेआम कराने वाला जिन्ना भारत का आदर्श कभी नहीं हो सकता है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) जिन्ना निर्दोष लोगों का हत्यारा है। लेकिन जिन्ना को महिमामण्डित अपने क्षणिक वोट के निजी स्वार्थों के लिए करने से ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। (सत्ता पक्ष की तरफ से शेम–शेम की आवाजें आयीं तथा भारत माता की जय के नारे लगाये गये।)

अध्यक्ष महोदय, पूरी ईमानदारी के साथ इण्टरस्टेट कनेक्टिविटी के लिए काम किया गया। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अपनी सीमा जोड़ता है वहाँ पर हमारी कनेक्टिविटी फोर–लेन की हो गयी है, 2017 के पहले वह टू–लेन या सिंगल–लेन की थी। बिहार से हमारे प्रदेश की कनेक्टिविटी फोर–लेन की है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड फोर–लेन की कनेक्टिविटी से उत्तर प्रदेश से जुड़ा है। अगर बिजली की बात करूं तो 2017 से पहले अंधेरा होता था तो लोग मान लेते थे कि उत्तर प्रदेश आ गया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जाइये, दिन–रात पूरा उत्तर प्रदेश जगमगा रहा है। हर एक को, सबको भरपूर बिजली, मिल रही है, बिजली की भी कोई कमी नहीं है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) ठीक है कि हम बजट से पैसा दे रहे हैं, हमने इनकम बढ़ायी है तो बजट से पैसा भी दे रहे हैं। एक हाथ से कमायेंगे तो दूसरे हाथ से प्रदेश की सुविधा के लिए पैसा भेजेंगे भी, लेकिन जब पैसा ही नहीं है तो ठन–ठन गोपाल होगा, कुछ होगा ही नहीं। सब हाथ पर हाथ धरे खड़े रहते थे, टुकटुकी लगाये देखते थे केवल 04 जनपदों में बिजली मिलती थी वह भी आधी–अधूरी, बाकी 71 जिले अंधेरे में रहते थे। ये कहते थे कि समाजवाद ला रहे हैं, क्या अंधेरा लाना समाजवाद है ? अराजकता लाना समाजवाद है, गुण्डागर्दी समाजवाद है, माफियागीरी समाजवाद है ? आतंकवादियों को प्रश्रय देना अगर समाजवाद है तो ऐसे समाजवाद को तिलांजलि देना ही अच्छा है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

मान्यवर, खिलाड़ियों का सम्मान, युवा कल्याण और खेलकूद विभाग ने किस प्रतिबद्धता के साथ किया। आज हर गांव में खेल के मैदान बन रहे हैं। हर विकास खण्ड में स्टेडियम बनाये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने उत्तर प्रदेश से ओलम्पिक में जाने वाले तथा मेडल प्राप्त करने वाले हर एक खिलाड़ी को लखनऊ में बुलाकर बेहतरीन तरीके से सम्मान दिया था। (मेजों की थपथपाहट) और यही नहीं पैरा–ओलम्पिक में भी मेरठ में कार्यक्रम हुआ। चिंता मत करो, अभी मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। हमारी सरकार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर बना रही है। बहुत शीघ्र हम इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) यह कार्य आलरेडी चल रहा है, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का स्पोर्ट्स से कोई मतलब नहीं है। आपका स्पोर्ट्स तो तमंचा है। (हंसी/मेजों की थपथपाहट) आपको खेल से क्या मतलब ? आपको पता ही नहीं होगा कि बैट क्या होता है, बल्ला क्या होता है, बैडमिंटन, वालीबाल, फुटबाल क्या होता है, कुछ पता ही नहीं होगा। पहले कम से कम कुश्ती लड़ी जाती थी। हमारे नेता प्रतिपक्ष पहले कुश्ती लड़ा करते थे। नेता प्रतिपक्ष हंस रहे हैं, मैंने तमंचा की बात कही तो उनको ध्यान आ गया।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 अखिलेश यादव जी क्रिकेट के एक नम्बर के खिलाड़ी हैं मुझे लगता है कि आपने भी पहलवानी की है और मैंने भी पहलवानी की है तो दो–दो हाथ बीच में

हो जायें। यह पता चल जायेगा कि हम लोग खिलाड़ी हैं या नहीं हैं, क्योंकि पहलवान भी खिलाड़ी होता है। चाहे क्रिकेट में हो, कुश्ती में हो, हॉकी में हो, फुटबाल में हो, हर क्षेत्र में, पक्ष–विपक्ष में इसका निर्णय हो जाये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

बाहर कैमरा आपका इन्तजार कर रहा है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कह रहा हूं कि पहलवानी, फुटबाल, वालीबाल, क्रिकेट, हॉकी किसी भी खेल में आप मुकाबला करा लीजिये। पक्ष और विपक्ष में इसका निर्णय हो जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी आप तिथि तय कर दीजिये।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री योगी आदित्यनाथ–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार में कुश्ती और बैडमिंटन को गोद लिया गया है और उन खिलाड़ियों के साथ–साथ हर खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने के लिए, हर कलाकार को प्रोत्साहित करने के लिए, संस्कृत कर्मी, लोक कर्मी, लोक गाथाएं जितनी भी प्रदेश के अंदर गायी जाती हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार हर प्रकार का प्रोत्साहन देगी। कोरोना कालखण्ड के समय जिन स्वास्थ्य कर्मियों ने बहुत अच्छा काम किया है, उन सबका मैं अभिनन्दन करता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आशा वर्कर, ए0एन0एम0 ने बहुत अच्छा काम किया है, सरकार इनके मानदेय को भी बढ़ाने जा रही है। इनको एक सम्मानजनक मानदेय प्राप्त हो और यह लोग जैसे कार्य कर रहे हैं। पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य करें, क्योंकि सचमुच उनके कार्यों का मूल्यांकन नहीं किया गया, लेकिन जब उन्होंने उस आपदा के समय अपनी क्षमता का परिचय दिया, उस दौरान मैंने गांव–गांव जाकर देखा। मैं सचमुच इस चीज को लेकर बहुत अभिभूत था कि इनका काम बहुत अभिनन्दनीय है, रोजगार सेवकों ने बहुत अच्छा काम किया है। सफाई कर्मियों ने, चौकीदारों ने, बेसिक शिक्षा परिषद् के रसोइया ने, शिक्षा मित्र ने, अनुदेशक ने, पी0आर0डी0 जवान ने, इन सबके मानदेय को एक सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने की कार्यवाही सरकार आगे बढ़ा रही है। अब बहुत लम्बा नहीं, मैं अन्त में केवल एक बात कहना चाहूँगा। प्रदेश के अंदर हमारी सरकार लगभग 20 महीनों से कोरोना का सामना कर रही है और 20 महीनों का सामना करने के बाद प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर कोरोना का असर पड़ा है, लेकिन उस सबके बावजूद हमने चीनी मिलों के लिए बहुत कुछ किया है। कोरोना कालखण्ड में पिछली सरकारों के समय 31 चीनी मिलें बन्द हुई थीं, औने–पौने दामों में बेंच दी गयी थीं। हमारी सरकार ने बन्द चीनी मिलों को चलाने की कार्यवाही की है। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि की चीनी मिल रमाला चीनी मिल हमारी

सरकार के समय नई चीनी मिल के रूप में आज वहां पर अपनी सेवा दे रही है। मुण्डेरवा में किसानों पर गोली चलायी जाती थी, वहां पर नयी चीनी मिल लग गयी है। पिपराइच गोरखपुर की नयी चीनी मिल स्थापित होकर उच्च स्तर पर चल रही है और यही नहीं प्रदेश सरकार ने अन्य बन्द चीनी मिलों को प्रोत्साहित करके चलाया भी है। इस समय हमारी सरकार ने तय किया है कि हम लोग प्रदेश के अंदर कुछ नयी चीनी मिलों के पुनरुद्धार या वहां पर नयी चीनी मिल लगाने की या उनकी क्षमता विस्तार की कार्यवाही करेंगे, जिससे बुढ़वल–बाराबंकी में, सुल्तानपुर, सांठा–अलीगढ़, गजरौला–अमरोहा, स्नेह नगर रोड–बिजनौर, मोरना–मुजफ्फरनगर, इन सबके साथ ही छाता की जो चीनी मिल है, गन्ना मिलेगा तो हम वहां पर चीनी मिल अन्यथा वहां पर एथेनॉल प्लांट की स्थापना करने की कार्यवाही करेंगे। देवीपाटन कमिश्नरी और गोरखपुर कमिश्नरी में भी नयी चीनी मिलों की स्थापना की कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर प्रारम्भ होगी।

मान्यवर, नयी चीनी मिलों की स्थापना की कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर प्रारम्भ होगी। लगभग इसमें 5 हजार करोड़ रुपये का निवेश यहां पर इन क्षेत्रों में होगा और उस पर चूंकि पहले भी हम लोगों ने कार्य किया है तो इस कार्य को राज्य सरकार आगे बढ़ाने जा रही है। अन्त में केवल एक बात कहना चाहूँगा कि आज यहां पर जो हम लोगों ने अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है और यह अन्तरिम बजट, लेखानुदान यहां पर प्रस्तुत किया गया है वर्ष 2022–23 का इन सबका पास करने में आप सब लोग अपना योगदान दें। विपक्ष के मित्र अंत में कम से कम मैं आपसे एक अनुरोध तो कर ही सकता हूँ कि आप लोग अपना योगदान इसको पास करने में देंगे तो जब अगली सरकार हमारी यहाँ पर आएगी उस समय हम कह देंगे कि उस समय नेता विरोधी दल श्री राम गोविन्द चौधरी जी यहाँ थे और उन्होंने बहुत सकारात्मक सहयोग दिया था। उस समय पूरा सदन आपको उस समय याद करेगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके सकारात्मक सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। पांच वर्ष के दौरान सचमुच सदन का कार्य बहुत अच्छा चला। यह सदन में चलता है यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, अंदर कितनी भी गरमाहट होती है, हम बाहर जायेंगे गले मिलेंगे। हम लोग तो सदन को स्वयं चलाना चाहते थे अब देखिये वर्मा जी आप चलाते, चलाते पहली लाइन से पीछे चौथी लाइन में चले गये। यह लोकतंत्र की ताकत है। हमें इन्तजार होगा इस बात का जब हम आपसे बाहर मिलेंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करूँगा। इन्होंने बहुत अच्छे माहौल में पिछले पांच वर्ष के दौरान इस सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। कई बार सत्र में विधान सभा का कार्यकाल इस रूप में रहा है कि जहाँ पर भले ही शब्दों से तनाव रहा हो लेकिन फिजिकली तनाव नहीं देखने को मिला। यह शारीरिक तनाव की स्थिति नहीं थी। हमारे जो नेता विरोधी दल हैं मैं उनकी इस बारे में तारीफ करूँगा कि वह स्वयं नहीं चाहते थे अगर समाजवादी में किसी को देखना है तो श्री राम गोविन्द चौधरी जी को देखिये। वह अच्छे नेता हैं। उन्होंने अच्छा काम किया है। वह लगातार उन मूल्यों के लिए लड़ते

रहे जीवन भर और सदन में भी उसको निभाने का प्रयास किया। दल के तनाव के नाते बिचारे वह स्वयं यहां पर बेहोश बने हुए थे। लेकिन उन्होंने फिजिकली कभी भी सदन के किसी भी सदस्य को चोट पहुंचाने का प्रयास नहीं किया। मैं उनका अभिनन्दन करता हूँ।

ईश्वर से उनके स्वस्थ्य जीवन की कामना करता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि सदन में हमारा विपक्ष इसी प्रकार से बना रहे। वहाँ पर यह लोग इसी प्रकार से बने रहें और सभी सदस्य उत्साह के साथ उमंग के साथ जायेंगे। जनता की सेवा लोगों ने की है अच्छे ढंग से की होगी। उसका फल भी प्राप्त करेंगे। फिर से यहाँ पर आयेंगे और उत्तर प्रदेश को नम्बर एक प्रदेश बनाने के लए अपना योगदान देंगे। मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी लखनऊ विश्वविद्यालय में एक मुस्लिम स्कॉलर आई थी। बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि हर भारतीय इस बात को अंगीकार करता है। उस मुस्लिम स्कॉलर की बात को आपने पढ़ा होगा समाचार पत्रों में बहुत अच्छे ढंग से आया था। उसमें उसने कहा था। उसमें उसने एक बात कही, उसने कहा कि मेरा धर्म सनातन धर्म है, मेरा मजहब, (पीछे से किसी सदस्य की आवाज आने पर)।

एक महिला मुस्लिम स्कॉलर है और यहीं लखनऊ विश्वविद्यालय के किसी कार्यक्रम में आयी थी। उससे पूछा गया तो उसने इस बात को कहा कि मेरा धर्म तो सनातन धर्म है। मेरा मजहब इस्लाम है और मेरी पहचान हिन्दू है। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट) उसने कहा कि पहचान मेरी हिन्दू है और मैं कहीं जाती हूँ तो दुनिया मुझे हिन्दू नाम से पुकारती है। मेरा मजहब इस्लाम है। हमारे यहां लव जेहाद नहीं होता है। कम से कम उससे कुछ तो सीखे होते। श्रद्धेय अटल जी की इस पंक्ति के साथ मैं तो केवल एक बात कह सकता हूँ कि 'हिन्दू तन–मन, हिन्दू जीवन, रग–रग हिन्दू मेरा परिचय' और यह भाव मुझे लगता है कि उस मुस्लिम स्कॉलर के भाव में देखने को मिला था और मुझे लगता है कि जिस दिन हर व्यक्ति इस भाव के साथ रहेगा दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल भी बाँका नहीं कर सकती और उत्तर प्रदेश नम्बर एक प्रदेश बने, इस दिशा में सबका प्रयास हो। मैं एक बार फिर से आप सभी का अभिनन्दन करता हूँ। बहुत–बहुत धन्यवाद।

(तत्पश्चात् सत्ता पक्ष की ओर से 'जय श्रीराम, जय श्रीराम' का बारम्बार उद्घोष किया गया।)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-51 की सूचनाएं लेता हूँ। आज नियम-51 के अन्तर्गत कुल 64 सूचनायें प्राप्त हुईं और हमने सभी सूचनाएं स्वीकार कर ली हैं।

पहली सूचना श्री धर्मेन्द्र सिंह शाक्य 'पप्पू भईया' की जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र शेखूपुर में अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड-1 द्वारा जनप्रतिनिधियों से अभद्रता करने तथा अधिशासी अभियंता को जनपद से स्थानान्तरण करने तथा विभागीय जांच कराये

जाने विषयक, दूसरी सूचना श्री मयंकेश्वर शरण सिंह की जनपद उन्नाव थाना फतेहपुर चौरसी में थाने की रिपोर्टिंग चौकी बनाये जाने विषयक, तीसरी सूचना श्री अनिल कुमार मौर्य की जनपद आगरा के थाना तारागंज में श्रीमती मीरा देवी की सोने की चेन और पैसे अंकित कुमार द्वारा छीने जाने की शिकायत थाने में दर्ज कराये जाने के बावजूद भी थाने द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री सुशील कुमार शाक्य की ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा दिये गये परामर्श के अनुसार डिप्लोमा धारकों को वेतन सम्बन्धी लाभ प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना श्री ममतेश शाक्य की जनपद आजमगढ़ के ब्लाक मोहम्मदपुर के ग्राम कोईलाड़ी बुजुर्ग, चकीदी ग्राम में तैनात सचिव द्वारा की जा रही अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी के मारकुआ, गरौठा व कुरैठा के पावर हाउसों से विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना डॉ0 अरुण कुमार की जनपद बरेली में एम्स स्तर का अस्पताल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री विक्रम सिंह की जनपद लखनऊ के जानकीपुरम के सेक्टर-आई0 क्षेत्र में मकान सं0-11 खसरा संख्या-204 से खुली 11 के0वी0 हाइटेंशन लाईन हटवाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री श्याम सुन्दर शर्मा की लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा विभागीय भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना डॉ0 आर0 के0 वर्मा की जनपद प्रयागराज में दिनांक 21 व 22 नवम्बर 2021 को हुई घटना की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना अमिताभ बाजपेई की ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर की बुकिंग खेल विभाग से कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री हाजी इकराम कुरैशी की जनपद प्रयागराज के हेस्टिंग रोड के अन्तर्गत सड़क निर्माण व सीवर लाइन बिछवाये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री विनय शाक्य की जनपद लखनऊ के गोमती नगर विस्तार के सुलभ आवास में मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री कल्पनाथ पासवान की जनपद सोनभद्र के खनन में तैनात अधिकारी के विरुद्ध विधिक जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बलदेव में मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर में गांगनौली शुगर मिल द्वारा गन्ना किसानों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री राज कुमार अग्रवाल की जनपद सीतापुर के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना डॉ0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के कतिपय जर्जर सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना डॉ0 नीरज बोरा की शासनादेश के उपरान्त जनपद लखनऊ के घैला में सौ शैय्यायुक्त चिकित्सालय नहीं होने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री रामानन्द बौद्ध की जनपद कुशीनगर के नगर पंचायत कप्तानगंज के अध्यक्ष पद पर फर्जी जाति प्रमाण-पत्र की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ में मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री विक्रम सिंह की जनपद हरदोई के अन्तर्गत

लखनऊ-हरदाई राजमार्ग पर नाली निर्माण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री पंकज गुप्ता की सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में हो रही अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना राम नरेश रावत की जनपद रायबरेली में अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर में सिल्ट सफाई कार्य की टी0ए0सी0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया की जनपद कुशीनगर के हाटा में बस अड्डा के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस' की जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा कटरा में लोक निर्माण विभाग द्वारा कतिपय कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत में अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री मौ0 फईम इरफान की उत्तर प्रदेश के बुनकरों को बिजली बिल में सब्सिडी बहाल कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री सुभाष राय की जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील जलालपुर में बस अड्डा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकतीसवीं सूचना श्री अबरार अहमद की जनपद सुल्तानपुर के मेसर्स सुपर कांस्ट्रेक्शन द्वारा मानक विपरीत कराये गये कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री प्रभु नारायन सिंह यादव की जनपद सीतापुर के जिला कृषि अधिकारी की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर में मनरेगा योजना के अन्तर्गत जिला पंचायत सीतापुर द्वारा कार्य योजना अनुमोदित कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना श्री ओमकार सिंह की जनपद बदायूँ की जर्जर विद्युत लाइनों को बदलवाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री नफीस अहमद की जनपद आजमगढ़ की सिलनी नदी पर चौड़ा पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव की यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण ध्वस्तीकरण विनियमावली के अनुमोदन के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री नाहिद हसन की बुनकरों का विद्युत बिल प्लेट रेट पर जमा कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद टी0ई0टी0 उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तालीसवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लालगंज, प्रतापगढ़ पर स्थित ट्रामा सेन्टर को क्रियाशील कराये जाने के सम्बन्ध में है, चालीसवीं सूचना श्री मसूद अख्तर की जनपद सहारनपुर में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकतालीसवीं सूचना श्री नरेश सैनी की जनपद सहारनपुर की शुगर मिल टोडरपुर को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, बयालीसवीं सूचना श्री दलवीर सिंह की सी0एस0आर0 योजना के अन्तर्गत धनराशि आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतालीसवीं सूचना श्री बृजेश कुमार की जनपद उन्नाव के अन्तर्गत ब्लाक हसनगंज में लखनऊ बांगरमऊ मुख्य मार्ग कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवालीसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र की ग्राम प्रधानों के मानदेय के सम्बन्ध में है, पैंतालीसवीं सूचना श्री श्यामधनी की जनपद मथुरा के भूमि

विनिमय के प्रकरण में शासन की स्वीकृति के सम्बन्ध में है, छियालीसवीं सूचना श्री आशुतोष उपाध्याय की सेतु निर्माण निगम में हो रही धांधली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतालीसवीं सूचना श्री शीतल पाण्डेय की एल0डी0ए 0 रेरा में एम0आर0 बिल्डर की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तालीसवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्रों को उचित मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में है, उन्चासवीं सूचना श्री इरफान सोलंकी की जनपद लखनऊ के सदर कैण्ट में बन्दरों का आतंक समाप्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचासवीं सूचना श्री अजय कुमार लल्लू की जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज में सेवरही शुगर मिल जलभराव खत्म किये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं सूचना श्री हरिराम की जनपद सिद्धार्थनगर के मिठवल ब्लाक के करही चौराहे पर चौधरी इंटरप्राइजेज की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र बाढ़ापुर में ट्यूबवेल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया की जनपद महोबा के विकास खण्ड चरखारी में स्पोर्ट कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना श्री बम्बालाल की उन्नाव लोक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड लालगंज के कतिपय सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है छप्पनवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तावनवी सूचना श्री धनंजय कनौजिया की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा सी0ओ0 सर्किल की स्वीकृति एवं सर्किल आफिसर की पोस्टिंग कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठावनवीं सूचना श्रीमती जय देवी की जनपद सीतापुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किये जा रहे अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, उनसठवीं सूचना श्री विजय कुमार राजभर की जनपद मऊ में निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, साठवीं सूचना श्री संजय गर्ग की 1 जनवरी 2021 से कपड़ों व होजरी और फुटवियर पर जी0एस0टी0 5 से 12 परसेंट के स्लैब में ले जाने के निर्णय को वापस लेने के सम्बन्ध में है, इक्सठवीं सूचना श्री त्रिवेणी राम की जनपद प्रयागराज में कतिपय रोड कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, बासठवीं सूचना श्री मो0 असलम राईनी एडवोकेट की हटाई गई सुरक्षा की जांच कराने के सम्बन्ध में है, तिरसठवीं सूचना श्री अमन मणि त्रिपाठी की भारत नेपाल बार्डर की बन रही रोड योजना के सम्बन्ध में है तथा चौसठवीं सूचना श्री शरद वीर सिंह की जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी में अवैध निर्माण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है।

नियम-51 के अन्तर्गत मा0 मंत्रीगणों के वक्तव्य पढ़े हुए माने गए

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-62 से 74 तक मा0 मंत्रीगणों के वक्तव्य निर्धारित हैं जो आपके द्वारा कभी पहले प्रश्न नोटिस में आये होंगे तो उन सभी को पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य निर्धारित है। इसको पढ़वा दीजिये।

(कुछ सदस्यगणों द्वारा खड़े होकर अपनी बात कहने पर शोर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, वक्तव्य के संबंध में आपने क्या व्यवस्था दी है ?

श्री अध्यक्ष-

मैंने वक्तव्य के बारे में यह फैसला सुनाया है कि इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाये। माननीय सदस्यों की सूचनाओं पर माननीय मंत्रीगणों द्वारा जो वक्तव्य दिये जाने हैं, वह सब पढ़े हुए मान लिये जायें। चूंकि हम लोगों को बाहर फोटोग्राफी के लिए भी चलना है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ठीक है। वैसे भी बाहर अंधेरा हो रहा है।

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, पी0सी0एस0 2015 की भर्ती की सी0बी0आई0 जांच में हुई प्रगति एवं चार्जशीट जमा किये जाने तथा दोषियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में श्रीमती बन्दना सिंह की नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)

(श्रीमती बन्दना सिंह की नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य मा0 मंत्री के अनुरोध पर स्थगित)

जनपद महाराजगंज के अन्तर्गत नेपाल बार्डर से भारी मात्रा में हो रही मटर की तस्करी रोके जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम सागर पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मा0 मुख्य मंत्री का वक्तव्य

[पुलिस अधीक्षक, महराजगंज से प्राप्त आख्यानुसार जनपद-महराजगंज नेपाल राष्ट्र का सीमावर्ती जनपद है। लगभग 84 कि0मी0 खुली सीमा क्षेत्र होने के कारण सशस्त्र सीमा बल एवं जिला पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से सीमा क्षेत्र पर निगरानी/पेट्रोलिंग की जाती है। समय-समय पर अराजकतत्वों व अवैध कार्यों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध समूचित वैधानिक कार्यवाही की जाती है। नेपाल बार्डर से मटर की तस्करी को रोके जाने हेतु सशस्त्र सीमा बल एवं जिला पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान व पेट्रोलिंग की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जनवरी-2021 से अब तक जनपद महराजगंज से नेपाल राष्ट्र सीमा क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न थानों पर कुल 13 अभियोग पंजीकृत किये गये तथा 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कुल 79 कुन्तल कनाडियन मटर व वाहन आदि को अभिरक्षा में लेते हुए वैधानिक कार्यवाही की गयी है। वर्तमान

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

समय में भी मटर तस्करी व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु सशस्त्र सीमा बल एवं जिला पुलिस द्वारा बराबर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।]

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड रामपुर मथुरा में नामांकन दाखिल करने न दिये जाने के प्रकरण की जांच के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य

[मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गई है कि जनपद सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड रामपुर मथुरा में प्रमुख पद के उम्मीदवार श्रीमती भावना मौर्य, उनके ससुर प्रेम सागर मौर्य व अब्दुल कलाम, पुतान सिंह, शहाबुद्दीन, मनोज वर्मा प्रस्तावक समर्थकों को दूसरी प्रत्याशी श्रीमती शबनम व उनके प्रस्तावक व समर्थक दिनेश यादव व कैलाश राजपूत थाना अध्यक्ष रामपुर मथुरा व उनके सहयोगी द्वारा ब्लाक मुख्यालय गेट से जबरन पकड़कर थाने में बन्द कर दिया व नामांकन दाखिल करने नहीं दिया गया। जनहित से जुड़ा हुआ प्रकरण है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त घटना के दोषियों के प्रति कानूनी कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गई है।

2-इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सीतापुर एवं निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 से तथ्यात्मक आख्या प्राप्त की जा रही है।]

जनपद शाहजहाँपुर के अन्तर्गत किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों के खाते से निकाले जाने के सम्बन्ध में प्रिंस वीर विक्रम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य

[इस सम्बन्ध में उक्त नियम-51 के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत है-

क्र0 सं0	नाम खातेदार	पिता/पति का नाम	गांव का नाम	खाता संख्या	सम्मान निधि की धनराशि	भुगतान की गई धनराशि	खाता खोलने की तिथि
1	सत्यपाल	नत्थू	भुड़िया	12764	2000.00	2000.00	16-09-2019
2	प्रेमवती	सत्यवीर	भुड़िया	12771	12000.00	12000.00	16-09-2019
3	लौंगश्री	ब्रजपाल	भुड़िया	12746	2000.00	2000.00	14-04-2020
4	कान्ती	रविन्दर	भुड़िया	12785	12000.00	12000.00	18-09-2019
5	पिंकी	रामदास	भुड़िया	12788	12000.00	12000.00	18-09-2019
6	राममूर्ति	रामदास	भुड़िया	12791	12000.00	12000.00	18-09-2019

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्र0 सं0	नाम खातेदार	पिता/पति का नाम	गांव का नाम	खाता संख्या	सम्मान निधि की धनराशि	भुगतान की गई धनराशि	खाता खोलने की तिथि
7	मैना देवी	वीरपाल	अवा	12787	10000.00	10000.00	18-09-2019
8	रामवती	महिपाल	जुझारपुर	12609	12000.00	12000.00	05-09-2019
9	अनुज पाल	महिपाल	बैसरा बैसरी	13452	12000.00	12000.00	21-11-2019

6-समस्त खाता धारकों का भुगतान विड्राल द्वारा स्वयं भुगतान प्राप्त किया गया।

7-ए0टी0एम0 व चेक के माध्यम से भुगतान नहीं किया गया है।

8-उपरोक्त खाता धारकों ने बैंक में स्वयं उपस्थित होकर विड्राल द्वारा भुगतान प्राप्त किया।

9-किसी अन्य व्यक्ति को कोई भुगतान नहीं दिया गया।

10-उक्त खाता धारकों के भुगतान में कोई अनियमितता नहीं है।

सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला सहकारी बैंक लि0, शाहजहाँपुर एवं सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, शाहजहाँपुर की आख्या के अनुसार क्रमांक 1 से 9 तक खाता धारकों के खाते में सम्मान निधि की धनराशि जमा हुई तथा उक्त खाता धारकों के द्वारा ही सम्मान निधि की धनराशि का आहरण स्वयं किया गया है।]

जनपद मथुरा में लोक निर्माण विभाग द्वारा बल्देव बरौली कैलाश मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मा0 उप मुख्य मंत्री का वक्तव्य

[जनपद मथुरा में बल्देव बरौली कैलाश वाया मगना मार्ग (लम्बाई 24.300 कि0मी0) एक प्र0जि0मा0 है, जिसके चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु आंकलित लागत रुपये 4089.08 लाख है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 में आय-व्ययक में बजट अनुमानों के सम्मिलित होने के तत्काल बाद विभागीय अनुदानों में प्राविधानित एकमुश्त व्यवस्था से वित्तीय वर्ष के दौरान कराये जाने वाले कार्यों की वार्षिक कार्य योजना बनाये जाने का प्राविधान है। उक्तानुसार तैयार की गयी कार्य योजना में सम्मिलित कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष में प्रदान की जाती है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण के नये कार्यों की मद में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष तीन गुना लागत तक की परियोजनाओं की अंतिमीकृत कार्य योजना में उक्त कार्य सम्मिलित नहीं है। अतः उक्त कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित नहीं है।]

जनपद शाहजहाँपुर की नगर पंचायत निगोही का सीमा विस्तार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

[इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद शाहजहाँपुर की नगर पंचायत निगोही का सीमा विस्तार किये जाने के संबंध में अनन्तिम अधिसूचना संख्या-1781/9-1-2020-48 टी0ए0/20 दिनांक 12-11-2020 द्वारा आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित किये गये हैं। वर्तमान में नगर पंचायत गठन/सीमा विस्तार किया जाना व्यावहारिक नहीं है। भविष्य में ससमय प्रकरण के संबंध में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।]

प्रदेश सरकार की सभी सरकारी सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आरक्षित वर्गों की भांति उम्र की सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में कुंवर रघुराज प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

[इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा भारत का संविधान में 103वां संशोधन करते हुए सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में नियुक्ति के लिए व अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थानों (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किया गया है। तत्क्रम में राज्य सरकार की राज्याधीन सेवाओं और पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं हैं तथा उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं, को 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किया गया है। भारत सरकार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में निर्धारित आयु सीमा में छूट प्रदान नहीं की गई है, तद्नुसार राज्य सरकार द्वारा भी राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित आयु सीमा में छूट प्रदान नहीं की गई है।]

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक में वर्ष 2016 में जारी विज्ञापन के श्रेणी 3 एवं 4 के कर्मचारियों का स्थायीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीकान्त कटियार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

[इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के पत्र सं0-479/49-2-2020-26 (33)/2018 दिनांक 18 मार्च 2020 के द्वारा विशेष अनुसंधान दल (एस0आई0टी0) जांच से

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आच्छादित दिनांक 01-04-2012 से दिनांक 31-03-2017 तक के नियुक्त कार्मिकों के सम्बन्ध में स्थायीकरण/प्रोन्नति/विनियमितीकरण तथा आमेलन की कार्यवाही शासन के अग्रिम आदेशों तक न किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये थे। शासन के उक्त पत्र के क्रम में आयुक्त एवं निबन्धक द्वारा परिपत्रांक सी-2/अधि0-9/एस0आई0टी0/दिनांक 08-05-2020 के द्वारा भी उक्तानुसार निर्देश दिये गये थे। एस0आई0टी0 की जांच दिनांक 09-03-2021 को पूर्ण कर ली गयी है, जिसके क्रम में शासन के पत्रांक 1306/49-2-21 दिनांक 06-12-2021 के द्वारा नियुक्त प्राधिकारी/प्रबन्ध निदेशक पीसीएफ, पीसीयू, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक, उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 एवं जिला सहकारी बैंकों को एस0आई0टी0 रिपोर्ट प्रेषित कर प्रकरण में यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।]

जनपद मथुरा के अन्तर्गत पर्यटन निदेशालय की कार्य योजना का क्रियान्वयन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमिताभ बाजपेई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यटन मंत्री का वक्तव्य

[इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यशपाल होटल्स एंड रिसार्ट्स, उदयपुर, नंगला, गोवर्धन, मथुरा को उ0प्र0 पर्यटन नीति-2018 के अन्तर्गत 'रिसार्ट' श्रेणी में पंजीकरण सं0-102/2018 पर दिनांक 09-07-2019 को पर्यटन विभाग उ0प्र0 के स्तर से वांछित कार्यवाही के अन्तर्गत पंजीकृत किया जा चुका है। यह भी अवगत कराना है कि पर्यटन नीति-2018 के अध्याय-10 पर प्रस्तर-4 के अनुसार प्रदेश में निवेश करने वाली इकाइयों को भू-उपयोग परिवर्तन एवं विकास शुल्क में 100 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने का प्राविधान है। आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-465/आठ-1-18-59 विविध/2018 दिनांक 25-05-2018 के अन्तर्गत पर्यटन नीति 2018 में पंजीकृत इकाइयों को भू-उपयोग परिवर्तन एवं विकास शुल्क में छूट प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। उपरोक्त के क्रम में पर्यटन विभाग के शासनादेश सं0-606/2021/2286/41-2021-01 (नीति)/2017 दिनांक 10-11-2021 द्वारा उ0प्र0 पर्यटन नीति 2018 के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन एवं विकास शुल्क में 100 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने हेतु निम्न व्यवस्था लागू की गयी है :-

पर्यटन नीति में सभी पात्र नवीन एवं एक्सपेंशन कर रही पर्यटन इकाईयों को भू उपयोग परिवर्तन शुल्क और विकास शुल्क से पूर्ण छूट का प्राविधान है। इस हेतु आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-465/आठ-1-18-59 विविध/2018 दिनांक 25-05-2018 के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-465/आठ-1-18-59 विविध/2018 दिनाक 25-05-2018 के बिन्दु सं0-4.4 के अनुसार जिन पर्यटन इकाईयों की स्थापना ऐसे स्थलों पर की जा रही है, जहाँ बिजली, सड़क, पानी, सीवर, नाला (ड्रेनेज) आदि सुविधाएं न हों, उन्हें भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क और विकास शुल्क में छूट अनुमन्य नहीं होगी। उक्त पर्यटन इकाइयों के उद्यमी से सभी वर्णित आवश्यकताओं का प्रबन्ध उद्यमी द्वारा स्वयं किया जायेगा, का शपथ-पत्र प्राप्त कर इकाई को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क और विकास शुल्क से पूर्ण छूट प्राप्त होगी।

तत्क्रम में उपरोक्त वांछित भू-उपयोग परिवर्तन में छूट प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही उपाध्यक्ष, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण के द्वारा की जानी है।]

उ0प्र0 आवास विकास परिषद द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज गुप्ता द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

[उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के पत्र दिनांक 15-12-2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का स्वीकृत मानचित्र एवं शमन मानचित्र क्रमशः परिषद के पत्र दिनांक 13-03-2011 एवं 18-04-2016 द्वारा निर्गत किया गया है, जिसमें इंडिपेंडेंट लॉन किसी भी फ्लैट के साथ प्राविधानित नहीं है। अतः परिसर में विकसित लॉन एरिया विक्रीत नहीं किया जा सकता है। चूंकि विकासकर्ता द्वारा कोई निर्माण तथाकथित लॉन में नहीं किया गया है। अतः परिषद द्वारा कोई कार्यवाही विकासकर्ता के विरुद्ध नहीं की गयी है। डेवलपर को यू0पी0 अपार्टमेंट ऐक्ट-2010 के डिक्लेरेशन फार्म में उल्लिखित फ्लैट संख्या के सापेक्ष घोषित क्षेत्रफल को ही आवंटन किये जाने का अधिकार है।

डेवलपर को स्वीकृत मानचित्र और पूर्णता मानचित्र में किसी भी फ्लैट के साथ इंडिपेंडेंट लॉन अंकित नहीं है। कॉमन लॉन को इंडिपेंडेंट लॉन के रूप में विक्रय कर यू0पी0 अपार्टमेंट ऐक्ट की धारा-25 में विहित प्रक्रिया के अनुसार फ्लैट्स क्रेता, प्रमोटर के विरुद्ध सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।]

जनपद अयोध्या के नगर पालिका परिषद रुदौली में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

[उक्त के सम्बन्ध में नगर आयुक्त/परियोजना निदेशक, डूडा, अयोध्या द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत मार्च, 2022 तक 12274 का

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लक्ष्य अयोध्या जनपद को प्राप्त है, जिसके सापेक्ष 12145 (98 प्रतिशत) लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान कर दिया गया है।

नगर पालिका परिषद रुदौली में नामित संस्था स्नोफाउन्टेन द्वारा कुल 3285 लाभार्थियों की स्वीकृति डी0पी0आर0 के क्रम में संस्था द्वारा 2409 पात्र लाभार्थियों के सापेक्ष 2145 लाभार्थियों को प्रथम किश्त की धनराशि, 1851 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त की धनराशि एवं 983 लाभार्थियों को तृतीय किश्त की धनराशि प्रदान की जा चुकी है।

प्रधानमंत्री आवासीय योजना (शहरी) अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसके तहत लाभार्थियों की पात्रता की जांच कराकर नियमानुसार पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ शीघ्रतापूर्वक प्रदान किया जा रहा है।]

जनपद गोण्डा नगर मुख्यालय के अन्तर्गत रिंग रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रतीक भूषण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

[जनपद गोण्डा में बाईपास के निर्माण हेतु प्रथम चरण में लखनऊ गोण्डा रोड से अयोध्या को जोड़ते हुए बाईपास के निर्माण (लम्बाई 1.750 कि0मी0) हेतु भूमि अध्याप्ति सहित लागत रुपये 9358.20 लाख आंकलित है। उक्त कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जनपद अलीगढ़ में उप जिलाधिकारी द्वारा भूमि के सम्बन्ध में दिये गये एकपक्षीय आदेश की पुनः जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मा0 मुख्य मंत्री का वक्तव्य

[इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आजमगढ़ से प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि ग्राम टप्पल, परगना टप्पल, तहसील खैर, जनपद अलीगढ़ के बंजर भूमि के सम्बन्ध में योजित वाद संख्या-3660/2021 (सही वाद संख्या-3666/2021) सरकार बनाम कुमरपाल सिंह आदि में न्यायालय उप जिलाधिकारी, खैर द्वारा दिनांक 15-04-2021 को जो आदेश पारित किया गया है, वह न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमानुसार धारा-38(2) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत पारित किया गया है। ग्राम टप्पल, परगना टप्पल, तहसील खैर, जनपद अलीगढ़ के भू-अभिलेखों की जांच तहसीलदार, खैर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा की गयी है। जांच कमेटी द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या के आधार पर न्यायालय उप जिलाधिकारी, खैर, जनपद अलीगढ़ द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा-38(2) के अन्तर्गत न्यायिक आदेश पारित किये गये हैं। उक्त कार्यवाही को न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्पादित किया गया

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। प्रश्नगत आदेश से व्यक्ति होकर सक्षम न्यायालय में चाराजोई करते हुए अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए उठते हैं।

इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बज कर 02 मिनट पर गुरुवार, 16 दिसम्बर, 2021 को अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

लखनऊ :

दिनांक : 16 दिसम्बर, 2021

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0-92 विधान सभा (149)-03-06-2022-76 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।